

(a1/1100/mmn-mkg)

1100 hours

(Madam Speaker *in the Chair*)

OBITUARY REFERENCES

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House of the sad demise of our former colleague Shri S. Bangarappa.

Shri S. Bangarappa was a member of the Eleventh Lok Sabha from 1996 to 1997 and the Thirteenth and Fourteenth Lok Sabhas from 1999 to 2009, representing the Shimoga Parliamentary Constituency of Karnataka.

Shri Bangarappa was a member of the Karnataka Legislative Assembly from 1967 to 1996. He held the Office of the Chief Minister of Karnataka from 1990 to 1992. He served as the Minister of State for Home; Cabinet Minister for Public Works Department; Minister for Revenue, Agriculture and Horticulture in the Government of Karnataka. Shri Bangarappa also served as the Leader of Opposition in the Karnataka Legislative Assembly.

An able parliamentarian, Shri Bangarappa was a member of the Committee on Defence; Committee on Petitions and Committee on Estimates during the Thirteenth Lok Sabha. He was also a member of the Committee on Defence and Railway Convention Committee during the Fourteenth Lok Sabha.

A sports enthusiast and a committed social and political worker, Shri Bangarappa worked for the welfare of the poor, downtrodden and the deprived sections of the society. He consistently fought for the rights of the farming community and initiated many social welfare projects in his constituency.

In his demise, the country has lost a dynamic and visionary leader whose absence will be felt in many walks of life.

Shri S. Bangarappa passed away on 26 December, 2011 at Bengaluru at the age of 78.

We deeply mourn the loss of our friend and I am sure the House would join me in conveying our condolences to the bereaved family.

Hon. Members, twenty-two persons are reported to have drowned and number of persons missing in a boat tragedy in Pulicat Lake in Tamil Nadu on 25 December, 2011.

The House expresses solidarity in this hour of grief with the families of the victims of this unfortunate accident.

The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed.

(The Members then stood in silence for a short while.)

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now Papers to be laid on the Table.

1104 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI MILIND DEORA): On behalf of Shri Kapil Sibal, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Telecom Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Telecom Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2010-2011.

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (DR. C.P. JOSHI): I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Highways Authority of India, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): I beg to lay on the Table:-

- (1) Statement regarding Review[%] (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Civil Services Cultural and Sports Board, New Delhi, for the year 2010-2011.
- (2) Statement regarding Review[%] (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Civil Services Society, New Delhi, for the year 2010-2011.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Tamil Nadu, Thiruvarur, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Tamil Nadu, Thiruvarur, for the year 2010-2011.
- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tripura University, Agartala, for the year 2010-2011.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tripura University, Agartala, New Delhi, for the year 2010-2011.

% Annual Reports were laid on 22.12.2011.

- (3)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Haryana, Chandigarh, for the year 2010-2011.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Haryana, Chandigarh, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Haryana, Chandigarh, for the year 2010-2011.
- (4)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala, for the year 2010-2011.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala, for the year 2010-2011.
- (5) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Jharkhand, Ranchi, for the years 2008-2009 and 2009-2010, together with Audit Reports thereon.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.
- (7) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the English and Foreign Languages University, Hyderabad, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.
- (8) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, for the year 2009-2010, together with Audit Report thereon.


- (9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.
- (10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Bihar, Patna, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Bihar, Patna, for the year 2010-2011.
- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Gujarat, Gandhinagar, for the year 2010-2011.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Gujarat, Gandhinagar, for the year 2010-2011.
- (12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Banaras Hindu University, Varanasi, for the year 2010-2011.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Banaras Hindu University, Varanasi, for the year 2010-2011.
- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Aligarh Muslim University, Aligarh, for the year 2010-2011.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Aligarh Muslim University, Aligarh, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Aligarh Muslim University, Aligarh, for the year 2010-2011.
- (14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Guru

Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, for the year 2009-2010.

- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, for the year 2009-2010, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, for the year 2009-2010.
- (15) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (14) above.
- (16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, for the year 2010-2011.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, for the year 2010-2011.
- (17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North-Eastern Hill University, Shillong, for the year 2010-2011.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North-Eastern Hill University, Shillong, for the year 2010-2011.
- (18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pondicherry University, Puducherry, for the year 2010-2011.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Pondicherry University, Puducherry, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pondicherry University, Puducherry, for the year 2010-2011.
- (19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the

- Mizoram University, Aizawl, for the year 2010-2011.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mizoram University, Aizawl, for the year 2010-2011.
- (20)
- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Dr. Harisingh Gour University, Sagar, for the year 2010-2011.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Dr. Harisingh Gour University, Sagar, for the year 2010-2011.
- (21)
- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Kashmir, Srinagar, for the year 2010-2011.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Kashmir, Srinagar, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Kashmir, Srinagar, for the year 2010-2011.
- (22) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Manipur University, Imphal, for the year 2009-2010, together with Audit Report thereon.
- (23) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (22) above.
- (24)
- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Punjab, Bathinda, for the year 2010-2011.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Central University of Punjab, Bathinda, for the year 2010-

2011.

- (25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Guwahati, Guwahati, for the year 2010-2011.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Indian Institute of Technology Guwahati, Guwahati, for the year 2010-2011.
- (26) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National University of Educational Planning and Administration, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National University of Educational Planning and Administration, New Delhi, for the year 2010-2011.
- (27) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Pune, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts. 
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science Education and Research, Pune, for the year 2010-2011.
- (28) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Council for Technical Education, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Council for Technical Education, New Delhi, for the year 2010-2011.
- (29) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Kerala, Kasaragod, for the year 2010-2011.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Kerala, Kasaragod, for the year

2010-2011.

- (30) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad, Allahabad, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad, Allahabad, for the year 2010-2011.

Comment: fd by b1

(b1/1105/vr-cp)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Madam, I beg to lay on the Table:

- (1) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 26 of 2011-12)-Performance Audit of the Sale and Distribution of Imported Pulses, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ministry of Commerce and Industry under Article 151(1) of the Constitution.
- (2) A copy of the Notification S.O. 2681(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 28th November, 2011, notifying the subscriptions made to the fund on or after the 1st day of December, 2011 and balances at the credit of the subscriber shall bear interest at the rate of 8.6 per cent per annum issued under Section 5 of the Public Provident Fund Act, 1968.
- (3) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Housing Bank, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts under sub-section (5) of Section 40 of the National Housing Bank Act, 1987.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS
(SHRI VINCENT H. PALA): Madam, I beg to lay on the Table:

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Water Development Agency, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (2) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Water Development Agency, New Delhi, for the year 2010-2011.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha: -

- (i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 2nd December, 2011 agreed without any amendment to the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2011 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19th December, 2011."
- (ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Railways) No.3 Bill, 2011, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 16th December, 2011 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."
- (iii) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Railway Property (Unlawful Possession) Amendment Bill, 2011 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd December, 2011"
- (iv) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd December, 2011 agreed without any amendment to the New Delhi Municipal Council (Amendment) Bill, 2011 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19th December, 2011."

Madam Speaker, I lay on the Table the Railway Property (Unlawful Possession) Amendment Bill, 2011 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd December, 2011.

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
18वां प्रतिवेदन**

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन): महोदया, मैं “दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण और नियोजन” के बारे में 28वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN EIGHTH REPORT OF STANDING
COMMITTEE ON WATER RESOURCES - LAID**

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, I beg to lay the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the Eighth Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2011-12), pertaining to the Ministry of Water Resources, and, Madam, I would request that the report may be considered as read.

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN FOURTH REPORT OF STANDING
COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT - LAID**

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI MUKUL WASNIK): Madam, I beg to lay the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the Fourth Report of the Standing Committee on Social Justice Empowerment on Demands for Grants (2010-11), pertaining to the Ministry of Social Justice and Empowerment.

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 11TH REPORT OF STANDING COMMITTEE
ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT - LAID**

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI MUKUL WASNIK): I beg to lay the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 11th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Scholarship schemes for Scheduled Castes and Other Backward Classes, pertaining to the Ministry of Social Justice and Empowerment. The statements may kindly be taken as read.

- - - -

**REFERENCE RE: HOMAGE TO PANDIT MADAN MOHAN
MALAVIYA ON HIS 150TH BIRTH ANNIVERSARY**

1107 hours

MADAM SPEAKER: Hon. Members, 25th December, 2011 marked the hundred and fiftieth birth anniversary of Pandit Madan Mohan Malaviya popularly known as *Mahamana*. An eminent educationist and a social reformer, Malaviyaji worked relentlessly for the resurgence of the country.

Pandit Madan Mohan Malaviya founded the Benaras Hindu University at Varanasi in 1916. He was also one of the founders of Scouting in India.

A freedom fighter, Pandit Malaviya played a prominent role in the freedom movement of the country and actively participated in the Non-cooperation Movement launched by Mahatma Gandhi.

The House pays its homage to this great scholar and eminent educationist on his one hundred and fiftieth birth anniversary.

- - - -

**PREVENTION OF MONEY-LAUNDERING
(AMENDMENT) BILL**

1108 hours

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prevention of Money-Laundering Act, 2002.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce the Bill further to amend the Prevention of Money-Laundering Act, 2002.”

The motion was adopted.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I introduce the Bill.

- - - -

**CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER
(SECOND AMENDMENT) BILL**
[Amendment of Part VI of Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950]

1108 hours

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the State of Karnataka.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the State of Karnataka.”

The motion was adopted.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: I introduce the Bill.

- - - -

ELECTRONIC DELIVERY OF SERVICES BILL

1109 hours

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for electronic delivery of public services by the Government to all persons to ensure transparency, efficiency, accountability, accessibility and reliability in delivery of such services and for matters connected therewith or incidental thereto.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for electronic delivery of public services by the Government to all persons to ensure transparency, efficiency, accountability, accessibility and reliability in delivery of such services and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI KAPIL SIBAL: I introduce the Bill.

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID

1109 hours

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

Comment: Cd. by c1

Re: Need to amend Drugs and Cosmetics Act to provide better and effective medicines at affordable price to the people of the country.

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): सरकार ने देश में एंटी बायोटिक्स के इस्तेमाल को सुनियोजित करने और उस पर निगाह रखने के लिए राष्ट्रीय नीति जारी करके एक महत्वपूर्ण पहल को अंजाम तो दिया है लेकिन एंटी बायोटिक्स का इस्तेमाल भारत में इतनी बुरी तरह से किया जा रहा है कि इन दवाओं का प्रभाव ही खत्म होने लगा है। एक चिंता यह भी है कि भारत में ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं, जिन पर कोई एंटी बायोटिक का काम ही नहीं करती। इसका हल स्वास्थ्य विभाग को जल्द से जल्द खोजना आवश्यक है, क्योंकि इसकी चिंता जो सर पर मंडरा रही है वह यह कि हमारे देश में एंटी बायोटिक दवाओं का कारोबार बेहद अव्यवस्थित है। इसके लिए हमें शीघ्र ही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में सुधार करना होगा।

2. औषधि का क्षेत्र जितना व्यापक है वहां समस्याएं भी उतनी ही विकराल हैं। नीति यह है कि सस्ती जैनरिक दवाओं को बढ़ावा देना है, लेकिन इसके बावजूद मरीजों को डॉक्टरों की लिखी महंगी दवाएँ खरीदनी पड़ती हैं। अक्सर नकली दवाओं का गौरख धंधा भी पकड़ा जाता है। इस मामले में सरकार को सजग होना चाहिए और पूरे औषधि तंत्र को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाना चाहिए तथा जब औषधि क्षेत्र के हालात इतने खराब हो तो केवल एक नीति जारी करने से कुछ नहीं होने वाला। आमूल-चूल बदलाव की जरूरत है। कृपया जनहित में इस पर सकारात्मक कार्रवाई की जाए ऐसी मेरी मांग है।

(इति)

**Re: Need to release a commemorative coin in honour of Mahatma
Ayyankali, the great social reformer**

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Mahatma Ayyankali was a great leader of dalits who were considered untouchables in the caste riddled Indian society in the southern part of India. He fought against the system of untouchability and pioneered many reforms to improve the lives of the dalits. He was in the forefront of movements against casteism. When he demanded educational facilities for dalit children, his demand was turned down. He started a school in order to teach dalit children. This school, too, was burnt by upper caste people. In 1907, he led a strike at Venganoor which lasted for one year. In recognition of his leadership abilities, the then Maharaja of Travancore nominated him to the Sri Moolam Legislative Assembly (Prajasabha) in 1910. His efforts for upliftment of dalits and downtrodden were admired by other great social reformers and thinkers like Sree Narayana Guru. In 1937 when father of the Nation, Mahatma Gandhi visited Venganoor, he praised the efforts of Mahatma Ayyankali. In November 1980, our late Prime Minister Shrimati Indira Gandhi unveiled the statue of this great social reformer and thinker at Kowdiar Square in Trivandrum.

The Dalit community for whom Mahatma Ayyankali fought throughout his life wants to celebrate the Centenary of his nomination to the Sri Moolam Legislative Assembly or Prajasabha.

I, therefore, request the Union Government to release a Commemorative Coin in the memory of this great social reformer so that the whole nation could know about the work done by Mahatma Ayyankali for the upliftment of dalits and downtrodden.

(ends)

Re: Need to declare entire Odisha as drought-hit State and provide a financial relief package for the State

SHRI AMARNATH PRADHAN (SAMBALPUR): The Kharif crop cultivation mainly paddy has been badly affected due to scanty rainfall during monsoon season in the State of Odisha. The drought situation in the entire western Odisha region is so grave that the production of paddy has reached its lowest level. Farmers are facing the problem of distress sale of paddy and are exploited by the middlemen. So, I request the Central Government to declare entire Odisha as drought-hit State and provide a financial relief package for the farmers in the State.

(ends)

Re: Need to take measures to make river Yamuna pollution-free and formulate a scheme to provide drinking water to people living in Delhi

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण की स्थिति अत्यंत बदतर है जिसकी वजह से अनेकों बार बजीराबाद और चंद्रावल बॉटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद करना पड़ता है और परिणामस्वरूप दिल्ली को पानी का संकट झेलना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि चूंकि दिल्ली के पड़ोसी राज्य के पानीपत में स्थित फैक्ट्रियों का केमिकल वेस्ट यमुना में मिलता है। यह वेस्ट ड्रेन-2 में आता है तथा यह ड्रेन सीधे यमुना में गिरता है। ड्रेन-6 घरेलू कचरा लेकर आता है और यह नजफगढ़ ड्रेन में जाकर मिलता है। इस प्रकार केमिकल कचरे यमुना में अमोनिया और क्लोराइड की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पानी के ट्रीटमेंट में अधिक समय लगता है। यदि तय सीमा से अधिक अमोनिया की मात्रा बढ़ जाए तो उसे ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए इतने अधिक क्लोरीन की आवश्यकता होती है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक खतरनाक है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राजधानी दिल्ली से गुजरने वाली यमुना को प्रदूषण रहित बनाए जाने और दिल्ली निवासियों की पानी की समस्या के निदान हेतु एक कारगर योजना बनाकर उसे शीघ्र क्रियान्वित किए जाने हेतु आवश्यक पहल करें।

(इति)

Re: Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री भरत राम मेघवाल (श्रीगंगानगर): राजस्थानी भाषा देश में सातवें और विश्व की भाषाओं में सोलहवें स्थान पर है। राजस्थानी में तीन लाख से अधिक हस्तलिखित ग्रंथ, शब्द कोष, कहावत कोष, व्याकरण आदि इस भाषा की लोकप्रियता और शक्ति के प्रमाण हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी जिस आदिकाल पर गर्व करती है, अधिकांशतः वह राजस्थानी का ही साहित्य है। यह वह भाषा है जिसमें मीर, दादु, रैदाश, सूर्यमल मिषण जैसे कवि हुए हैं। विद्वान यह स्पष्ट कर चुके हैं कि राजस्थान की भाषाई चरित्र खड़ी बोली हिंदी से बहुत अलग है। अनेक देशी और विदेशी विद्वान भी यह स्वीकार करते हैं कि भाषा के उद्गम, विकास, प्रकृति और व्याकरण की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का हिंदी की भाषा-बोलियों के साथ साम्य नहीं है। मराठी, हिन्दी, मैथिली आदि अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि भी तो देवनागरी ही है। जब राष्ट्रभाषा हिंदी संस्कृत की देवनागरी लिपि को अपना सकती है तो राजस्थानी या अन्य भारतीय भाषा क्यों नहीं अपना सकती? सो राजस्थानी के सामने लिपि की समस्या नहीं है। वास्तव में यह तो उसकी खूबी है।

राजस्थानी भाषा का इतिहास 13 सौ वर्ष पुराना है और 1974 से साहित्य अकादमी से मान्यता प्राप्त है। राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए राजस्थान विधानसभा ने सर्वसम्मति से संकल्प प्रस्ताव पारित किया है फिर भी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता से वंचित रखा गया है।

राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता न मिलना न केवल हमारे अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। बल्कि यह पेट से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। लगभग प्रान्तों में उसी प्रांत के अभ्यर्थियों को नौकरियाँ प्राप्त हो पाती हैं जिन्होंने दसवीं की परीक्षा उस राज्य की राजभाषा से उत्तीर्ण की होती है। यह भाषाई अनिवार्यता इसलिए है कि उस प्रांत के लोग उस प्रांत की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् भाषाई सभी प्रकार की परिस्थितियों से परिचित होते हैं। ऐसे लोक सेवकों की सेवाएं राज्य को हर दृष्टिकोण से प्रगति के पथ पर ले जाती है।

राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने से राष्ट्रभाषा हिंदी सुदृढ़ होगी। राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। संवादहीनता की स्थिति समाप्त होगी। राजस्थानी भाषा से साहित्य एवं संस्कृति का विकास होगा तथा हमारा वजूद कायम रहेगा। राजस्थानी भाषा के संवर्द्धन में ही राजस्थान का सर्वांगीन विकास छुपा है।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु आग्रह करता हूँ।

(इति)

Re: Need to provide adequate doctors at Primary Health Centres (PHCs) under National Rural Health Mission and set up more PHCs with adequate infrastructure and medical facilities in the country particularly in Karimnagar Parliamentary Constituency, Andhra Pradesh

SHRI PONNAM PRABHAKAR (KARIMNAGAR): I would like to draw the kind attention of the august House regarding the need to set up more medical colleges by relaxing the existing rules to match the doctor-patient ratio to run the Primary Health Centres (PHCS) smoothly under National Rural Health Mission (NRHM) all over the country particularly in my Karimnagar Parliamentary Constituency, Andhra Pradesh.

I would like to bring to your kind notice that in my Karimnagar Parliamentary Constituency, the PHCs are not catering to the needs of the patients properly due to the shortage of doctors, para medical staff adding and medical equipments. In the rural areas, people hail from the agricultural background who are very poor and they visit PHCs for the treatment of their family members. During my recent survey in my constituency, it is observed that in some PHCs, there are no doctors to treat the patients. Doctors are preferring urban areas and foreign settlements. Due to such prevailing situation, the very purpose of setting up of NRHM is defeated. With this, people are forced to approach private hospitals where they cannot afford such huge medical expenses.

I, therefore, request the Hon'ble minister for Health and Family Welfare, through the Chair, to kindly sanction and set up more medical colleges by relaxing the existing rules to increase the doctor's ratio in the country and also request to fill-up all the posts in PHCs and by setting up more and more PHCs in rural areas with adequate infrastructure all over the country, particularly in my Karimnagar Parliamentary Constituency in Andhra Pradesh in the coming 12th Five Year Plan period with some action plan.

(ends)

**Re: Need to include Warangal district of Andhra Pradesh under
Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission and
provide funds to the scheme for drinking water
schemes and underground drainage systems
in the district**

SHRI RAJAIAH SIRICILLA (WARANGAL): I would like to draw the kind attention of the august House regarding works to be taken up on JNNURM scheme in my Warangal Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh.

The House is aware that JNNURM is meant for cities having more than 10 lakh population. Warangal is a historical place and once ruled by Kakatiya dynasty and it attracts number of tourists and has the great potential for development and also connects the North and South India. Recently 42 villages in and around Warangal are being merged to form Greater Warangal. Taking the revised population into consideration, JNNURM project may be sanctioned for greater Warangal to take up under-ground drainage works and drinking water schemes. These two works should be taken up simultaneously. Otherwise, the purpose will not be materialized. Already Rs.178 crores were sanctioned earlier for drinking water purpose. It is under progress. Unless and until, drainage works are completed,, drinking water scheme cannot be implemented effectively.

Hence, I request the Hon'ble Minister for Urban Development, through the Chair, to kindly take up the drinking water schemes and under-ground drainage systems under JNNURM works in the current XIth Five Year Plan period itself with sufficient budgetary allocations taking into consideration of the revised population of Warangal District in Andhra Pradesh.

(ends)

Re: Need to set up a Fishing Harbour and provide adequate cold storage facilities for preservation of seafoods at Uvari in Tirunelveli district, Tamil Nadu

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Uvari is a coastal village with about 4,000 households and a population of 15,000 situated in my Tirunelveli Constituency, Tamil Nadu. The main occupation of the people is fishing. Many of the men work as sailors and are contributing to the local economy.

Large number of fishermen from this village venture into the sea daily to capture various kinds of Eral fish. Eral is the speciality of Uvari. They are dispatching huge quantities of fish to neighbouring Kerala States, a major consumer of fish and Tuticorin from where the fishes are exported to various countries Viz., USA, Singapore and European countries. Over the years, the consumption of fishes/Eral in Tamil Nadu is also increasing rather than meat which is considered good for health. Eral is not available in all places and this fish is caught in large quantities from June to October within a few kms. radius of Uvari. Ordinary Eral fetches about Rs. 4000 to Rs. 5000 for a kg. and during season, the fishermen in the area earns more income. There are various types of erals Viz., Nran, Flower, Tiger, Singi as also in various colours. They are being sold at the most to Rs. 1,5000 – Rs. 2,000 a kg. Uvari Eral is believed as favorite among the fish eaters and they are moderate in size, high in quality and tasty. Considering the huge potential for fishing in this region, setting up of a fishing harbor at Uvari is a viable option.

The fishers are perishable in nature. During auspicious week days and religious days, sale of fishes are usually less and the left out stocks cannot be stored for long. Hence, the fishermen are facing lot of difficulties due to non-availability of cold storage facilities and incurring huge losses. Such facilities along with fishing harbours are available much in Kerala whereas these facilities are lacking in Tamil Nadu.

I shall, therefore, urge upon the Union Government to set up a Fishing Harbour and to provide adequate Cold Storage Facilities for preservation of sea foods at Uvari in my Tirunelveli District, Tamil Nadu at the earliest.

(ends)

Re: Need to construct a barrage on river Yamuna in Agra, Uttar Pradesh to ensure regular feeding of water to wooden foundation of Taj Mahal and drinking water to the people of the city

प्रो. रामशंकर (आगरा): मेरा लोक सभा क्षेत्र आगरा में स्थित ऐतिहासिक इमारतें विश्व की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। आगरा में विश्वप्रसिद्ध स्मारक के रूप में तीन ऐतिहासिक स्थान ताजमहल, लाल किला व फतेहपुर सीकरी है। जिसको देखने के लिए प्रतिदिन इस समय देशी व विदेशी पर्यटक जिनकी संख्या लगभग 50 से 60 हजार है आते हैं। ताजमहल का निर्माण आज से लगभग 300-400 साल पूर्व सम्राट शाहजहां ने करवाया था। जिस समय ताजमहल का निर्माण हुआ उस समय ताज की नींव का निर्माण लकड़ी एवं चूने के कुंए बनाकर किया गया था तथा उनमें हर समय पानी की आवश्यकता होती थी। इसीलिए ताजमहल का निर्माण यमुना के किनारे पर किया गया था। उस समय वर्षा अधिक होने के कारण यमुना में पानी पर्याप्त मात्रा में रहता था। जिसके कारण ताजमहल की नींव में जो लकड़ी लगी थी उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी रहती थी। आज यमुना नदी सूखने के कारण ताज के अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है। राजस्थान से आने वाली हवाओं के साथ पीले कण आने से ताज का रंग भी पीला हो रहा है जिसको रोकने के लिए यमुना नदी पर बैराज का निर्माण करना अति आवश्यक है। जिससे आगरा के लोगों को पीने का पानी भी सुलभ हो सकेगा।

(इति)

**Re: Need to expedite construction of portion of the East-West
Corridor Project in Assam**

SHRI KABINDRA PURKAYASTHA (SILCHAR): It is a matter of much despair that the progress of Assam portion of the Silchar-Sourashtra Mahasadak (East-West Corridor) is lagging behind like other projects. This project is declared as the National Project by the Government of India in the year 2004 and foundation stone at Silchar was also laid in 2004 with a firm decision of commissioning the same in 2009. The total length of Assam Portion is 672 kms., out of which, only 363 kms. stretch has been completed so far. Always it is said that the main obstacles on the way of progress of work are Law and Order situation, Land acquisition and will of the State Government. As this is a declared National project, Central Government should take initiative to complete the project. As regards land acquisition, the Central Government should take up the matter with the State Government to expedite the matter.

I urge upon both the Governments Central and State to remove obstacles and complete the construction work in war footing and commission the Assam Portion of East-West Corridor within the stipulated time i.e. December, 2013 as has been assured by the authority concerned.

(ends)

**Re : Need to augment rail facilities in Satna Parliamentary Constituency
in Madhya Pradesh and provide better rail connectivity to Satna
city from other parts of the country**

श्री गणेश सिंह (सतना): मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय का ध्यान उस उपेक्षित क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ, जहां से रेलवे को आय अत्यधिक होती है तथा उस क्षेत्र से गाड़ियों का प्रचालन भी बहुत व्यस्त रहता है। लेकिन सुविधा की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। पश्चिम-मध्य रेलवे के अंतर्गत सतना लोक सभा क्षेत्र जिसमें लगभग 100 किमी. से अधिक इलाहाबाद से मुम्बई जाने वाली रेल लाइन मौजूद है। यह वही क्षेत्र है जहां सीमेंट का सबसे बड़ा लदान रेलवे को मिलता है। इसी से रेलवे को कोयले का भी परिचालन होता है। क्षेत्र की जनता लगातार कई वर्षों से छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए मांग करती रही है। मैंने खुद पिछली 14वीं लोक सभा से लेकर अब तक अनेकों बार प्रश्न भी उठाए और व्यक्तिगत रूप से रेल मंत्री जी को भी जानकारी दी। स्वयं पिछले बजट में रेलवे स्टेशन में 15 दिवसीय सत्याग्रह भी किया जिसे तत्कालीन रेल मंत्री जी एवं चेयरमैन से हुई बातचीत के बाद सत्याग्रह को स्थगित करना पड़ा था, किंतु दुर्भाग्य है कि जो बातें की गईं, उनमें से कोई भी कार्य नहीं हो पाया, आने वाले इस रेल बजट में मैं मांग करता हूँ कि निम्नलिखित मांगों को अवश्य पूरा किया जाए।

1. रीवा सतना से इन्दौर के लिए, रीवा सतना से मुम्बई के लिए, रीवा सतना से सूरत के लिए नई यात्री गाड़ियां चलाई जाएं।
2. सतना रेलवे स्टेशन से अप एवं डाउन दिशा में जाने वाली सभी यात्री गाड़ी के सभी श्रेणियों के वी.आई.पी. कोटे सुरक्षित किए जाएं, पूर्व में ऐसी सुविधा थी, लेकिन बाद में उसे बंद कर दिया गया।
3. नई दिल्ली रीवा एक्सप्रेस का समय परिवर्तन किया जाए तथा जैतवारा में उक्त गाड़ी का स्टापेज, कमायनी एक्सप्रेस का जैतवारा में स्टापेज, सारनाथ का मझगावां में स्टापेज एवं रीवा से चलने वाली इंटरसिटी का बगहाई एवं झुकेही में स्टापेज किया जाए।
4. इलाहाबाद से मुम्बई जाने वाली गाड़ी जो सप्ताह में एक दिन चलती है उसे प्रतिदिन तथा उक्त गाड़ी में सतना से सभी श्रेणियों का कोटा आवंटित किया जाए।
5. सतना रेलवे स्टेशन में टर्मिनल एवं अनुक्षण सुविधा कराई जाने के साथ मेरे लोक सभा क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
6. ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन का कार्य तीव्रता से पूर्ण कराया जाए।

(इति)

Re : Need to take measures for the welfare of cotton farmers in the country particularly in Maharashtra

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना): मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि देशभर में और खासकर महाराष्ट्र में किसानों द्वारा आत्महत्या हो रही है और यह समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मुख्य रूप से तीन कारणों से किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है। ये कारण हैं - राज्य में बढ़ती बिजली की लोडशेडिंग, कपास की सस्ते दाम पर खरीद और खाद के बढ़ते दाम।

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि किसानों द्वारा आत्महत्याओं को रोकने के लिए कॉटन प्राइस मैकेनिज्म के बारे में सोची-समझी नीति अपनाने की जरूरत है। किसानों के लिए सस्ते दाम पर खाद एवं बिजली की समस्या पर जल्द-से-जल्द हल निकाले।

मैं माननीय मंत्री जी से विनती करता हूँ कि किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए जल्द-से-जल्द कोई खास कदम उठाएं और देश को गहरे संकट से बचाएं।

(इति)

Re : Need to provide right of ownership of land to SC/ST people facing threat of displacement in Robertsganj Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री पकौड़ी लाल (रॉबर्ट्सगंज): मेरा संसदीय क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज का जनपद-सोनभद्र, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्र है । मैं वनाधिकार 2006 के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ी जाति के बसे लोगों को वन विभाग की भूमि पर मालिकाना हक दिलवाने के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

पुराने जमाने में ग्राम सभाओं से जब सरकार के वन विभाग के नाम से भूमि मांगी तो ग्राम प्रधानों ने वही भूमि वन विभाग को दी जहां पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग बसे थे । वन अधिनियम धारा 04 से धारा 20 हो गई । आज वन विभाग बस्ती को उजाड़ रहा है, जिससे अनुसूचित जाति/जनजातियों को पुनः विस्थापित होने का संकट उत्पन्न हो गया है ।

अतः आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि मामले की जांच कराकर वनाधिकार 2006 के तहत मुद्दा से बसे अनुसूचित जाति/जनजातियों को मालिकाना हक दिलाने का कष्ट करें ताकि ये गरीब लोग उजड़ने से बच सकें ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(इति)

Re : Need to provide adequate quantity of fertilizers at subsidized rates to the farmers in Gautam Buddha Nagar and Bulandshahar districts in Uttar Pradesh

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतम बुद्ध नगर): वर्तमान में किसानों को उर्वरकों पर जो सब्सिडी दी जा रही है, वह बहुत ही कम है। किसानों को महंगी कृषि लागत होने के कारण अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यह विदित ही है कि कृषकों की जीविका का एकमात्र सहारा उनकी कृषि उपज ही है। लेकिन जब उनको अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल सकेगा तो उनकी दयनीय स्थिति होना स्वाभाविक ही है।

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेषकर गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर एवं बुलन्दशहर जनपदों में कृषकों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में कृषि उपज हेतु उर्वरक न मिलने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश राज्य के विशेषकर गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर एवं बुलन्दशहर जनपदों के कृषकों को मांग के अनुरूप रियायती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(इति)

**Re : Need to promote and conserve dialects and languages on
the verge of extinction in the country**

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार कम बोली जाने वाली कुछ भाषाएं एक पखवाड़ा के बाद लुप्त हो रही हैं। यह एक चिंताजनक बात है। भाषा संचार का एक सशक्त माध्यम है। इसके बिना मानव एक-दूसरे को अपनी संवेदना, भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता। मानव बिना भाषा के पशु है।

इस सम्माननीय सदन के माध्यम से मैं यह आग्रह भारत सरकार के कल्चर मंत्री से करता हूँ कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे ताकि कम बोली जाने वाली भाषा लुप्तप्राय न हो सके।

(इति)

Re: Need to make Krishnagiri district of Tamil Nadu as an agricultural export zone and set up Food Processing Industries and cold storages therein

SHRI E.G. SUGAVANAM (KRISHNAGIRI): In Krishnagiri district, Tamil Nadu, Mango cultivation occupies a prominent place. Varieties of Mangoes are cultivated here in nearly 40,000 hectares of land and the annual production is around 4 lakh tonnes. They are sent to various places in the country and exported abroad accruing foreign exchange to the Government besides providing employment opportunity to the local people. Considering the high potential in this region, the National Horticultural Mission has identified and declared Krishnagiri district for promoting mango cultivation. As the mango production is in plenty, so is the production of mango pulp. The mango pulp industry in Krishnagiri district is the second largest exporter of mango pulp in the country.

Likewise tomato, tamarind and capsicum are also produced there in large quantities. Without proper transportation and cold storage facilities, the farmers particularly tomato cultivators are facing huge losses and at many times due to inadequate support price, they are forced to throw tomatoes in the open fields.

Therefore, to cope with the increasing cultivation of mangoes, potato, tamarind and production of mango pulp, I urge upon the Union Government to set up adequate number of food processing industries, cold storage facilities and also to set up an agricultural Export Zone in Krishnagiri district, Tamil Nadu at the earliest.

(ends)

Re: Need to check soil erosion by rivers in northern parts of West Bengal

SHRI MAHENDRA KUMAR ROY (JALPAIGURI): A large number of rivers flowing down the Himalayas and Bhutan Hills which pass through the districts of North Bengal especially Jalpaiguri, part of Cooch Behar and Siliguri are causing havoc to properties and human lives. Due to erosion, the people living along both sides of rivers namely Teesta, Kaljani, Torsa, Mohananda, Raidak are affected and losing lives and property. A large number of people of these districts namely Vivekananda Pally colony near Jalpaiguri town, areas in and around Siliguri along the river Mohananda, Apalchand village in Changmari mouza in Jalpaiguri district, Mekliganj, Magumari and Kuchlibari in the district of Cooch Behar are the worst victims of these onslaught due to heavy erosion of soil by the swift current of the river. Even some of the villages have been completely washed away. It has, now, become imperative on the part of the Government of India and Government of Bhutan to take a note of the situation and take some effective measures before the situation goes out of control.

(ends)

Re: Need to develop Baripada Railway Station in Odisha as a full-fledged railway station

SHRI LAXMAN TUDU (MAYURBHANJ): Baripada Railway Station which falls under my Parliamentary Constituency Mayurbhanj is more than 100 years old station and comes under South Eastern Railway. Baripada was the first to witness a train communication in the State of Odisha. The annual total revenue of this station is around Rs. 84 Lakhs so it deserves to be classified as D class station as per the extant rules of Indian Railway. Baripada Railway station is a single line platform. It needs to be developed to D standard railway station. Baripada is the only railway station in the whole country with 1 in 115 gradients in station, where no further development can be done in future. While railways authorities are doing development works and modernizing railway stations in Jammu, Srinagar, Darjeeling, Jalpaiguri and various other railway stations at hilly areas, which are more gradient than Baripada, it is not justified on the part of South Eastern Railway not to take up the development work of Baripada station and doubling of the track at Baripada even though sufficient railway land is available.

I would like to request the Ministry of Railway through this august House to take immediate action for developing Baripada as a full-fledged railway station in the interest of Railways passengers.

(ends)

**Re: Need to provide drinking water in Andhra Pradesh particularly in
Narasaraopet Parliamentary Constituency of the State**

SHRI M. VENUGOPALA REDDY (NARASARAOPET): I would like to draw the kind attention of the august House regarding the problems being faced by the people in getting the drinking water in my Narasaraopen Constituency in Andhra Pradesh.

In my Narasaraopet Constituency many areas are facing acute drinking water shortage. There are neither proper pipelines, nor borewells or any other alternative arrangements to facilitate drinking water in the area. Many hamlets are reeling under acute scarcity of water. The ground water has been completely depleted in all the areas of Andhra Region. The borewells are dried up. The worst sufferers are the women. People have to fetch water from about 5 to 7 kilometers for their daily needs. The Government of Andhra Pradesh has been making efforts but due to inadequate funds, the genuine demands of the people have not been met, so far. Nagarjuna Sagar Canal had become dry and the areas dependent on the said Canal are facing acute shortage. The Central Government should find an alternative to get the water from other sources to my Narasaraopet Constituency and other areas. Less rainfall and drought have added to the problem in my constituency.

I, therefore, request the Hon'ble Minister of Drinking Water and Sanitation to intervene in the matter and provide at least potable water in the backward areas by announcing a special package, particularly for my constituency – Narasaraopet in Andhra Pradesh.

(ends)

Re: Need to review the decision to set up proposed nuclear power plant at Gorakhpur village in Fatehabad district, Haryana

SHRI KULDEEP BISHNOI (HISAR): The people of 30 villages of Fatehabad district of Haryana have been staging Dharna for the last 16 months against the proposed Nuclear Power Plant at Gorakhpur Village. The proposed Plant if set up will not only deprive thousands of farmers of their 1500 acres of fertile agricultural land but also flout the norms of Atomic Energy Regulatory Board which says that no habitation of over 10000 people should exist within 6.6 km of sterile zone from the boundary of any nuclear power plant.

Through this August House, I urge upon the Government not to pursue setting up of the proposed nuclear power plant at Fatehabad which if set up will not only endanger the lives of lakhs of people in the area but also cause heavy loss to agricultural crops like wheat, mustard, rice and cotton being sown in the area.

(ends)

(c/1110/san-raj)

ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH BILL
Amendments made by Rajya Sabha

1110 hours

MADAM SPEAKER: Now, the Minister is to move that the amendments made by Rajya Sabha in the Academy of Scientific and Innovative Research Bill, 2011, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI VILASRAO DESHMUKH): Madam, with your permission, I beg to move:

“That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill to establish an Academy for furtherance of the advancement of learning and prosecution of research in the field of science and technology in association with Council of Scientific and Industrial Research and to declare the institution known as the Academy of Scientific and Innovative Research, to be an institution of national importance to provide for its incorporation and matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration:-

CLAUSE 9

1. That at page 7, *for* line 7, the following shall be substituted, namely:-

" (2) The Academy shall make"

2. That at page 7, line 11, *after* the word "citizens", the following shall be *inserted*, namely:-

"and any exemption from making such reservation under the proviso to clause (b) of section 4 of the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006 shall not be applicable to this Academy."

5 of 2007

MADAM SPEAKER: Motion moved:

“That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill to establish an Academy for furtherance of the advancement of learning and prosecution of research in the field of science and technology in association with Council of Scientific and Industrial Research and to declare the institution known as the Academy of Scientific and Innovative Research, to be an institution of national importance to provide for its incorporation and matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration:-

CLAUSE 9

1. That at page 7, *for* line 7, the following shall be substituted, namely:-

" (2) The Academy shall make"

2. That at page 7, line 11, *after* the word "citizens", the following shall be *inserted*, namely:-

"and any exemption from making such reservation under the proviso to clause (b) of section 4 of the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006 shall not be applicable to this Academy."

5 of 2007

1112 hours

SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR (PARBHANI): Hon. Speaker, I thank you for giving me the opportunity to participate in this discussion.

Shri Vilasrao Deshmukh is one of the best parliamentarians. Both of us are residing in the same State, Maharashtra. He comes from Marathwada region and I also come from that side.

Hon. Minister has introduced in the Parliament a Bill to establish an Academy of Scientific and Innovative Research in association with CSIR. It is a step forward in a country like India, for creating innovative research in science and engineering which will definitely strengthen the economy of the nation.

The knowledge economy is playing significant role in nation's development. The nation has already established the Central institutes like CSIR, NCL and a Central University, but they are nowhere in the ranking of world's academic institutions, which reflects the pathetic conditions of Indian education on the world scenario.

The Bill on the establishment of this Institute is silent about its location and number. The Academy of Scientific and Innovative Research Institute has powers to introduce all disciplines in science and technology under one roof at one place, but it is also desirable to introduce one such institute in each state in rural area, which will benefit to identify the talent and it would be nurtured to its highest potential for the development of the country.

MADAM SPEKAER: Please speak on the amendment. Do not speak for long.

SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR (PARBHANI): Madam, I am taking part for the first time. So, please allow me. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You have got so many papers. Are you going to read out all of them?

... (*Interruptions*)

SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR (PARBHANI): No. I am going to speak only on two or three points.

MADAM SPEAKER: Okay. You talk on the amendments only.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: This is his first speech. Let him speak.

Do not take long. Do not take advantage of that.

SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR (PARBHANI):

Madam, as suggested by the Standing Committee, the Institute should provide skilled manpower of technical capability to small and medium scale industries with non-degree programmes. It should also undertake to establish Science and Technology Park to meet the demands of industry for promoting their products. (d1/1115/ak-nsh)

Comment: Contd by D

Comment: Sh Dudhgaonkar cd..

Due to establishment of institutes, the youth of this nation -- who has immense potential -- will get an opportunity for pursuing innovative research in emerging areas of science and technology. The establishment of this academy will give a right direction and message to those academic fraternity among the students who are relentlessly searching to achieve their dreams in innovation, and will find a place for solace and thereby preventing brain-drain.

Such institutes, of high quality and standard, would definitely help to generate value-added products in agriculture and food grain industry through different organization and movement like Self-Help Group (SHG), which will generate employment in rural areas and also help harnessing the rural talent of the country.

The establishment of the academy is a good service to society in relation to science and technology. At the same time, the innovative researches carried out in various Central and State universities; Central institutes; Central and State Government colleges should be identified and given a status on par with such institutes.



Composition of academy of scientific and innovative research is one of the best as it is composed of persons of high calibre who are working in different strata of society and who have given a right direction to the masses.

Lastly, I am of the opinion that the establishment of such institutes would add to the academic development of the nation. Therefore, such institutes should get self-academic momentum to sustain its credibility on the educational scenario of the world. Otherwise, it would be a step in futile. Thank you.

MADAM SPEAKER: Thank you. Hon. Minister, do you have anything to say anything?

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI VILASRAO DESHMUKH): Madam, I am really thankful to the hon. Member because he was speaking mostly on the original Bill. But whatever suggestions he has made and the expectations that he has made from the Academy, I shall try my best to fulfil those aspirations.

I once again appeal to the House to agree to the Amendments.

(ends)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदया, इसमें कुछ संवैधानिक गलती है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उन्हें किसने समय दिया?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अभी तक हमने समय नहीं दिया है। किसी और ने दे दिया है और आप खड़े भी हो गए।

...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): आपने समय नहीं दिया मगर इन्होंने ले लिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : पता नहीं कैसा लेन-देन हो गया। स्पीकर को पता ही नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, बहुत संक्षेप में बोलिए।

...(व्यवधान)

1117 hours

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): मैं केवल संविधान के शब्द की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। संविधान में शब्द दिया हुआ है ओबीसी (अदर बैकवर्ड क्लास)। उसकी जगह पर इन्होंने लिखा है - अनुसूचित जाति, जनजातियों और नागरिकों के अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों। संविधान में व्यक्ति नहीं है, वर्ग है, अन्य पिछड़े वर्ग। व्यक्तियों का मतलब व्यक्ति हो जाएगा। अनुच्छेद के 15(4) और 16(4) में संविधान की जो भाषा है, वह वर्ग कहता है, व्यक्ति नहीं कहता, इसलिए इसे सुधार कर, इतना न लिखकर सीधे 'अन्य पिछड़े वर्गों' होना चाहिए। केवल इतना ही देने से यह संविधान की भाषा होगी।...(व्यवधान)

(ends)

MADAM SPEAKER: Shri Shailendra Kumar, and you are the last speaker.

1118 hours

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2011 में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस बिल के बारे में कहना चाहूंगा कि खंड 9, प्वाइंट 2 पर अकादमी महिलाओं, निशक्ताग्रस्त व्यक्तियों या समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करेगी लिखा है। आपने जिस प्रकार एससी, एसटी, ओबीसी लिया है, मैं चाहूंगा कि इसमें एक संशोधन कर दें कि जो माइनोंरिटी के लोग हैं, उन्हें भी इसमें शामिल कर दें, तो मेरे ख्याल से इस बिल का मकसद पूरा हो जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

(ends)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, do you want to respond?

Comment: Fld. by e1



(e1/1120/ak-rjs)

1120 hours

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री विलासराव देशमुख): अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने माइनोरिटीज के बारे में अपनी बात रखी है। ...(व्यवधान) कांस्टीट्यूशन में जो व्यवस्था है, उस तरह इस बिल में व्यवस्था नहीं की गयी है। भविष्य में इस बारे में सोचा जा सकता है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The question is :

“That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill to establish an Academy for furtherance of the advancement of learning and prosecution of research in the field of science and technology in association with Council of Scientific and Industrial Research and to declare the institution known as the Academy of Scientific and Innovative Research, to be an institution of national importance to provide for its incorporation and matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration:-

CLAUSE 9

1. That at page 7, *for* line 7, the following shall be substituted, namely:-

" (2) The Academy shall make"

2. That at page 7, line 11, *after* the word "citizens", the following shall be *inserted*, namely:-

"and any exemption from making such reservation under the proviso to clause (b) of section 4 of the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006 shall not be applicable to this Academy."

5 of 2007

The motion was adopted.

CLAUSE 9

MADAM SPEAKER: Now, we shall take up Amendments made by Rajya Sabha.

The question is :

1. That at page 7, *for* line 7, the following shall be substituted, namely:-

" (2) The Academy shall make" (1)

2. That at page 7, line 11, *after* the word "citizens", the following shall be *inserted*, namely:-

5 of 2007 "and any exemption from making such reservation under the proviso to clause (b) of section 4 of the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006 shall not be applicable to this Academy." (2)

The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: The Minister may now move that the amendments made by Rajya Sabha in the Academy of Scientific and Innovative Research Bill, 2011, as passed by Lok Sabha, be agreed to.

SHRI VILASRAO DESHMUKH: I beg to move:

“That the amendments, made by Rajya Sabha in the Bill, be agreed to.”

MADAM SPEAKER: The question is:

“That the amendments, made by Rajya Sabha in the Bill, be agreed to.”

The motion was adopted.

**LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL;
CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND SIXTEENTH
AMENDMENT) BILL
(Insertion of new Part XIVB);**

AND

**PUBLIC INTEREST DISCLOSURE AND PROTECTION TO PERSONS
MAKING THE DISCLOSURES BILL -- contd.**

1122 hours

MADAM SPEAKER: Item Nos. 17, 18 and 19 are to be taken up together. The hon. Minister to move for consideration of these three Bills one by one.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Hon. Speaker, Madam, with your kind permission, I beg to move the following :

“That the Bill to provide for the establishment of a body of Lokpal and Lokayuktas for States to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”;

“That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.”;

AND

“That the Bill to establish a mechanism to receive complaints relating to disclosure on any allegation of corruption or willful misuse of power or willful misuse of discretion against any public servant and to inquire or cause an inquiry into such disclosure and to provide adequate safeguards against victimization of the person making such complaint and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

Hon. Speaker, Madam, I am grateful to you for having given me this opportunity to speak. ... (*Interruptions*)

Hon. Speaker, there was a need to have a legislation of Lokpal, which has been felt for quite a long time. In 1966, the Administrative Reforms Commission, when it filed its interim report, has recommended that the problem of redressal of grievances of citizens to be made in the form of Lokpal at the Centre. A total of eight Bills was introduced by the respective Governments in the Parliament to give effect to the recommendations of the Administrative Reforms Commission. Seven of those Bills lapsed, and one Bill was withdrawn in 1985.

Thereafter, when the UPA Government came to power, several legislations have been considered as far as the Lokpal is concerned. Ultimately, in 2010, the formulation was made for Lokpal with the help of the Law Ministry.

Madam, I would like to remind this august House that in 2010 when the AICC Session took place, the hon. Congress President and UPA Chairperson gave a clear signal that the anti-corruption mechanism in this country is to be strengthened and also the discretionary powers vested with the Central Ministers to be removed. In line with this, in January 2011, the hon. Prime Minister constituted a Group of Ministers for the purpose of curbing corruption. The hon. Finance Minister was heading the team, and a series of measures were taken like drafting of the Lokpal Bill; the electoral reforms; removing the discretionary powers of the Minister; and open-tender policy by public procurement. (f1/1125/sh-rps)

Comment: cd.. by fl

Comment: Shri V. Narayanasamy - Cd

Also, things like Open Mining Policy, constitution of Special Courts to decide criminal cases under Special Courts Act, etc., have all been the issues given to the hon. Finance Minister to deal with. The Committee submitted its interim Report.

In the meanwhile, a new experiment was made. In April, 2011, there was a demand that the civil society or private parties should be involved in drafting of the legislation. The Government considered that as a new experiment. The hon. Minister headed a team comprising the hon. Home Minister, hon. HRD Minister, the then hon. Law Minister, Shri Veerappa Moily, and the present hon. Law



Minister, Shri Salman Khursheed along with Shri Anna Hazare and others. They went into the question. They brought the Jan Lokpal Bill; the Government version of Lokpal Bill was also there. Ultimately, after several deliberations and discussions, there was no agreement on the basic principles, as far as the institution of Prime Minister, the judiciary, etc., are concerned. They wanted that the judiciary should be brought within the purview of the Bill. They wanted the functioning and the voting rights of the Members of Parliament within Parliament should be brought within the purview of the Bill. They made several demands which were not in accordance with the provisions of the Constitution.

Therefore, the Government decided to bring in a new Bill. On the 4th of August, 2011, the Government brought a Bill before this august House for the introduction of the Bill. Then, Shri Anna Hazare went on a hunger strike. Later when there was a discussion in this House, there was a resolution moved by the hon. Finance Minister:

“This House agrees in principle on the Citizens’ Charter, lower bureaucracy to be brought under the Lokpal through appropriate mechanism and the establishment of the Lokayuktas in the States.

Further, the hon. Finance Minister also said:

I will request you to transfer the proceedings to the Departmentally-related Parliamentary Standing Committee for its perusal, while formulating the recommendations for the Bill.”

That was the sense of the House that there should be a Citizens’ Charter, the lower bureaucracy should be brought within the ambit of Lokpal through appropriate mechanism and Lokayuktas in the States should be established on the lines of Lokpal. After considering all these aspects, the Standing Committee went into it and submitted its Report. Since several amendments have to be carried out in line with that, the Government therefore thought it fit to bring in a new Bill after withdrawing the old Bill.

I would now like to explain the salient features of the Bill one by one in detail.

I would like to submit that in the first place, the Bill seeks to have a Lokpal at the Centre and a Lokayukta in the same model in all the States. It has been incorporated in the Lokpal Bill.

Secondly, the Lokpal will consist of a Chairman and eight other members. Fifty per cent of those members will be judicial members, and the others are to be eminent persons. For the purpose of reservation, a provision has been made that 50 per cent reservation should be there for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Minorities and Women. ... *(Interruptions)*

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम, यह संघीय ढांचे पर हमला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, अभी आप बैठिए।

(Interruptions) ... (Not recorded)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record. The hon. Minister is speaking.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : अभी बैठ जाइए। Hon. Minister, please go on.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, there is a Selection Committee. Hon. President of India is the appointing authority. The Selection Committee to select the Lokpal is headed by the hon. Prime Minister and it comprises of the hon. Speaker, Lok Sabha; hon. Leader of the Opposition; hon. Chief Justice of India or the sitting Justice of SC nominated by the Chief Justice, and an eminent jurist nominated by the President of India. ... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

SHRI V. NARAYANASAMY: There is also a Search Committee. The Search Committee will be guided by the Selection Committee. The Search Committee will comprise of eminent persons. The Search Committee will also have

reservations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Minorities and Women.

Madam, I would like to say that Lokpal can constitute an Inquiry Wing.
|(g/1130/jr-sr)

Comment: Cd by g1

Comment: v. narayanaswamy cd.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य, जब आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहना। कृपया अब बैठ जाएं।

SHRI V. NARAYANASAMY: The Director of Inquiry will be appointed by the Lokpal. Also for the prosecution, they will have a Prosecution Wing. The Director of Prosecution will be appointed by the Lokpal. According to the provisions of the Act, the four categories of employees -- Group 'A', 'B', 'C' and 'D' -- have been covered in the Lokpal Bill. As far as Class 'A' and Class 'B' Central Government employees, employees of the Corporation, civil society and all the organisations, even getting donations from outside and public people are concerned, they are also coming under the purview. I would like to submit that as far as Class 'A' and Class 'B' employees are concerned, the inquiry will be conducted either by the Inquiry Wing of the Lokpal or by the CVC and then the report will be submitted to the Lokpal by them. As far as Class 'C' and 'D' employees are concerned, the Lokpal will forward this to the CVC and the CVC will conduct inquiry and according to the CVC Act, they will proceed further by way of departmental proceedings, criminal proceedings or dropping the proceedings against the persons concerned.

When any complaint comes to the Lokpal about any person, the Lokpal, after preliminary inquiry, if it is found that there is a *prima facie* case, they can forward it to the CBI for the purpose of inquiry. It is an independent mechanism. The CBI will conduct the investigation and thereafter they will submit the report to the Lokpal. This is the mechanism that has been worked out. ... (*Interruptions*)
Let me complete. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. You speak when it is your turn.

... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: There is one very important aspect. There is one provision. The sanction for prosecution has been done away with. That is a very important thing in the Bill. Apart from that, the Director of CBI is selected by the hon. Prime Minister, hon. Leader of the Opposition and also by the hon. Chief Justice or his nominee. Therefore, all the fine balance of the Legislature, the Executive and the Judiciary has been kept in place. There is a provision for conducting the inquiry in a time bound manner, investigation has to take place and prosecution has to be done. It has been made very clear in the Act. The time for preliminary inquiry is fixed as three months initially and it is extendable further by three months. As far as investigation is concerned, initially the time has been fixed as six months for completion of the investigation and if they want to extend the time, it can be done by another six months. As far as the prosecution is concerned, one year is the minimum time and then it can be extended by another one year. Therefore, the time frame has been mentioned. The maximum punishment which was seven years, has been increased to ten years.

Several consequential amendments have been made. On the 22nd when we had the discussion in this august House, the issue was raised about the competence of the Parliament to legislate. I would like to submit that under Article 253 of the Constitution, it is very clearly mentioned that the Parliament has the power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries or any decisions made at any international conference, association or any other body. India became the signatory to the United Nations Convention against Corruption in May 2011. Then there is an international agreement signed and anti-corruption is one of the main issues in that Convention. Article 3 of the Convention says:

“The Convention shall apply to the prevention, investigation and prosecution of corruption and to see that confiscation and return of the proceeds of offences established in accordance with the Convention.”

Therefore, it has been agreed to in compliance with that International Convention. Therefore, under Article 253 of the Constitution, the Government has the power. I would like to quote from the Standing Committee. ... (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Let him quote what Article 243 says. ... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: You speak when your turn comes. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let him speak peacefully. What is all this? Nothing else will go on record.

(*Interruptions*) ... (*Not recorded*) |

Comment: fd. by h1

(h/1135/vp/har) |

Comment: Narayanasamy cd.

SHRI V. NARAYANASAMY: Before the Standing Committee, hon. former Chief Justice of India, Mr. J.S. Verma made this observation and he gave a note also. I would like to quote him. He said:

“Article 253 of the Constitution confers the legislative competence needed to implement the UN Convention which has been signed and ratified by India. It is relevant to highlight that Article 6 of the Convention enshrines a specific obligation for the member-States to establish bodies that prevent corruption.”

Then, the Seventh Schedule of the Constitution – List III, Item nos. 1, 2 and 11A –also gives powers to the Central Government to legislate.

Now, the States want to have a separate legislation. Why do we want to have legislation in the States, on par with the Lokpal? It is because in some of the States, the Lokayukta is not effective. The anti-corruption mechanism is not working. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record. Please take your seats.

(*Interruptions*) ... (*Not recorded*)

SHRI V. NARAYANASAMY: I would like to state this. Take the case of Gujarat.

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record. Please take your seat. Let him speak. You may speak when you get your chance.

(Interruptions) ... (Not recorded)

SHRI V. NARAYANASAMY: In the State of Gujarat, for the last eight years, Lokayukta is not there at all. Why? ... *(Interruptions)* Why is it not there? ... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Please take your seats. Let him speak. You will speak, when you get your chance. Nothing else will go on record. Please take your seats. All of you please take your seats.

(Interruptions) ... (Not recorded)

SHRI V. NARAYANASAMY: When there is a uniform legislation, there will be effective Lokayuktas in the States also. There will be effective Lokayuktas in the States also.

I would like to state one important aspect.

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record. Why are you standing? Please sit down. Please take your seats. You can speak when you get your chance.

(Interruptions) ... (Not recorded)

SHRI V. NARAYANASAMY: About the institution of the Prime Minister, I would say that it is sacrosanct. The hon. Prime Minister is representing 120 crore population of this country. When he goes abroad, he is respected. Our Prime Minister has got an impeccable record.

But in 2001, when the Lokpal Bill was brought by the NDA regime – I would like to remind them – Shri Vajpayee was the Prime Minister. When the Prime Minister was to be included in that Bill, for two years, the Bill did not see the light of the day! Even after the Standing Committee gave the recommendation, it did not see the light of the day because some of the Ministers from the BJP had opposed the inclusion of the Prime Minister within the ambit of the Bill.

As far as our Prime Minister is concerned, though we refuse, hon. Prime Minister has made it very clear that the Prime Minister should be brought within the ambit of the Bill.

Therefore, we would like to say this. ... (*Interruptions*) Madam, I am not amused and I am not surprised because everybody in this country knows how different States have different stands, according to their own convenience. I do not want to go into that aspect.

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record, except what the Minister is saying.

(Interruptions) ... (Not recorded)

SHRI V. NARAYANASAMY: About the investigative mechanism that has been given to the CBI, some of the political parties say that it should be brought within the ambit of Lokpal, the investigative mechanism should be there. I would like to submit to all the Members of this august House – they want that the administration should be within Lokpal, it should be controlled by the Lokpal; they want judiciary to be controlled by Lokpal; they want legislature to be controlled by Lokpal. How is it possible? The Members of Parliament should come within its purview; the judiciary should come within its purview; apart from that, they say that even the administrative wing of the Government also should be within its purview. |

Comment: Cd J

(j/1140/rk-bks)|

Comment: Narayanswamy cd

Madam, it is unfortunate that they want to remove even the powers of hon. Speaker.... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने दीजिए।

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I would like to submit that the Supreme Court in Vinnet Narain's case has made it very clear that the independence of the investigation wing of CBI should remain intact and even the Supreme Court cannot interfere in the investigation of CBI. Therefore, Madam, all this fine



tuning has been done and the Bill has been placed for consideration of this august House.

The hon. Members are fully aware that when we say that it is a path-breaking legislation, a lot of criticism is being made. I would like to make it very clear that in no other legislation except this Lokpal Bill there is a provision to confiscate the property before punishment being accorded. This provision is not there in any other legislation in this country. The Lokpal has got powers to recommend to the Government to transfer or suspend an officer. Apart from search and seizure, this power has been given to him. Moreover, for the first time, by legislative competence, by an earlier Government order the disclosure of assets and liabilities of the persons has been made mandatory. Therefore, if anybody says that it is a weak Bill, he has not read the Bill properly and is making comments just like that. Let the Members read the Bill as only then they will understand the niceties of the Bill. A fine balance has been maintained in this Bill.

Our Government is committed to uphold the Constitution of this country. The basic structure of the Constitution is very important. Unfortunately, some people are trying to say that they are the champions of democracy. This House is supreme and we will go by whatever this House decides.

With these words Madam, I commend this Bill for consideration and passing.

I would also like to say that to give constitutional status to Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011, the Standing Committee gave some recommendation which has been accepted by the Government. In line with that a Bill has been moved before this august House and I would request the hon. Speaker that this may also be taken into consideration.

Madam, there is another anti-corruption measure which has been taken by our Government. We have reworded the Public Interest Disclosure and Protection to Persons Making the Disclosures Bill, 2010 as the Whistleblowers' Bill. This

may also be taken up for consideration so that we can give reply on all these subjects together

The other pending Bills like the Anti-Corruption ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, have you moved Item No.19?

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes, Madam. There are amendments given separately.

(ends)

MADAM SPEAKER: Since the hon. Minister has moved Bills listed at Sl. Nos. 17, 18 and 19, we will have discussion on all these three Bills together.

Motions moved:

“That the Bill to provide for the establishment of a body of Lokpal for the Union and Lokayuktas for States to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

“That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.”

“That the Bill to establish a mechanism to receive complaints relating to disclosure on any allegation of corruption or willful misuse of power or willful misuse of discretion against any public servant and to inquire or cause an inquiry into such disclosure and to provide adequate safeguards against victimization of the person making such complaint and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

1144 बजे

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। अभी श्री नारायनसामी जी ने तीन बिल सदन में चर्चा के लिए रखे हैं - लोकपाल विधेयक, संविधान संशोधन का 116वां विधेयक और व्हिसल ब्लोअर विधेयक। जिस उत्तेजना में, जिस मुद्रा से मंत्री जी ने यह बिल सदन में पेश किया, उससे लगता है कि सरकार बहुत नाराजगी में यह बिल लेकर आई है।

महोदया, आपने अनेक मंत्रियों को बिल प्रस्तुत करते देखा होगा,

(k1/1145/cs-nrj)

चूंकि बिल पारित कराना होता है, इसलिए मंत्री जी बहुत शांति से, शांत मुद्रा में बिल रखते हैं और अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कीजिये, लेकिन ऐसा लगता था कि वे तो लड़ने के लिए तैयार थे। बजाय बिल के प्रावधानों पर बोलने के, वे एक राजनीतिक भाषण कर रहे थे।

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम): मैडम, उनकी आवाज ही ऐसी है।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): आवाज पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं उनके भाव और मुद्रा की बात कर रही हूँ।

महोदया, पिछले एक वर्ष से इस देश में लोकपाल की चर्चा हो रही है। अपना हजारे जी के जनआन्दोलन ने इस चर्चा को गरमा दिया है। इसलिए देश बहुत उत्सुकता से यह प्रतीक्षा कर रहा था... (व्यवधान) देश बहुत उत्सुकता से यह प्रतीक्षा कर रहा था कि शीतकालीन सत्र में सरकार एक बिल लेकर आयेगी। जिस बिल में से एक सशक्त, एक प्रभावी लोकपाल निकलेगा, जो भ्रष्टाचार पर करारी चोट करेगा और लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलायेगा। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो बिल सरकार लेकर आयी है, उसमें इतनी त्रुटियाँ हैं, इतनी खामियाँ हैं कि उसने हम सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

महोदया, यह बिल संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लंघन करता है, यह बिल एक कमजोर और सरकारी लोकपाल पैदा करता है, यह बिल अनेकानेक विकृतियों और विसंगतियों से भरा हुआ है और यह बिल इस सदन में बनी हुई सेंस ऑफ दि हाउस की अनदेखी करता है।

महोदया, जिस समय यह बिल पेश किया जा रहा था, आज नहीं जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उस समय आप पीठासीन नहीं थीं। मगर उस समय के पीठासीन सभापति जी से भी अनुमति लेकर मैंने इस बिल पर दो संवैधानिक आपत्तियाँ उठायी थीं। एक, जिसे आज अभी लालू जी ने कहा कि यह बिल संघीय ढाँचे पर प्रहार करता है और दूसरा, यह बिल संविधानसम्मत आरक्षण का प्रावधान नहीं करता। पेश किये

Comment: (cd. by k1)

Comment: Sushma swaraj contd.

जाते समय आप बहुत लंबी बात नहीं कह सकते, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी करनी होती है, इसलिए तब मैंने संक्षेप में अपनी बात कही थी। आज मैं विस्तार से अपनी बात कहना चाहूंगी और इन चारों आरोपों को, जो मैंने इस बिल पर लगाये हैं, तर्क और तथ्य के साथ इस सदन में पुष्ट करना चाहूंगी।

महोदया, हमारे देश के संविधान के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। बहुचर्चित केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारतीय संविधान में किसी भी तरह का संशोधन संसद कर सकती है, पर बुनियादी सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। वे **basic features of the Constitution** जो उन्होंने लिखे, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर, देश के संघीय ढांचे को भी एक बुनियादी सिद्धांत माना। इस बुनियादी सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए हमारे संविधान के सातवें शैड्यूल में तीन सूचियां बनायी गयी हैं। एक सूची है सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, केंद्र की सूची, संघ की सूची, एक सूची है स्टेट लिस्ट, राज्यों की सूची और एक सूची है कान्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तीनों सूचियों में अलग-अलग विषय वर्णित किये गये हैं। संघ की सूची पर भारतीय संसद कानून बना सकती है, राज्यों की सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य की विधान सभाओं को है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों ने कानून बना दिया तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। ऐसा हमारे यहां प्रावधान है।

अब मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह बिल लोकपाल और लोकायुक्त दोनों का प्रावधान कर रहा है। लोकपाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को देखेगा और लोकायुक्त राज्य सरकारों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को देखेगा। राज्य सरकारों के कर्मचारी, यह हमारे यहां स्टेट लिस्ट का विषय है। यह मेरे पास संविधान है, संविधान की **Seventh Schedule, List II - State List, Entry 41, State Public Services**।

(11/1150/hcb/snb)

यानी राज्य सरकार के कर्मचारियों के बारे में कोई भी कानून बनाने का अधिकार इस देश में राज्य की विधान सभाओं को दिया गया है। लेकिन इसी संविधान में दो धाराएँ ऐसी हैं जहाँ राज्यों के विषय पर भी केन्द्र कानून बना सकता है। वे दो धाराएँ हैं 252 और 253, मैं इन दोनों के भी शीर्षक आपको पढ़कर सुनाती हूँ। 252 कहता है :- “The power of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by other States”.

यानी दो राज्य अगर केन्द्र सरकार से कहें कि आप अमुक विषय पर बिल बना दो तो भारतीय संसद बना सकती है, और बाकी राज्यों के लिए एक एनेबलिंग प्रोविज़न देती है कि अगर आप भी इस बिल

Comment: Contd. By II

Comment: Smt. Sushma Swaraj cd



को अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं। दूसरा है धारा 253 - “Legislation for giving effect to international agreements”, जिसका जिक्र अभी नारायणसामी जी कर रहे थे।

अध्यक्ष जी, जिस समय इस सदन में सैन्स ऑफ द हाउस लेने के लिए चर्चा हो रही थी, तो जो तीन विषय नेता सदन ने रखे थे, उनमें एक विषय यह भी था कि क्या लोकपाल और लोकायुक्त एक साथ बनाए जा सकते हैं, एक एक्ट के अंतर्गत बनाए जा सकते हैं? उस समय भी मैंने यहाँ खड़े होकर कहा था कि बनाया जा सकते हैं मगर रास्ता 252 का अख्तियार करें।

अध्यक्षा जी, इसके बाद तीन प्रश्न आते हैं जो नेता सदन ने हमारे विचार के लिए अपने वक्तव्य में उठाए हैं। एक विषय है कि क्या एक ही एक्ट से लोकपाल और लोकायुक्त बन सकता है? संविधान का अनुच्छेद 252 हमें यह अधिकार देता है कि दो राज्यों के समर्थन से यह लोक सभा एक एनेबलिंग प्रोविज़न के साथ ऐसा कानून बना सकती है जिसे बाद में राज्य स्वीकार कर सकें। मैं कहना चाहती हूँ कि अनुच्छेद 252 को हम देख लें। उसमें यह लिखा है - The power of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by other States.

इसके तहत हम एक ही बिल से लोकपाल और लोकायुक्त बना सकते हैं। दो राज्यों के समर्थन से बना दें, बाकी राज्यों के लिए एक एनेबलिंग प्रोविज़न बना दें जिससे राज्य सरकारें उसको एडॉप्ट कर सकें ताकि कोई राज्य सरकार यह न कह सके कि हमारे पास कोई मॉडल बिल नहीं है। जब-जब सरकार से अलग से बात हुई तो हमने यह कहा कि 252 का रास्ता अख्तियार कर लीजिए, एक बिल बना दीजिए ताकि राज्य सरकारों की इच्छा होगी, अगर वे उस बिल को लेना चाहेंगे तो जस का तस ले लेंगे, संशोधित रूप में लेना चाहेंगे तो संशोधित रूप में ले लेंगे और नहीं लेना चाहेंगे तो नहीं लेंगे। लेकिन यह 252 का रास्ता अख्तियार कर लिया जाए। आज सरकार ने मंशा तो यह दिखाई कि हम सरकारों और राज्य सरकारों पर थोपना नहीं चाहते, स्टेट लैजिस्लेचर भी बिल बना सकती है, लेकिन रास्ता अख्तियार किया 253 का। अभी जो नारायणसामी जी कह रहे थे कि लैजिस्लेटिव कंपीटेंस का विषय उठा था - नहीं, लैजिस्लेटिव कंपीटेंस का विषय नहीं उठा था। 253 के तहत आपके पास पावर्स हैं, यह कहकर हमने यह कहा था कि विषय यह है कि क्या 253 के नीचे का बिल मैनडेटरी है या ऑप्शनल है। हमने कहा था कि 253 के अंदर अगर बिल बनाओगे तो बिल मैनडेटरी होगा। आप चाहते हैं कि बिल आप्शनल हो, आप ऑप्शन देना चाहते हैं और आपने कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट में दिया है। मैं 323 (डी) पढ़कर सुनाती हूँ -

“There shall be a Lokayukta for every State. The powers of superintendence and direction relating to holding a preliminary enquiry causing an investigation to be made and prosecution of offence in respect of complaints made to the Lokayukta under any

law for the prevention of corruption made by Parliament or the State Legislatures, as the case may be, shall rest in the Lokayukta.”

आपकी मंशा यही है, जो हमारी है कि राज्य सरकारों पर यह थोपा न जाए और इसीलिए आपने दोनों ऑप्शन कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट में दिये। आप इससे लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं। तो आपने कहा कि पार्लियामेंट लॉ बनाए या स्टेट लैजिस्लेचर लॉ बनाएँ, लोकपाल और लोकायुक्त को इससे संवैधानिक दर्जा मिलेगा और आपकी यह बात कपिल सिब्बल जी ने *टाइम्स ऑफ इंडिया* के अपने बयान में कही, इस मंशा को ज़ाहिर किया। ‘We are not saying law, if enacted by Parliament would be a must for the States. The model law as incorporated in the Lokpal and the Lokayukta Bills is an enabling provision for the State Legislatures to adopt in its entirety or such of those provisions which they consider appropriate to adopt’.

(m1/1155/mm/rbn)

Comment: Cd swaraj

लेकिन यह सरकार इतनी कनफ्यूज्ड है कि आज पूरे का पूरा भाषण नारायण स्वामी जी ने बदल दिया। आज वे कह रहे हैं कि हमने तो मॅडेटरी ही बनाया है। हमने तो इसलिए बनाया है कि वरना गुजरात जैसा घटेगा कोई राज्य लोकायुक्त बना नहीं पाएंगे। इनके दो मंत्री दो स्वर में बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं कि हमने यह बिल बनाया है ऑप्शन के साथ रखते हुए और वहां मेरा जवाब यह है कि कपिल जी 253 के नीचे ऑप्शन दी ही नहीं जा सकती है। 253 के नीचे बना हुआ लॉ मॅडेटरी होता है और आपके बयान का जवाब देने के लिए मैं लॉ कमिशन की रिपोर्ट अपने साथ लेकर आयी हूं। 186 रिपोर्ट, लॉ कमिशन ऑफ इण्डिया। इसमें एक प्रश्न उठा था, अध्यक्ष जी, कि क्या 252 के तहत बनाए हुए बिल को 253 में एमेंड किया जा सकता है? कपिल जी गौर करिए लॉ कमिशन ने क्या कहा-

“If Parliament had passed the amending law of 1978 under article 253 there would have been no need for these States to pass Resolutions in their Legislatures or to adopt the amending law of 1978. After all, the idea is to have uniform laws in all these States if they are made to implement decisions taken at international Conferences.”

दोबारा पढ़ें!

“After all, the idea is to have uniform laws in all these States if they are made to implement decisions taken at international Conferences.”

और आपने यह बिल इंटरनेशनल कांफ्रेंस के लिए ही बनाया है, क्योंकि इस बिल के प्रीएम्बल में ही लिखा है कि

“Whereas India has ratified the United Nations Convention against Corruption, now, therefore, it is expedient to enact a law for more effective implementation of the said Convention and to provide for prompt and fair investigation and prosecution in cases of corruption.”

ये आपके बिल का सोर्स है। यूनाइटेड नेशन अंगोस्ट करप्शन को अमली जामा पहनाने के लिए आप यह बिल बना रहे हैं, इसलिए 253 का सहारा ले रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं कि 253 के नीचे बना हुआ बिल ऑप्शनल है। आपके मंत्री आज मूव करते हुए करते हुए कहते हैं कि 253 के नीचे बना हुआ लॉ मॅडेटरी है। आपका कान्स्टीट्यूशन एमेंडमेंट कहता है कि नहीं, हम तो ऑप्शन देना चाहते हैं, हम राज्यों पर लादना नहीं चाहते हैं। आपका मंत्री मूव करते हुए कहता है कि हम राज्यों पर लादना चाहते हैं। पहले तय तो कर लीजिए कि आप चाहते क्या हैं? अगर आप मॅडेटरी लॉ बना रहे हैं तो उसमें एक खतरा यह पैदा होता है, जो अभी लालू जी ने कहा कि संघीय ढांचा कहां आहत होता है, फिर तो राज्य के विषय पर अगर कभी भी भारतीय संसद कानून बनाना चाहेगी, केन्द्र सरकार बनाना चाहेगी और उन विषयों में हस्तक्षेप करना चाहेगी तो किसी एक देश के साथ संधि कर लेगी किसी तरह की और उसके नीचे यह बिल ले आएगी। इसलिए हम यह कहते हैं कि संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। लेकिन पहले आप हमें बताइए कि आप मॅडेटरी लॉ लाए हैं या ऑप्शनल लॉ लाए हैं। प्रणब दा कहते हैं कि ऑप्शनल है। कपिल सिब्बल जी टाइम्स ऑफ इण्डिया में कहते हैं कि यह ऑप्शनल है, यह इन्वैलिंग प्रोविज़न के साथ है। लेकिन आज कलई खुल गई, जब नारायण स्वामी जी खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं, यह तो मॅडेटरी है। मॅडेटरी है, इसका अर्थ आपको पता है क्या होगा? देश के 18 राज्यों में लोकायुक्त हैं। आपके बिल से कहीं ज्यादा बेहतर लोकायुक्त हैं। अभी-अभी उत्तराखंड का एक बिल बना है। एक नायाब बिल है। ऐसा बिल जो भ्रष्टाचार पर सीधे चोट करेगा।... (व्यवधान) कर्नाटक का बिल पुराना बना हुआ है। इतने अच्छे बिल बने हैं। आपका यह बिल आते ही वे खत्म हो जाएंगे, और कपिल जी जिस धारा का आप हवाला दे रहे हैं, 64(5) का, वह ट्रांजिशनल है। ज़रा उसको पढ़ लीजिए, वह ट्रांजिशनल है। जैसे अगर कोई इस्तीफा दे दे, प्रधानमंत्री या कोई तो राष्ट्रपति कहते हैं कि जब तक दूसरा न आ जाए, तब तक आप बने रहें। उसको ट्रांजिशन कहते हैं। वह ट्रांजिशनल पीरियड है।

Comment: Cd by n1

(n1/1200/rv-tkd)

Comment: Smt. Sushma Swaraj Cd.

जब तक कि राज्य इसको एडॉप्ट न कर लें, तब तक वह ट्रांजिशन रहेगा। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि जिन नए राज्यों में यह बिल नहीं है, क्या यह बिल पारित होते ही उन पर लागू नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहां तो कोई ट्रांजिशनल क्लॉज का सवाल नहीं है। इसलिए पहले अपना कंप्यूजन दूर करिए। कपिल जी, आपसे मेरे कुछ प्रश्न हैं। आप मानते हैं कि लोकायुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को देखेगा।

अध्यक्ष महोदया : सुषमा जी, आप चेयर को संबोधित कीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप मानते हैं कि लोकायुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले को देखेगा। आप मानते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों से जुड़ा विषय राज्य सूची का विषय है। आप मानते हैं कि राज्य सूची के विषय पर भारतीय संसद केवल दो धाराओं- 252 और 253 के अंतर्गत कानून बना सकती है। आप मानते हैं कि 252 के लिए दो राज्यों के प्रस्ताव चाहिए। आप मानते हैं कि उन दो राज्यों के प्रस्ताव आपके पास नहीं हैं। आप मानते हैं कि आपने यह बिल 253 में बनाया है। आप मानते हैं कि आपने यह बिल यूनाइटेड नेशन एगेन्स्ट करप्शन को अमली जामा पहनाने के लिए बनाया है, तो यह भी मानिए कि 253 के नीचे बना हुआ लॉ मंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। आपने ऐसा बिल लाकर केवल देश के संघीय ढांचे पर आघात ही नहीं किया है, बल्कि जो राज्य भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से लड़ रहे हैं, उनकी धार को कुंद करने का अपराध किया है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मेरी दूसरी आपत्ति आरक्षण के प्रावधान को लेकर है। अध्यक्ष जी, हमारे यहां वर्ष 1952 के इन्दिरा साहनी केस से लेकर वर्ष 2010 के के. कृष्णमूर्ति के केस तक सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह कहा कि आरक्षण की अपर लिमिट, अधिकतम सीमा 50 फीसदी होगी। Fifty percent shall be the rule. अगर अपवाद किया तो केवल नॉर्थ ईस्ट जैसे फार फ्लंग एरियाज के लिए। लेकिन अगर आप इस बिल का प्रोविजन देखें, धारा तीन का प्रोवीजो, वह कहता है कि

“Provided that not less than fifty percent of the members of the LokPal shall be from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities and women”.

नॉट लेस दैन का मतलब है न्यूनतम सीमा। जो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम सीमा निर्धारित की, उसको यह बिल कहता है न्यूनतम सीमा, यानि 50 प्रतिशत से कम तो होगा नहीं, 50 प्रतिशत से ऊपर जितना भी हो सकता है। लोकपाल में चेयरमैन को साथ मिलाकर नौ मेम्बर्स हैं। एक चेयरमैन और आठ

मेम्बर हैं। नौ सदस्यों में नॉट लेस दैन फिफ्टी परसेंट का मतलब है पांच सदस्य। पांच सदस्य आरक्षित हो गए, आप सात भी कर सकते हैं, आठ भी कर सकते हैं, आप नौ के नौ सदस्य भी रख सकते हैं। यह आपको ही तय करना है। जिस समय मैंने यह बात रखी थी तो लालू जी ने कहा कि यह सीमा तो नौकरियों के लिए है, और बड़ी हुंकार भरी सहमति उधर से आई संसदीय कार्य मंत्री जी की कि This is the point. संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि This is not the point पवन भाई, क्योंकि अगर नौकरियों के लिए 50 प्रतिशत की सीमा है तो संवैधानिक पदों के लिए तो आरक्षण है ही नहीं। संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी आरक्षण है ही नहीं। आपकी स्टैंडिंग कमेटी ने यह कहा कि यह आरक्षण वांछित नहीं है। यह मेरे पास स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है।

(o1/1205/sb-brv)

Comment: Cd. by o1

Comment: Sushmacd

“The Committee also believes that although the Institution of Lokpal is a relatively small body of nine members and specific reservation cannot and ought not to be provided in the Lokpal Institution itself...”

यह स्टैंडिंग कमेटी का रिकोमेंडेशन है। नौ मेम्बर्स की बॉडी में नहीं दिया जा सकता और नहीं दिया जाना चाहिए, यह उन्होंने कहा। संवैधानिक पद हैं - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मंत्रि परिषद। उसके बाद संवैधानिक संस्थाएं हैं - सुप्रीम कोर्ट, सीईसी, सीवीसी और सीएजी। संवैधानिक संस्थाओं में हमारे यहां आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन आज एक बात कहते हुए मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि उन्होंने इस बिल में... (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, इस बिल में उन्होंने केवल संवैधानिक संस्थाओं के लिए आरक्षण ही नहीं किया, केवल 50 परसेंट की सीमा को नहीं बढ़ाया, ये धर्म आधारित आरक्षण बिल लेकर आए हैं। ... (व्यवधान) संविधान 50 परसेंट सीमा तय करता है, लेकिन मजहब पर आधारित आरक्षण की अनुमति ही संविधान नहीं देता, इजाजत ही नहीं देता। ... (व्यवधान) लेकिन मैं एक बात कह दूँ, मुझे आज भारतीय संसद के मंच पर खड़े होकर यह बात कहते हुए बहुत गर्व है कि आरक्षण के बिना भी माइनोरिटीज़ के अनेकानेक महानुभावों ने इन संवैधानिक पदों को सुशोभित किया।

अध्यक्ष महोदया, भारत में 12 राष्ट्रपति हुए हैं, चार माइनोरिटीज़ से हुए हैं।... (व्यवधान) डॉ. जाकिर हुसैन, डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ... (व्यवधान) दोनों सरकारों ने लगाए।... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

MADAM SPEAKER: This is not to be recorded.

(Interruptions) ... (Not recorded)

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप शांत रहिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): 12 राष्ट्रपति में से चार राष्ट्रपति माइनोरिटीज़ से हुए। मैंने उनके नाम भी लिए हैं। ...*(व्यवधान)* हमने भी लगाया, एनडीए सरकार ने भी और आपने भी लगाया, बिना किसी सरकार के।...*(व्यवधान)* इन्हें समय मिलेगा, जब इनका टाइम आए तब ये बोल लें।...*(व्यवधान)* अभी मुझे अपनी बात कहने दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत हो जाइए। आप क्यों खड़े हो गए, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

MADAM SPEAKER: Nothing else is going on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। सुषमा जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

MADAM SPEAKER: Please take your seat. Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।

...*(व्यवधान)*

MADAM SPEAKER: Nothing else is going on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): किसी ने नहीं कहा, आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*

MADAM SPEAKER: Nothing else is going on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, मैं जो बोल रही हूँ, वह रिकार्ड पर जा रहा है न। ...*(व्यवधान)*

MADAM SPEAKER: Nothing else is going on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मैं गर्विले हिन्दुस्तान की बात कर रही हूँ और गर्व से कर रही हूँ। ... (व्यवधान) हिन्दुस्तान को गर्व है कि 11 उपराष्ट्रपति हुए, उनमें से तीन माइनोरिटीज़ से हुए। ... (व्यवधान) ये बिल नौकरी के लिए नहीं है।... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else is going on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): ये बिल नौकरी के लिए नहीं आया न।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

(p/1210/mkg/spr)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये। बैठ जाइये। असादुद्दीन जी, बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): आपके चाहने, ना चाहने से नहीं होगा, देश ने दिया है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप इतने ज्यादा उत्तेजित क्यों हुए जा रहे हैं, कृपया बैठिये। बस हो गया।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): आपके चाहने, ना चाहने से नहीं होगा, देश ने दिया है। हिन्दुस्तान को इस पर गर्व है। माइनोरिटी से तीन उप-राष्ट्रपति हुए हैं - डॉ. जाकिर हुसैन, हिदायतुल्ला साहब, श्री हामिद अंसारी ... (व्यवधान) हमने एहसान नहीं किया, तभी मैं कह रही हूँ। आज भी वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह माइनोरिटी से हैं, पर इसलिए नहीं हैं कि माइनोरिटीज़ से हैं, बल्कि इसलिए हैं कि ये श्रेष्ठ हिन्दुस्तानी हैं। अध्यक्ष जी, ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइये। शान्त हो जाइये।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अब मैं न्यायपालिका पर आती हूँ। आपको खुश होना चाहिए, गर्व से सीना फूलना चाहिए और आप टोका-टाकी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, न्यायपालिका में देखिये, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश, चीफ जस्टिसेज़ ऑफ इंडिया में पांच जस्टिसेज़ ऑफ इंडिया माइनोरिटी से हुए हैं। जस्टिस हिदायतुल्ला, जस्टिस एम.एच. बेग, जस्टिस ए.एम. अहमदी, जस्टिस भरूवा और जस्टिस कापड़िया।...(व्यवधान) पांच में जस्टिस अहमदी गिनाया मैंने और यह नहीं, मैंने यही कहा, अध्यक्ष जी...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जरा सा बैठिये।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मैं इतने गर्व की बात कह रही हूँ कि विदेश सुनेगा, अन्तर्राष्ट्रीय जगत सुनेगा तो भारत की प्रशंसा करेगा। आपसे यह भी समाया नहीं जाता? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये न। बैठ जाइये-जरा सा शान्त हो जाइये। जब आपकी टर्न आएगी, तब आप बोलियेगा, अभी सुनिये। आपकी भी टर्न आएगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): आपसे अच्छी बात भी सुनी नहीं जाती? मैं कोई गलत तथ्य दे रही हूँ, कोई गलत बात कह रही हूँ तो आप टोकिये। अरे, अन्तर्राष्ट्रीय जगत के लोग सुन रहे होंगे, हिन्दुस्तान की पीठ थपथपा रहे होंगे कि भारतीय संसद में यह कहा जा रहा है।

न्यायपालिका के बाद संवैधानिक संस्था पर आइये। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, India is the biggest and largest democracy in the world. आज हमारी निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का संचालन हमारा सी.ई.सी. (चीफ इलैक्शन कमिश्नर) श्री एस.वाई. कुरैशी, माइनोरिटी का व्यक्ति कर रहा है, हमने उनको इसलिए नहीं चुना कि वे माइनोरिटी के हैं, बल्कि इसलिए चुना कि वे काबिल हैं, वे योग्य हैं और संवैधानिक पद पर इसलिए चुना कि वे श्रेष्ठ हिन्दुस्तानी हैं। यह अच्छी बात आपको सुनने में बुरी लगती है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जरा शान्त हो जाइये। इस तरह क्यों इतना शोर मचा रहे हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): लेकिन आज जो हम कर रहे हैं, वह हिन्दुस्तान के लिए सही नहीं होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि हिन्दुस्तान के बंटवारे का अंकुर धर्म आधारित आरक्षण में पड़ा था और अन्ततः देश टूट गया था। सबसे पहले Reservation on the basis of religion आया था, वह बंटवारे का बीज था। आपने वह त्रासदी भोगी है...(व्यवधान) प्रधानमंत्री जी, आपने वह त्रासदी भोगी है, आपने वह पीड़ा सही है और आप अपने राज में यह कर रहे हैं। आपने एक बार इस सदन में हमें सम्बोधित करते हुए एक शेर पढ़ा था, आज मैं उसी शेर को आपको मुखातिब करते हुए कहती हूँ:

‘यह जब्र भी देखा है, तारीख की नज़रों ने,
लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई।’

आज वह लम्हा है। हम क्या करने जा रहे हैं, मजहब पर आधारित आरक्षण?...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइये। आप बार-बार क्यों खड़े हुए जा रहे हैं।

Comment: fd by q1

(q1/1215/cp/spr)

अध्यक्ष महोदया : आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदया, मजहब पर आधारित आरक्षण इस देश में विभाजन का दूसरा बीज बोने का काम करेगा। मैं चेतावनी के साथ कहना चाहती हूँ।

लालू भाई, आप तो सरकार की चतुराई समझ ही नहीं पाए। सुबह इन्होंने आपसे वह मामला उठवा दिया और आपकी बात मान ली। ...(व्यवधान) उसी शाम को आपकी थाली में से हिस्सा लूट लिया। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अध्यक्ष को संबोधित करिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आपका आपस में वार्तालाप शुरू हो गया। यह क्या हुआ? इधर संबोधित करिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): मेरा नाम लिया गया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इधर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैंने यह आरोप लगाया था, सही लगाया था कि आरएसएस, बीजेपी के इशारे पर माइनोरिटी शब्द को हटाया। इन्होंने हटाया था। अब आप बहाना बना रही हैं, कमंडल वाले लोगों ...(व्यवधान) आप बहाना बना रही हैं कि इलेक्शन है, इलेक्शन है, इलेक्शन है। ...(व्यवधान) देश का बंटवारा आप चाहती हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): आपने मेरी बात सुनी नहीं। ... (व्यवधान) मैं आपसे कह रही हूँ कि सरकार ने आपके साथ चतुराई की। सुबह आपकी बात मान ली और शाम को आप ही की थाली में से हिस्सा निकाल लिया और आपकी बोलती बंद हो गयी। ओबीसी रिजर्वेशन में से साढ़े चार परसेंट जब माइनोरिटी को दिया, अंदर-अंदर तो आप उबल रहे हैं, मगर आप बोल नहीं सकते, आप विरोध नहीं कर सकते, शरद यादव जी विरोध करेंगे। शरद यादव जी विरोध करेंगे, आप विरोध नहीं कर सकते, अंदर-अंदर आप उबल रहे हैं। आप क्यों नहीं विरोध कर सकते? आप ही के शब्दों में आपको जवाब दिया जाएगा। आपने कहा था कि धन और धरती बंटकर रहेगी, अपना-अपना छोड़ के, आप विरोध करेंगे तो लोग कहेंगे कि मुस्लिम को आरक्षण तो दो, पर हमरा-हमरा छोड़ के। इसीलिए आप बोल नहीं पा रहे हैं। ... (व्यवधान) लुट गए आप। ... (व्यवधान) सरकार दोनों तरफ से फायदे में रही। दोनों-तरफ से सरकार फायदे में रही और आपका हिस्सा लूट लिया। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मुझे उस दिन प्रणव दा का जवाब सुनकर हैरानी हुयी। जब मैंने आपत्तियां उठायीं, आप पीठासीन नहीं थीं, उन्होंने कहा कि हम जुडीशियरी का रोल अख्तियार क्यों करें? अपने आप अदालत को जो करना होगा, कर लेगी। उनकी बात से ऐसा लगा कि जैसे यह बिल उनके लिए एक बला बन गया है और वे सिर से बला टालना चाहते हैं। बजट सेशन आ रहा है, वित्त मंत्री को बहुत काम होते हैं। उनको लगता है कि यह बिल पारित हो, जैसे मर्जी पारित हो, घटिया, बढ़िया, बेकार जैसा भी, हो जाए एक बार कि हम बिल ले जाए, लेकिन यह सही नहीं है। यह सोच भी सही नहीं है। देखकर मक्खी नहीं निगली जाती है। कोई चीज वैसे गलत हो जाए और उसके गूढ़ तत्व में जाकर सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायरस करार दे दे, यह तो हो सकता है, लेकिन एक चीज पेटेंटली अनकांस्टीट्यूशनल सामने है और जिस सदन में इतने बड़े-बड़े संविधान विशेषज्ञ बैठे हैं, चिदंबरम जी का गृह मंत्री के नाते हमारा विरोध होगा, पर वे एक नामी-गिरामी वकील हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। I acknowledge him as an eminent lawyer. कपिल सिब्बल जी बैठे हैं, होगा राजनैतिक विरोध हमारा, इनके बिल राज्य सभा में रुक जाते होंगे, लेकिन वह संविधान के विशेषज्ञ हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सलमान खुर्शीद जी बैठे हैं, पवन बंसल जी बैठे हैं और प्रणव दा चाहे लॉयर न हों, लेकिन उनको संसद का इतना अनुभव है, वे इतने अनुभवी सांसद हैं, यहां आडवाणी जी बैठे हैं, चालीस साल का जिनका राजनैतिक अनुभव है, छोटी-मोटी, टूटी-फूटी जानकारी तो अध्यक्ष जी मुझे भी संविधान की है। ... (व्यवधान) हम सबके रहते हुए एक

पेटेंटली अनकांस्टीट्यूशनल बिल यहां से पारित हो, यह हम कैसे सहेंगे? इसलिए मैंने इनसे कहा, मेरे दो संशोधन हैं। पहले वाले में संघीय ढांचे पर मेरा संशोधन कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट में है। जहां मैंने कहा कि अंडर आर्टिकल 252 शब्द जोड़ लो, आप उसे स्वीकार कर लो, दो राज्यों के प्रस्ताव मंगा लो और बिल आर्टिकल 252 के नीचे ले आओ। यह मेरा संशोधन है कि मजहब आधारित आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, इसलिए उसको संविधान सम्मत बनायें।

Comment: Cont by r1.h

(r1/1220/raj/ksp)

Comment: Cd by Smt. S. Swaraj

यह मेरा पहला आरोप जो मैंने लगाया था कि बिल संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। इसके संदर्भ में मैंने यह तर्क और संदर्भ दिए हैं। मेरा दूसरा आरोप था कि यह बिल बहुत कमजोर और सरकारी लोकपाल निकाय का है। अध्यक्ष जी, हमने यह चाहा था कि सीबीआई को सरकारी शिकंजे से मुक्त किया जाए मगर उल्टा हुआ। सीबीआई तो शिकंजे से निकली नहीं मगर लोकपाल सरकार के शिकंजे में आ गया। ऐसा बिल लाए हैं उसकी अप्वाइंटमेंट देखो तो कमेटी में सरकारी पक्ष की बहुलता। उसका रिमूवल देखो तो केवल सरकार के पास। यहां तक कि उसकी कार्यप्रणाली देखो तो वे कहते हैं कि जो इंक्वायरी विंग और प्रोसेक्यूशन विंग के डायरेक्टर होंगे, जो पैनल केन्द्र सरकार देगी उससे होंगे। यहां तक कि उसका जो सेक्रेट्री होगा वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पैनल से होगा। बेचारा लोकपाल अपना सचिव भी नहीं चुन सकेगा। अप्वाइंटमेंट में इन्होंने कहा है - प्रधानमंत्री, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद ज्यूरिस्ट नॉमिनेटेड बाई द गवर्नमेंट। मेरा संशोधन है।... (व्यवधान) प्रेसिडेन्ट का मतलब गवर्नमेंट होता है। जब हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रख लिया तो फिर ज्यूरिस्ट की क्या जरूरत है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश जिस पैनल में हैं वहां ज्यूरिस्ट की क्या आवश्यकता है? मेरा संशोधन है कि वहां नेता प्रतिपक्ष राजसभा को साथ में रखा जाना चाहिए। क्योंकि दोनों सदनों के सांसद इसके घेरे में आ रहे हैं। एनएचआरसी के जिस पैनल में मैं, आप, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, प्रधानमंत्री और एक मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर तो वैसा बना सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहते ज्यूरिस्ट की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों नेता सदन होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे तो सरकारी पक्ष की बहुलता कम होगी। वह टिलटेड होगा इंडिपेंडेंट की तरफ। इसलिए इसमें मेरा एक संशोधन है। अप्वाइंटमेंट में सरकारी पक्ष की बहुलता है और हटाने का तरीका तो और भी निराला है। सुप्रीम कोर्ट को कौन रेफरेन्स कर सकता है - सरकार, प्रेसिडेन्ट लिखा है, प्रेसिडेन्ट का मतलब सरकार या 100 सांसदों के ज्ञापन से सरकार। तीसरा तो बड़ा ही मजेदार है कि अगर किसी भारत के नागरिक को जो शिकायतकर्ता हो उसके मन में यह भाव आ

जाए कि लोकपाल सरकार का पक्ष ले रहा है और मेरे प्रति पूर्वाग्रह रख रहा है तो वह सरकार को अर्जी देगा। सरकार तय करेगी कि इसका रेफरेन्स सुप्रीम कोर्ट को करना है या नहीं करना है। वह कहते हैं कि तुम्ही कातिल, तुम्ही मुंसिफ तुम्ही जल्लाद भी हो, अकरबा खून का दावा करे किस पर। इन्हीं के बारे में तो उसको शिकायत है कि लोकपाल सरकार के लिए पक्षपात कर रहा है और अर्जी इन्हीं को दे। यही मुनसिफी भी करेंगे। यह तय करेंगे कि उसकी इस अप्लिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाये या नहीं भेजा जाए। विश्व भर में कहीं आपने ऐसा देखा है। जिसकी नियुक्ति इनके हाथ में, जिसे पदमुक्त करना इनके हाथ में और बाकी पर तो हैरान हैं। आप प्रोवाइजो-10 पढ़िए। मैं तो पढ़ रही थी और हंस रही थी।

There shall be a Secretary to the Lokpal in the rank of the Secretary to Government of India who shall be appointed by the Chairperson from a panel of names sent by the Central Government. There shall be a Director of Inquiry and Director of Prosecution not below the rank of Additional Secretary to the Government of India or equivalent who shall be appointed by the Chairperson from a panel of names sent by the Central Government.”

बेचारा लोकपाल को अपना सेक्रेट्री रखने की भी स्वतंत्रता नहीं है। इंकवायरी विंग का डायरेक्टर इनके पैनल से चुना जाएगा, प्रोसेक्यूशन विंग का डायरेक्टर इनके पैनल से चुना जाएगा और सेक्रेट्री भी इनके पैनल से चुना जाएगा। इनके द्वारा हटाया जाएगा एवं नियुक्त इनके द्वारा किया जाएगा और आप कहते हैं कि यह बड़ा प्रभावी, स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। यह कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने कहा कि सरकारी शिकंजे में जकड़ा हुआ लोकपाल। जहां तक उसके अधिकार का सवाल है उसमें है ऑन ए कंप्लेंट। एक ऐसा लोकपाल बन रहा है जो सुओ-मोटो यानी स्वतः किसी केस का संज्ञान भी नहीं ले सकता है।

Comment: Cd by sl

(s/1225/nsh-rs)

Comment: Sushma Swaraj cd

हर ज्युडिशियल बॉडी यह करती है। मुझे मालूम है कि एक बार पोस्ट कार्ड के ऊपर संज्ञान ले लिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने पीआईएल बना लिया था। कितनी खबरें समाचार पत्रों में छपती हैं, कितनी जानकारियां उसके अपने पास आती हैं। लेकिन इस बिल में सुओ-मोटो संज्ञान लेने का भी अधिकार लोकपाल को नहीं है। मैंने संशोधन दिया है कि वह सुओ-मोटो शब्द डालिए। लेकिन मैं जो कह रही हूँ कि यह सरकारी लोकपाल, कमज़ोर लोकपाल, तो मेरे ये सारे तर्क उस तरफ जाते हैं कि सरकारी शिकंजे में जकड़ा हुआ लोकपाल है, निष्प्रभावी लोकपाल है और यह निष्पक्षता से काम नहीं कर सकता, ऐसा लोकपाल है।



तीसरी बात मैंने कही थी कि यह अनेकानेक विकृतियों और विसंगतियों से भरा हुआ बिल है। मैं आपके सामने एक-एक विसंगति रखूंगी, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। पहली विसंगति प्रधान मंत्री जी को दायरे में लाने की है। सदन में मतभेद है। कुछ लोग चाहते हैं कि प्रधान मंत्री होने चाहिए, कुछ चाहते हैं कि नहीं होने चाहिए।...(व्यवधान) हम चाहते हैं होने चाहिए।...(व्यवधान) यह बात आज नहीं कह रही हूँ, जिस समय इस सदन में चर्चा हुई थी, तब कह दी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया। प्रधान मंत्री जी को लाए तो हैं पर इतने कवच, कुंडल पहनाकर लाए हैं कि उन्हें कोई छू ही नहीं सके। क्या प्रावधान है? जो शिकायत आएगी, उस पर लोकपाल का फुल बैच बैठेगा। तीन-चौथाई जज यह तय करें कि शिकायत पर कार्यवाही होनी चाहिए तो कार्यवाही होगी वरना नहीं। यह तीन-चौथाई का कौन्सैट कहां से आया?...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, ईवन इस देश में संविधान का संशोधन करने के लिए कुल सदन का 50 फीसदी और उसका टू-थर्ड चाहिए। कुल सदन का 50 फीसदी 273 होता है, उसका टू-थर्ड 182 होता है। अगर 543 में से 273 सदस्य उपस्थित होकर 182 लोग संविधान संशोधन के पक्ष में वोट कर दें तो संविधान संशोधित हो जाता है।...(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): The minimum number required for a constitutional amendment, that is two-third, is 275 of this House and not 182.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): 50 प्रतिशत कहा है।...(व्यवधान) आप भी 50 प्रतिशत रख लीजिए। पर मैंने दो-तिहाई का संशोधन दिया है।...(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: That is all right. I am simply correcting you that for a constitutional amendment the number required is 275 and not 182.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (VIDISHA): I stand corrected, क्योंकि fifty per cent of the total अलग से जरूरत है और two-third of the members present and voting अलग से जरूरत है। इसलिए I stand corrected. लेकिन मैं यह कह रही हूँ कि संविधान के लिए 50 प्रतिशत ही चाहिए। आप 50 प्रतिशत रख लें, मगर मैंने दो-तिहाई का संशोधन दिया है। यह श्री-फोर्थ कहां से आया? इसके बाद प्रोसीडिंग्स कैमरा में होगी और वह किसी आरटीआई या कहीं बाहर उजागर नहीं की जाएंगी। हम पारदर्शिता ला रहे हैं या पारदर्शिता समाप्त कर रहे हैं। आप क्यों पीएम को एमबैरेस कर रहे हैं? अगर आपको नहीं लाना तो साहस से कह दीजिए कि हम उन लोगों की बात नहीं मानते जो लाना चाहते हैं। लेकिन एक फार्स, एक दिखावा क्यों कर रहे हैं कि हम प्रधान मंत्री को ला भी रहे हैं, लेकिन श्री-फोर्थ तो पहले चाहिए, बाद में कैमरा में प्रोसीडिंग होगी, कोई आगे नहीं बताएगा। क्या यह संभव है? हिन्दुस्तान

में कहते हैं कि दो लोगों के बीच बात हो तो बाहर निकलती है। नौ जज जिसे देखेंगे, उन नौ जज के नौ असिस्टेंट उनके सामने प्रोसैस करके शिकायत रखेंगे। कोई एक स्टैनो उस आर्डर को लिखेगा भी। किसी ने विमत दिया, असहमति दी तो उसका स्टैनो भी लिखेगा। 20, 22, 25 लोगों के बीच से जो चीज निकलेगी, वह बाहर नहीं आएगी? शिकायतकर्ता तो बताएगा। आप ऐसा कानून ला रहे हैं जिसकी अनुपालना कम होगी, अवहेलना ज्यादा होगी और अंदाजे लगेंगे, अटकलें लगेंगी, अफवाहें उड़ेंगी। ऐसे अंदाज और आकलन वाली चीजें, अफवाहों की सरगर्मियां आप क्यों फैला रहे हैं।

Comment: Cd by t

(t1/1230/rjs-rcp)

आप पारदर्शिता से कहिये। आखिरकार प्रधान मंत्री जी के बारे में कॉम्पिटेंट अथारिटी हाउस ऑफ दी पीपल को माना गया है। यह सदन किसी बेबुनियाद शिकायत पर थोड़ी कार्रवाई की इजाजत दे देगा। प्रधान मंत्री दल के नहीं होते, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। ... (व्यवधान) लेकिन आप यह कह रहे हैं कि क्या शिकायत है और क्या उस पर आगे हुआ, यह बतायेंगे ही नहीं। किस कारण से वह शिकायत खत्म की गयी है, यह बतायेंगे ही नहीं। अरे, अब तो असानजे जैसे लोगों ने विकीलीक्स के खुलासा कर दिये। 20-20 साल पहले की चीजें बाहर आ गयीं। जिन लोगों ने काला धन बाहर रखा था और सोचा था कि कभी नाम नहीं आयेंगे, उनकी सूचियां लोगों ने चुरा लीं। क्या ये चीजें बाहर नहीं आयेंगी? एक ऐसा कानून हम बना रहे हैं, जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगा। अवहेलना होगी, तब प्राइम मिनिस्टर ऐम्बैरेस जरूर होंगे। कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में आयेगा कि एक ऐसा लॉ अगेन्स्ट करप्शन बना, जिसमें प्रधान मंत्री जी की प्रोसीडिंग कैमरे में होगी और बाहर रिपोर्ट बतायी नहीं जायेगी। लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा था कि यह बिल बड़ा विकृति से भरा है।

Comment: Smt. Sushma Swaraj-cd

अध्यक्ष महोदया, अब मैं दूसरी विसंगति बताती हूँ जो आपकी पीठ से संबंधित है। इसमें एक धारा 24 जोड़ी गयी है। स्टैंडिंग कमेटी में कभी उस पर चर्चा नहीं हुई। मैंने अपने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों से भी पूछा और स्वयं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ी। कहां से वह धारा आयी, मुझे नहीं मालूम। सांसदगण उसे सुन लें। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि एमपी अगर चार्जशीट भी होगा, तो उसकी रिपोर्ट स्पीकर या चेयरमैन, राज्य सभा को भेजी जायेगी और चार्जशीट के बाद आपसे कहा जायेगा कि आप कार्रवाई कीजिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगी या करेंगी, उसकी रिपोर्ट आप लोकपाल को भेजेंगी और अगर नहीं करेंगी, तो उसके कारण क्या हैं, ये भी उसे लिखकर भेजेंगी।

अध्यक्षा जी, मैं कहना चाहती हूँ कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सदन सर्वोच्च है और इस सदन में आपकी सत्ता सर्वोच्च है। आपकी किसी रूलिंग को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन यहां लोकपाल कह रहा है कि आप उसे रिपोर्ट देंगी। ... (व्यवधान) यह आपने कैसे मान लिया। ... (व्यवधान) सपने आते हैं आपको? हनचेज़ होती हैं, क्या होता है आपको? ... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): दुविधा होती है। ... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): दुविधा में तो हमेशा ग्रस्त रहते हैं। ... (व्यवधान) आपकी सत्ता को तो कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी ने पढ़ा है यह बिल? स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा नहीं हुई, तो कहां से आया यह प्रावधान, कहां से आयी है यह धारा? चार्जशीट होने के बाद आपके पास वह रिपोर्ट भेजेगा और आप एक्शन टेकन रिपोर्ट उसे भेजेंगी। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगी, तो कारण लिखकर भेजेंगी। यह बिल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के भी विरोधाभास में है। वहां तो कहते हैं कि कनविक्षन के बाद भी अगर दो साल का कनविक्षन है और सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़कर जीतकर आ सकते हैं। मगर यहां चार्जशीट के बाद ही सदस्यता से जा सकते हैं। ... (व्यवधान) इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इसमें कोई एक विसंगति नहीं है। तीसरी विसंगति देखिये — सीबीआई। सीबीआई की कार्यशैली के बारे में हमने बहुत बार चर्चा करनी चाही। पिछली बार बोलते हुए मैंने कहा कि सीबीआई वह यंत्र है, जो सरकार के अल्पमत को बहुमत में बदलता है। मैंने जितने नाम लिये, उन सबको मैं आज दोहराना नहीं चाहूंगी, लेकिन पिछले तीन महीने में दो नयी घटनाएं हो गयीं। चिदम्बरम जी के मामले में सीबीआई ने जाकर कह दिया कि इन्वेस्टीगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉ. सुब्रह्मणियम स्वामी ने जाकर याचिका दायर की कि मेरे पास वह सारा एवीडेंस है और मैं फाइल से निकाल सकता हूँ, जिसमें जांच की जरूरत है।

श्री लालू प्रसाद (सारण): अध्यक्ष महोदया, आपकी भी पावर खत्म हो गयी। ... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डॉ. सुब्रह्मणियम स्वामी की याचिका पर कहा कि इन्हें फाइल दो और फाइल देने के बाद वह मजिस्ट्रेट के सामने गये। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं आपको सुनना चाहूंगा कि चिदम्बरम साहब को अभियुक्त बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट सुन रहा है कि अभियुक्त बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन एक गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई कैसे कह दे कि हम जांच करने को तैयार हैं। उन्होंने सरेआम मना कर दिया। इसी तरह आंध्र प्रदेश की असेम्बली में अल्पमत को बहुमत में लाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया गया।

Comment: Cd by ul

(u1/1235/rps-rp)

Comment: Smt.Sushma Swaraj cd.

इसलिए हम चाहते थे कि सीबीआई सरकारी शिकंजे से निकले, लेकिन इन्होंने सीबीआई की ऐसी घुमनघेरी बनाई है कि पहले उसका एक बॉस था, अब चार बॉस बन गए। लोकपाल ग्रुप ए और बी का अधिकारी उसको भेजेगा, उसके लिए वह लोकपाल को रिपोर्ट करेगी। सीवीसी ग्रुप सी और डी के अधिकारी उसे भेजेगा, उसके लिए वह सीवीसी को रिपोर्ट करेगी, कोर्ट से जो डायरेक्ट केसेज उसके पास आएंगे, उसके लिए वह कोर्ट को रिपोर्ट करेगी और ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन के लिए वह डीओपीटी के आगे माथा टेकेगी। सबसे ज्यादा नियंत्रण होता है प्रशासनिक और वित्तीय, जिसके हाथ में धन है और जिसके हाथ में ट्रांसफर-पोस्टिंग है। आपने डायरेक्टर, सीबीआई की एप्वाइंटमेंट रख दी, लेकिन क्या सारे काम डायरेक्टर करेगा, उसके नीचे के सारे अफसरों का प्रशासन डीओपीटी के हाथ में है। इसलिए हमने यह कहा कि अगर सीबीआई को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना है, तो पहले आप सीबीआई के अंदर उसकी इनवेस्टीगेशन और प्रोसीक्यूशन विंग को अलग कीजिए और उसके बाद उसका प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण लोकपाल को दे दीजिए, ताकि वह इनके शिकंजे से निकले, वह एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के रूप में काम करे। अगर आप हमारा यह सुझाव मानते हैं, तो लोकपाल को एक इस्टैब्लिश्ड इनवेस्टिगेटिंग एजेंसी मिल जाएगी, सीबीआई सरकारी शिकंजे से बाहर हो जाएगी और देश में भ्रष्टाचार से लड़ने का एक मजबूत तंत्र खड़ा हो जाएगा।... (व्यवधान) मगर वे यह नहीं करेंगे।

मैं इसकी एक और विसंगति बताती हूं। इसके अंदर एक धारा 14(एच) है, उसे देखिए। जब-जब हम कहते थे कि लोअर ब्यूरोक्रेसी को आप लोकपाल में ले आओ, तो कहते थे कि नंबर देखा है आपने, 57 लाख कर्मचारी हैं। कैसे आएंगे? लेकिन अब आप धारा 14(एच) देखिए। हिन्दुस्तान के सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, स्कूल एवं अस्पताल, कोई संस्था नहीं बची, उनके प्रजेंट डायरेक्टर, उनके एक्स-डायरेक्टर्स, सारे के सारे लोगों को इसके दायरे में ले आए। यह लोकपाल बेचारा दब जाएगा उनके नीचे। इतनी बड़ी विसंगति है।... (व्यवधान)

SHRI G.V. HARSHA KUMAR (AMALAPURAM): Madam Speaker...

MADAM SPEAKER: Please sit down. You speak when its your turn.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): इतनी बड़ी विसंगति कि उन सबको इसमें ले आए। पहले 57 लाख ज्यादा लग रहे थे, लेकिन अब जो करोड़ों लोग इसमें आ जाएंगे, उनको लाकर लोकपाल के नीचे इन्होंने रख दिया। इसी तरह से इन्होंने सेंस ऑफ दि हाउस की इन्होंने अवहेलना की। सेंस ऑफ दि हाउस तीन चीजों के लिए थी - लोअर ब्यूरोक्रेसी के लिए, लोकपाल और लोकायुक्त के लिए और सिटीजन्स चार्टर के लिए। लोकपाल और लोकायुक्त में कंप्युजन है, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत लाए हैं और कह रहे हैं कि

ऑप्शनल है। लोअर ब्यूरोक्रेसी में ग्रुप ए एंड बी को उधर डालकर, ग्रुप सी एंड डी सीवीसी को दे दिया है। सिटीजन्स चार्टर का बिल ही अलग लाए हैं, वह अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास गया है। जबकि उस दिन यह तय हुआ था कि सिटीजन्स चार्टर और व्हिसल ब्लोअर बिल इसका पार्ट बनेंगे। अब वह स्टैंडिंग कमेटी से आकर इसका पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? सिटीजन्स चार्टर में अपने आप में बहुत सी खामियां हैं, व्हिसल ब्लोअर बिल में अपने आप में बहुत सी खामियां हैं, इसीलिए हमने व्हिसल ब्लोअर बिल के लिए बिल्कुल अलग वक्ता रखे हैं, जो केवल उसी पर बोलेंगे। सिटीजन्स चार्टर जब यहां डिसकश होगा, तब हम उस पर बोलेंगे, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि इस सरकार को यह पता नहीं है कि वह बिल में चाहती क्या है? एक तरफ लोकपाल इतना बेचारा है कि वह अपना सचिव भी नियुक्त नहीं कर सकता है, दूसरी तरफ लोकपाल इतना ताकतवर है कि वह आपसे रिपोर्ट मांग रहा है। एक तरफ सीबीआई को अलग भी निकालना चाहते हैं, लेकिन उसके चार-चार बॉस भी बनाकर रख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यह मजबूरी में लाया गया बिल है और वित्तमंत्री जी की एक मजबूरी यह है कि इनको बजट बनाना है, इनके पास समय नहीं है और दूसरे, इनकी इच्छा यह है कि किसी भी तरीके से, जो एक जनांदोलन चला है, उसको कह सकें कि हम एक बिल ले आए हैं। लेकिन इस सदन की यह मंशा नहीं है और इस देश की भी यह मंशा नहीं है। हम चाहते हैं कि एक सशक्त लोकपाल आए, एक प्रभावी लोकपाल आए, एक संविधानसम्मत लोकपाल आए, इसलिए मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि या तो हमारे ये सारे संशोधन स्वीकार करके इस बिल को सुधारें, नहीं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि इस बिल को वापस ले लो।

Comment: cd. by w1.

Comment: Smt. Sushma swaraj cd.

(w/1240/jr-lh)

इस बिल को वापस स्टैंडिंग कमेटी में भेजें, जहां इस पर चर्चा हो, वापस चर्चा हो और दो या तीन महीने बाद इसे यहां लाएं। दो या तीन महीने बाद भी अगर यह बिल आएगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन कम से कम वह बिल...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं। सुषमा जी के अलावा किसी और की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

श्री सुषमा स्वराज (विदिशा): हमने चाहा था कि बिल शीतकालीन सत्र में आए। उस दिन सेंस आफ दि हाउस भी चाहा था, बाद में भी चाहा था, मगर ऐसा बिल लाएं, यह नहीं चाहा था कि ऐसा बिल आए जो वर्तमान सिस्टम को भी ध्वस्त कर दे। जो आज तंत्र खड़ा है यह तो उसका भी विनाश कर रहा है, उसे भी ध्वस्त कर रहा है। इसलिए मैं यह ध्वस्त करने वाला बिल नहीं चाहिए। हमें देश में एक प्रभावी और सशक्त लोकपाल, जो भ्रष्टाचार पर करारी चोट करे, वह बिल चाहिए। आप दो महीने और लगा लो, वापस इसे



स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दो, लेकिन एक ऐसा बिल लेकर सरकार आए जो देश की आशाओं को पूरा कर सके, जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे।

(इति)

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया: जब आपका नम्बर आएगा, तब आप अपनी बात कहना।

श्री लालू प्रसाद (सारण): अध्यक्ष महोदया, मैं केवल आधा मिनट लूंगा। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस वजह से यह बिल यहां लाया गया है आनन-फानन में, वह अण्णा हज़ारे टीम भी इसे रद्दी की टोकरी में फेंक चुकी है। अभी विपक्ष की तरफ से बीजेपी ने भी अपनी बात कही, हम भी कहेंगे। जब इसका विरोध हो रहा है तो मैं कहना चाहता हूँ कि फिर इन तीन दिनों तक हमसे कसरत क्यों करवा रहे हैं इसलिए यह बेकार की बात है, इस बिल को हटाया जाए।...(व्यवधान) यह बिल पास होगा, जिसका सभी विरोध कर रहे हैं तो फिर आंदोलन जारी रहेगा, फिर इसका फायदा क्या है इसलिए यह बिल हटाया जाए...(व्यवधान)

1243 बजे

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): अध्यक्ष महोदया, देश के भविष्य में कुछ ऐसे लम्हे भी आते हैं, जब वक्त की घड़ी रुक जाती है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत रहें, यह ठीक बात नहीं है। उन्हें बोलने दें।

श्री कपिल सिब्बल: मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा कि हमने जैसे चुपचाप सुषमा जी का बढ़िया भाषण सुना, हम चाहेंगे जो कर्टसी हमने सुषमा जी को प्रदान की, ऐसी ही कर्टसी विपक्ष हमें भी प्रदान करें। हम कोई तीखी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि आज तीखी बात करने का वक्त भी नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: क्या कर रहे हैं आप लोग, बीच में टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।

श्री कपिल सिब्बल: मैं कह रहा था कि देश के भविष्य में ऐसे लम्हे जरूर आते हैं जब वक्त की घड़ी रुक जाती है। इस चर्चा में ऐसा वक्त भी आएगा, जब वह घड़ी रुकेगी। और अगर यह बिल पारित होगा तो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर यह बिल, जैसे आपकी मंशा है, आप इसे पास नहीं करेंगे तो सारे देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।

मैं सुषमा जी का आदर करता हूं। जब-जब भी वह भाषण देती हैं, मैं बड़े गौर से सुनता हूं।

(x/1245/har/kkd)

लेकिन आज उन्होंने एक वकील के तौर पर भाषण दिया और मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं। My knowledge of the law is a bit rusted. ऐसा लगता है कि सुषमा जी ने बड़े गौर से संविधान को पढ़ा है और उनके एक-एक मुद्दे के ऊपर मैं अपनी सरकार की तरफ से जवाब देना चाहूंगा।

पहला, उन्होंने कहा कि यह जो संघीय ढांचा है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है और उन्होंने धारा 252 का उल्लेख किया। धारा 252 इस पर लागू होती ही नहीं है, उसका कारण मैं अपने भाइयों और बहनों को बताना चाहूंगा। धारा 252 कहती है that if Parliament does not have the authority to pass a law in respect of a particular item in the Union List and that law is the exclusive jurisdiction of the State List; and only the State Legislature can pass that law, then only, Article 2 comes into operation. The distinguished Member referred to Entry No. 14

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): एंट्री 41 है।

श्री कपिल सिब्बल: राज्य की सूची में entry number 41 का उन्होंने उल्लेख किया जो कहती है 'State Public Services'. लेकिन यह जो कानून है जो हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं, this

Comment: cd. by x

Comment: Cd by Kapil Sibbal



is something to do with *bhrashtachar*.... (*Interruptions*) Under Entry No.1 of List III. पहली entry कहती है क्रीमनल, दूसरी एंट्री कहती है क्रीमनल प्रोसीजर कोड और एंट्री 11(ए) कहती है क्रीमनल जस्टिस सिस्टम।

So, this particular legislation has nothing to do with State Public Services. It has everything to do with criminality and corruption; and it squarely falls within Entry 1, 2 and 11A of List III. अगर यह बात सही है तो इसका मतलब है कि धारा 252 कभी लागू हो ही नहीं सकता क्योंकि धारा 252 में प्रीजम्शन होती है कि पार्लियामेंट को कोई पावर ही नहीं है लेजिस्लेट करने की। सुषमा जी, अगर वह ही गलत है तो आपकी आर्ग्यूमेंट तो अपने आप में ही रद्द हो गयी।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): आप धारा 252 पर नहीं, धारा 253 पर बोल रहे हैं।

श्री कपिल सिब्बल: सुषमा जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, please now, let me speak.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): 41 को 14 कह रहे थे, एंट्री 41 है और आप धारा 253 पर बोल रहे हैं।

SHRI KAPIL SIBAL: Article 252 says:

“If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in articles 249 and 250 should be regulated in such States by Parliament by law, then the resolutions can be passed.”

But here, Parliament has the power to pass a law in respect of corruption... (*Interruptions*) I will read it to you so that you are clear on it.

Entry 1, List III -- Criminal Law. This is an aspect of Criminal Law because it deals with corruption; and notwithstanding the State, Entry 2 -- Criminal Procedure. This sets out a procedure for dealing with corrupt people, public servants. Entry 11A – Administration of justice. This relates to the Administration of justice with matters relating to corruption.

So, it is clear without any doubt that Article 252 has absolutely no application in this particular case... (*Interruptions*) I am not yielding.

MADAM SPEAKER: Sushmaji, please. He is not yielding.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)


Comment: Fld by y1..e

(y1/1250/bks-mmn)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मैं यह कह रही हूँ कि जब श्री नारायणसामी जी ने बिल मूव किया तो उन्होंने खुद कहा कि 253 वह ला रहे हैं, फिर आप मेरी तरफ क्या कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : मैं उस पर आता हूँ, लेकिन आप मुझे बात तो खत्म करने दीजिए। ... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let him proceed, please.

श्री कपिल सिब्बल : मैडम, मैं सुषमा जी की मंशा भी समझता हूँ। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि विपक्ष यह चाहता है, खासतौर पर बीजेपी चाहती है कि यह विधेयक कभी पारित ही न  भी उन्होंने धारा 252 का साथ लिया, क्योंकि धारा 252 यह भी कहती है कि अगर दो लेजिस्लेटिव असैम्बलीज का रिजोल्यूशन हो भी जाए, फिर भी राज्य सरकार की लेजिस्लेटिव असैम्बलीज तय करेगी कि इस लॉ को लागू करना है या नहीं।... (व्यवधान) इसका मतलब यह है कि यहां सैंटर में तो लोकपाल पास हो जाए, लेकिन स्टेट्स में लोकायुक्त पारित न हो। यह आपकी राजनीतिक मंशा है।... (व्यवधान) इसमें कोई शक नहीं ... (व्यवधान)

Madam, why would we say it is an enabling law and why 253 has an absolute application? It is because 253 relates to implementation of international convention to which India is a party and 253 directly applies. I shall now read article 253.... (Interruptions)

“Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention.”

So, clearly, the applicable article is 253 and not article 252 and 252 is an escape clause for the BJP.

क्योंकि यह चाहते हैं कि अगर धारा 252 लागू होगी तो इनके ऊपर तो लोकपाल आ जायेगा, परंतु हमारे ऊपर लोकायुक्त नहीं आयेगा। ... (व्यवधान) और यह साफ जाहिर भी है, मैडम, यदि आप प्रदेशों में देखोगे, चाहे आप किसी भी प्रदेश में चल जाओ, यह साफ जाहिर है कि वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठा। ... (व्यवधान) और आश्चर्य की बात यह है कि सुषमा जी भूल गईं कि

स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी ने जो डिस्सेन्ट नोट दिया था, उसमें क्या लिखा था। शायद वह भूल गई, वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। आपने लिखा था - (व्यवधान) और आप मानती हैं... (व्यवधान) आप मुझे पढ़ने दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें पढ़ने दीजिए।

SHRI KAPIL SIBAL: It says:

“If Constitutionally permitted, we may in this regard have a law under article 253 or pass an enabling provision in order to provide uniformity throughout the country. In either case, this could be done by Central legislation.” ... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

MADAM SPEAKER: Yes, hon. Minister. हरिन पाठक जी, आप बैठ जाइये।

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Let us proceed with the debate peacefully.

... (व्यवधान)

श्री कपिल सिबल : इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि पार्लियामेंट को धारा 253 के अंतर्गत ऐसा विधेयक पारित करने का हक है। यह कोई नहीं कह सकता कि पार्लियामेंट को ऐसा करने का हक नहीं है और क्योंकि अगर इंटरनेशनल कंवेंशन है तो हम उसे पास कर सकते हैं और वह राज्य सरकारों पर लागू भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है।... (व्यवधान)

(z1/1255/cs-vr)

सुषमा जी ने मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया के बयान के बारे में कुछ पढ़ा। सुषमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद आपने पूरा बिल तरीके से नहीं पढ़ा। यहां सैक्शन 1 सब सैक्शन 4 में साफ लिखा हुआ है, “It shall come into force on such date as the Central Government, this is in respect of Lokayukta, may by notification in the official gazette appoint. Different dates may be fixed for different States and for different provisions of this Act. Any reference in any provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into effect of that provision.” इस विधेयक में, it is quite clear कि इस एक्ट में ये जो प्रावधान हैं, राज्य सरकारें डिफरेंट वक्त पर, डिफरेंट प्रोविजन्स को लागू कर

Comment: Kapil sibal contd.



सकती हैं।...(व्यवधान) इसी में लिखा हुआ है, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं, इसीलिए यह साफ जाहिर है कि it is an enabling legislation. They have to have a Lokayukta. There is no doubt about it under Article 253. But, the provision which will be put into effect will have to be decided by each State Legislature and then the Central Government will issue a notification to that effect. It is quite clear from the Act itself.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): वह एडॉप्शन का है, ट्रांजिशन का है।

श्री कपिल सिब्बल : वह 64 (5) है, उसका तो मैं उदाहरण ही नहीं दे रहा हूँ।...(व्यवधान) मैं तो सैक्शन 1 के बारे में बता रहा हूँ।...(व्यवधान) शायद सुषमा जी, आपने शायद पूरा पढ़ा नहीं है।...(व्यवधान) आप अपने भाषण में शायद भूल गयीं...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मैंने ए से लेकर जेड तक पढ़ा है।...(व्यवधान) मैं 1(4) की बात कर रही हूँ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ऐसे तो बहुत समय लग जायेगा। आप उन्हें बोलने दीजिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है? Nothing will go in record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

श्री कपिल सिब्बल : महोदया, 27 अगस्त को जब हाउस रेजोल्यूशन पास हुआ तो सेंस ऑफ दि हाउस यह था कि एक विधेयक द्वारा हम तीन बातें करेंगे। पहली कि एक सिटीजन चार्टर बनेगा, दूसरा, लोअर ब्यूरोक्रेसी को लोकपाल के थ्रू एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म अधीन लाया जायेगा और तीसरा लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। यह सेंस ऑफ दि हाउस था। अगर यह सेंस ऑफ दि हाउस था तो आज सुषमा जी कैसे कह सकती हैं कि हम लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करेंगे क्योंकि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है।...(व्यवधान) यह कहा है, establishment of the Lokayukta in the States, यह हाउस का रेजोल्यूशन है, यह लिखा हुआ है।...(व्यवधान) सुषमा जी कहती हैं कि यह लोकायुक्त बन ही नहीं सकता, जब तक धारा 252 का उपयोग न किया जाये।...(व्यवधान) सुषमा जी यही कह रही हैं ना...(व्यवधान) यही कह रही हैं

ना... (व्यवधान) उसका हमने जवाब दे दिया है।... (व्यवधान) यह तय कौन करेगा, सुषमा जी तो इस सदन में तय नहीं करेंगी, यह तो सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, यह कोई कोर्ट तो है नहीं, यह अदालत तो है नहीं कि सुषमा जी ने एक आर्गुमेंट कर दिया तो सब लोग मान गये।... (व्यवधान) ये फैसले अदालतों में होते हैं, हमारे सैप्रेशन ऑफ पॉवर्स के अंतर्गत न्यायालय फैसला करते हैं कि किसी भी विधेयक का कोई प्रोविजन कांस्टीट्यूशनल है या नहीं। यह फैसला हम तो नहीं करेंगे। इसीलिए जब कोई भी विधेयक इस सदन में पेश होता है तो उसकी केवल एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाये जाते हैं, क्या हमें पावर है या नहीं, हम अगर बता दें कि पावर है, उसके बाद चाहे वह कांस्टीट्यूशनल है, असंवैधानिक है, संवैधानिक है, वह फैसला हम नहीं करते हैं, वह फैसला कोर्ट करती है। सुषमा जी, कोर्ट को फैसला करने दीजिये।... (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): आप यही चाहते हो।... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go in record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत हो जाइये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हरिन पाठक जी, शांत हो जाइये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिये।

... (व्यवधान)

Comment: Fd. By a2

(a2/1300/hcb/san)

Comment: Shri Kapil Sibal cd

श्री कपिल सिब्बल : हम तो चाहते हैं कि सदन की मर्यादा का पालन हो।... (व्यवधान) पिछले एक साल से सदन के अंदर और सदन के बाहर चर्चा हो रही है। लोगों में बड़ा आक्रोश है क्योंकि लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सैन्टर में भी इसका पालन हो और राज्य सरकारों में भी पालन हो। अगर आप देखें तो सैन्ट्रल गवर्नमेंट की क्या सर्विसेज़ होती हैं, हम लोगों को क्या देते हैं केवल केन्द्र सरकार के रूप में — रेलवेज़ में लालू जी ने बहुत बढ़िया काम किया। तत्काल सुविधा के साथ आज लोग आराम से टिकट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। एयर सर्विसेज़ हों, ट्रांसपोर्टेशन हो, आपको टिकट दो मिनट में मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है और आप टिकट रिज़र्व कर सकते हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह सब क्या हो रहा है?



...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : पासपोर्ट की बात हो, इनकम टैक्स की बात हो, आजकल तो कार्पोरेट टैक्स के रिटर्न भी ऑनलाइन होते हैं। जो सर्विसेज़ केन्द्र की हैं, मैं समझता हूँ कि उनमें बहुत भारी परिवर्तन आया है। लेकिन जहाँ तक राज्य सरकारों की सर्विसेज़ हैं, जो असली भ्रष्टाचार है, वह तो वहाँ है। ...(व्यवधान) पटवारी काम नहीं करता। ...(व्यवधान) आपका मकसद मैं समझता हूँ। पटवारी काम नहीं करता, किसी को राशन नहीं मिलता, अस्पताल में जगह नहीं मिलती, प्राइमरी हेल्थ सैन्टर्स में जाओ तो सुविधा नहीं मिलती। कोई मोटर व्हीकल लाइसेन्स लेने जाओ तो लाइसेन्स नहीं मिलता। हर बात पर घूस ली जाती है। जो असली मुद्दे आम आदमी से जुड़े हुए हैं, जो छोटे-मोटे मुद्दे हैं जिनसे देश की जनता त्रस्त है, वे तो राज्य सरकारों के अंतर्गत हैं, और आज सुषमा जी कह रही हैं कि लोकपाल केन्द्र सरकार के लिए तो ठीक है लेकिन लोकायुक्त राज्य सरकारों में नहीं होगा। यहाँ तो ये आक्रामक प्रहार करेंगी कि करप्शन के मामले हैं, लेकिन वहाँ राज्यों में जहाँ इनकी सरकारें हैं, ये करप्शन को अपनाते हैं, उसको एम्ब्रेस करते हैं। ...(व्यवधान) कर्नाटक में देख लो क्या हुआ। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग शांत हो जाइए। डिबेट करनी है या नहीं। आप लोग क्यों खड़े हो गए? आप लोग बैठिये। हर समय खड़े हो जाते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इतना ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं? बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इतना क्रोधित होकर क्या बोल रहे हैं? आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Are we discussing a State here? ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. You should sit down.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please continue.

Nothing else will go on record.

(*Interruptions*) ... (*Not recorded*)

MADAM SPEAKER: All of you sit down. Let us continue with the debate. What is all this?

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Do not be so intolerant.

... (Interruptions)

श्री कपिल सिबल : महोदया, कर्नाटक में श्री संतोष हेगड़े जो वहाँ लोकायुक्त थे, उन्होंने खुद कहा कि धनञ्जय साहब, जो बीजेपी के प्रमुख अधिकारी थे, वे उनके घर गए। ... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing other than the Minister's speech will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

श्री कपिल सिबल : वे उनके घर गए और उनको कहा कि आप येदुरप्पा जी का नाम अपनी चार्जशीट में क्यों डालते हैं, उस रिपोर्ट से उनका नाम निकालिये नहीं तो हमारी बीजेपी की बड़ी बुरी हालत कर्नाटक में होगी। संतोष हेगड़े ने कहा कि यह उचित नहीं है, आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए था। राज्यों में तो ये करप्शन को अपनाते हैं और यहाँ कहते हैं कि बड़ा करप्शन है। यह असलियत है। यह बीजेपी की असलियत है। ... (व्यवधान) सुषमा जी आज बड़ी-बड़ी बातें कर रही हैं। |

Comment: Cd by b2

Comment: Cd Sibbal

(b2/1305/mm/ak)

इनको किसने रोका था कि राज्य सरकारों में सशक्त लोकायुक्त न लाएं! क्या किसी ने रोका? यह सुषमा जी को जवाब देना चाहिए कि जिस-जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, उसको कौन रोक रहा है कि इससे भी बढ़िया लोकायुक्त लाएं! ... (व्यवधान) वहां तो एप्वाइंटमेंट कौन करता है, चीफ मिनिस्टर। एप्वाइंटमेंट कौन करता है राज्य सरकारों में लोकायुक्त की, मुख्यमंत्री। यहां कहती हैं कि बड़ा भारी इंडीपेंडेंट ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन वहां मुख्यमंत्री एप्वाइंट करेगा। यह ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया) राजनीति कैसे? ... (व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): मैडम, यह असंसदीय शब्द है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह शब्द निकाल दीजिए।



... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : वह शब्द निकाल दिया है।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: We have taken it out of the record. Now, please sit down.

... (Interruptions)

श्री कपिल सिब्बल: आप बताइए कि गुजरात में नौ साल हो गए और लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई और यह हमें भाषण दे रही हैं ट्रांसपेयरेंसी का।...(व्यवधान) वहां गवर्नर साहब ने...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। क्यों खड़े हो गए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग हर समय क्यों खड़े हो जाते हैं? बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: वहां गुजरात में गवर्नर ने चीफ जस्टिस से नाम लिया।...(व्यवधान) लेकिन मुख्यमंत्री मानता ही नहीं, कहता है कि चीफ जस्टिस कौन होता है नाम देने वाला।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I am telling them to sit down.

... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : आप बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: सुषमा जी को अपनी पार्टी की ओर से इस देश को बताना होगा, यह जवाब देना होगा और जनता आज सुन रही है कि आप जो बातें आज कह रही हैं, आपने ऐसा लोकायुक्त क्यों नहीं अपने राज्य सरकारों में बनाया। लेकिन न तो बीजेपी के पास जवाब है, न सुषमा जी के पास जवाब है। असलियत तो यह है कि अपने घर में भ्रष्टाचार अपनाओ और दूसरे के ऊपर आरोप डालो। मैं एक और आरोप आप पर लगाना चाहता हूं कि अगर आपने इस लोकायुक्त का विरोध किया तो आप सैंस ऑफ द हाउस का उल्लंघन कर रहे हैं और जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। इतना आवेश में नहीं आते हैं।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: मैडम, मैं बताता हूं इनकी राजनीति। इनकी राजनीति यह है कि लोकपाल न पारित होने दो और वहां अन्ना जी जो भी कर रहे हैं, उनके पास जाओ, बाकी प्रदेशों में जाओ और बोलो कि सरकार वीक लोकपाल ला रही है ताकि इलैक्शन में इनको फायदा हो। यही केवल इनकी राजनीति है।...(व्यवधान) इनको स्वायत्तता से कोई लेना-देना नहीं है। इनको लोकपाल से कोई लेना-देना नहीं है। इनको तो अपनी राजनैतिक रोटियां सैंकनी हैं।...(व्यवधान) अब मैं आपकी दूसरी बात पर आता हूं।

मैडम, एक और बात मैं कह दूं। मैं गौर से देख रहा था कि वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के लोकायुक्त के दो बिल हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वर्ष 2010 में त्रिपुरा के लोकपाल की एप्वाइंटमेंट हुई, उसका

संशोधन हुआ और उस बिल में कोई पब्लिक फंक्शनरी का नामो-निशान नहीं है, न ग्रुप ए, न ग्रुप बी, न ग्रुप सी और न ग्रुप डी। यह सदनली इस बहस में सब लोगों को याद आ रहा है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

श्री कपिल सिब्बल: लेकिन अपने-अपने राज्य सरकारों में सब भूल गए कि कौन ग्रुप ए, कौन ग्रुप बी, कौन ग्रुप सी और कौन ग्रुप डी।...(व्यवधान) यह आपका त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल का बिल है, जिसमें भी संशोधन आया था। वहां भी सब लोग भूल गए और लोकायुक्त की नियुक्ति उन बिल्स के द्वारा कैसे होती है। लोकायुक्त की नियुक्ति केवल वहां मुख्यमंत्री करता है।...(व्यवधान) यहां हमने सिलैक्शन कमेटी बनायी, लेकिन उसकी आलोचना हो रही है, वहां मुख्यमंत्री नियुक्त करे, उसकी कोई आलोचना नहीं।...(व्यवधान) यह किस किस की राजनीति है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

Comment: Fd by c2

(c2/1310/rv-sh)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। मंत्री महोदय बोल रहे हैं, उन्हें पूरा करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय को पूरा करने दीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Madam, he should refer to the Karnataka Lokayukta. ... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : लालू जी, आप बाद में बोलिएगा। आपको समय देंगे।



...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम, मैं प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा हूँ। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू जी, कौन सा रूल है? आप प्वायंट ऑफ ऑर्डर का पहले मुझे नियम बताइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू जी, आप प्वायंट ऑफ ऑर्डर का नियम बता कर बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्वायंट ऑफ ऑर्डर में पहले नियम बताना पड़ता है।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: When any hon. Minister or Member is speaking, I do not want any disturbance.

(Interruptions) ... (Not recorded)

अध्यक्ष महोदया : चाहे इधर से बोलें, चाहे उधर से बोलें, पर नियम बताकर बोलें।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

श्री लालू प्रसाद (सारण): चाहे जितना बढ़िया से बढ़िया बिल बना दीजिएगा, अन्ना हजारों मानेंगे नहीं। ... (व्यवधान) इसलिए इसको हटाइए। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह बात आप बोल चुके हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: This will not go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

MADAM SPEAKER: Are you yielding, Mr. Minister?

SHRI KAPIL SIBAL: No.

MADAM SPEAKER: No, he is not yielding.

श्री कपिल सिब्बल : दूसरी बात सुषमा जी ने रखी, वह यह थी कि यहां लोकपाल में आरक्षण दिया गया है, सर्व कमेटी में भी आरक्षण है, लोकपाल की नियुक्ति में भी आरक्षण है और यह असंवैधानिक है। यह बात उन्होंने हमारे सामने रखी। उसका उदाहरण शायद सुषमा जी धारा पन्द्रह और धारा सोलह के बारे में सोच रही हैं। मैं आपके द्वारा सुषमा जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि धारा 15 और धारा 16, जिसके आधार पर आरक्षण दिया जाता है, वह इस पर लागू होता ही नहीं। उसकी वजह यह है कि धारा 15 यह कहती है

कि “That the State shall not discriminate” मतलब कि अगर शिक्षा की संस्थाएं हैं और उन शिक्षा की संस्थाओं में आरक्षण के द्वारा, एफरमेटिव एक्शन के द्वारा, एस.सी., एस.टी. और बाकी बैकवर्ड क्लासेज की रिप्रेजेंटेशन होती हैं तो वह कंस्टीट्यूशनल है। धारा 15 कहती है कि अगर एफरमेटिव एक्शन होता है through reservations in State Institutions तो वह कंस्टीट्यूशनल है। धारा 16 स्टेट इम्प्लायमेंट के बारे में बात करती है कि अगर किसी को नौकरी देनी है और सरकार को नौकरी देनी है, सरकार अगर नौकरी दे और अगर उसमें एस.सी., एस.टी., बैकवर्ड्स को आरक्षण मिले तो वह भी कंस्टीट्यूशनल है। लेकिन उसका लोकपाल की नियुक्ति से क्या ताल्लुक है? क्या लोकपाल की नियुक्ति कोई स्टेट है? क्या लोकपाल स्टेट है? क्या लोकपाल कोई सरकारी नौकरी है? ... (व्यवधान)

सुषमा जी का मोटे तौर पर यह कहना है कि इस देश में सोलह करोड़ अल्पसंख्यक हैं, हम एक भी अल्पसंख्यक को लोकपाल में आने नहीं देंगे। इनकी नीयत यह है कि सोलह करोड़ अल्पसंख्यकों को वहां लोकपाल में कोई जगह नहीं मिलेगी।... (व्यवधान) यह किस किस की आरग्यूमेंट है। यह आरग्यूमेंट ही अपने आपमें असंवैधानिक है।... (व्यवधान) यह आपका आरोप ही असंवैधानिक है। शायद आपने ध्यान से अनुच्छेद 15 और 16 को न ही पढ़ा और न समझा। तभी मैंने कहा कि यह बहुत खतरनाक होता है कि कभी-कभी पार्लियामेंटेरियन्स एडवोकेट का रूप ले लें। यह बड़ा खतरनाक होता है। मैं नहीं चाहता था कि आप उस खतरे में पड़ें।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। आपके और लोग बोलेंगे, तब बोलिएगा।

Comment: Fd. by d2

(d2/1315/sb-sr)

... (व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: मैडम, लोकपाल का मतलब क्या है कि लोगों की जो भावनाएं हैं, उनका पालन करते हुए हमने आम जनता के साथ न्याय करना है। यही लोकपाल का मतलब है, अन्य तो कोई मतलब नहीं। अगर हमारे अनुसूचित जातियों के लोगों की वहां बैकवर्ड क्लासेस, वूमैंस और माइनोरिटीज की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो क्या आप जनता के साथ न्याय कर पाएंगे? ... (व्यवधान) उनका ख्याल कौन रखेगा? ... (Expunged as ordered by the Chair)... (व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): This should be withdrawn. ... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Order in the House.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: I will delete it. I will take care and I will delete it. I will call for the record and I will get it deleted.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: I have said that I will call for the record.

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कपिल सिब्बल जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please proceed.

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप कपिल सिब्बल जी को बोलने का मौका तो दीजिए। आप कितना शोर मचा रहे हैं, हर शब्द पर बोले जा रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: मैडम, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि सवाल आरक्षण का नहीं है, ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। आप हर टाइम क्यों खड़े हो जाते हैं, आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: सवाल यह है कि आम जनता की जो मुश्किलें हैं, ... (व्यवधान) जो भ्रष्टाचार आम नागरिक के सामने एक खतरा बन कर खड़ा हुआ है। ... (व्यवधान) उसका ख्याल कौन रखेगा? ... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Why are you standing? Please sit down. Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

अध्यक्ष महोदया: कपिल सिब्बल जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: इस देश में 50 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। क्या सुषमा जी चाहती हैं कि वहां आरक्षण के द्वारा कोई महिला न हो? ... (व्यवधान) क्या इनका यह नजरिया है? क्या ये सोचती हैं कि जिस

कमेटी में प्रधान मंत्री जी होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगी, चीफ जस्टिस के नोमिनी होंगे, एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे, वहां कोई गलत स्पीकर होंगे, कोई गलत नियुक्ति होगी, क्या आप ये सोचती हैं? आपका कहने का मतलब यह है कि इन पांच लोगों के पास, इन पर हमारा कोई भरोसा नहीं है। ...(व्यवधान) ये सही महिला को बैठाएंगे, सही माइनोरिटी के आदमी को बैठाएंगे, सही एससी और एसटी के आदमी को बैठाएंगे और सही बैकवर्ड के आदमी को बैठाएंगे। ...(व्यवधान) मुश्किल यह है कि आपको अपने आप में ही भरोसा नहीं है, इसलिए आप हम पर भरोसा नहीं करती हैं। ...(व्यवधान)

आपने यह जो रिजर्वेशन की बहस छेड़ी है, मैं समझता हूँ कि इसे आपको छेड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि यह देश आपकी तरफ देख रहा है, हमारी तरफ कम, आपकी तरफ ज्यादा देख रहा है। ...(व्यवधान) क्योंकि हम तो लोकपाल ले आए, अब इसे पारित करने के लिए सदन को फैसला करना है।...(व्यवधान) इस देश की जनता आपकी तरफ देख रही है। अगर आप ये लोकपाल पारित नहीं करेंगे तो सुषमा जी, आप बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। ...(व्यवधान)

The road to power is always under construction. In your case, it was under construction in 2004; it was under construction in 2009 and it will continue to be under construction in 2014. आप ख्याल रखें।...(व्यवधान)

(e2/1320/mkg/kmr)

Comment: shri kapil sibal cd.

मैं समझता हूँ कि-

ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही बेहतर है,

या फिर ऐसी बात करो, जो खामोशी से बेहतर हो।...(व्यवधान)

सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए...(व्यवधान) मैडम, 2-4 पार्ट्स आपने और रखे, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। एक बात आपने कही कि यह जो सारा सरकारी ढांचा है, यह सारा ढांचा सरकारी है, क्योंकि इसमें जो लोकपाल की नियुक्ति होती है, वह जो सलैक्शन कमेटी है, वह सरकार की प्रतिभारी है। यह सुषमा जी ने आज कहा, मैं सदन के सब साथियों से पूछना चाहता हूँ कि हम किस किस का लोकपाल चाहते हैं? हमें 1947 के बाद 1950 में जब संविधान दिया गया तो एक बड़ा बढ़िया ढांचा उन्होंने



हमें दिया। 1947 से लेकर तीन साल इस पर चर्चा हुई और 1950 में 26 जनवरी को हमें संविधान दिया गया। उस ढांचे में लोगों ने एक बेलेंस ऑफ पावर रखा कि न्यायपालिका की अपनी भूमिका है, पार्लियामेंट की अपनी भूमिका है और सरकार की अपनी भूमिका है, लेकिन कोई ऐसा ढांचा नहीं बनाया, जिसके अन्तर्गत कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन हो जाये या ढांचा हो जाये, जो इन तीनों के बाहर हो। आपके भाषण से मुझे ऐसा लगा कि आप उस संवैधानिक ढांचे को बदलना चाहते हैं। आप ऐसी संस्था हमारे ऊपर बैठाना चाहते हैं, जिसकी जवाबदेही किसी को न हो। यह असली मुद्दा देश के सामने है और इस पर एक साल से हम चर्चा कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, सरकार नहीं चाहती कि हम ऐसा ढांचा बनायें, जो अपने आपमें असंवैधानिक हो। सरकार यह भी नहीं चाहती कि उसको ऐसी पावर्स मिल जायें कि उसकी जवाबदेही किसी को न हो। सरकार यह भी नहीं चाहती कि सरकार एक तरफ हो और एग्जीक्यूटिव पावर दूसरी ओर हो। अगर ऐसा करोगी तो आप अपने लोकतंत्र को खतरे में डालोगी, सुषमा जी।

भाषण एक तरफ, राजनीति एक तरफ, इलैक्शंस एक तरफ, लेकिन संविधान के ऊपर हम चोट आने नहीं देंगे। कौन करेगा सलैक्शन? सुषमा जी, बताइये, कौन करेगा सलैक्शन? कोई बाहर के लोग बैठा दें? लोकपाल खुद तय करेगा कि किसको प्रोसीक्यूट करना है, किसको नहीं? लोकपाल खुद तय करेगा कि उसके नीचे इन्वेस्टीगेशन हो कि बिना तथ्य के किसी को भी प्रोसीक्यूट कर ले और उसकी कोई जवाबदेही नहीं। लोकपाल यह करेगा कि हम सब कुछ जानते हैं, देश के लिए क्या अच्छा है और पार्लियामेंट के चुने हुए लोग कोई नहीं जानते, क्या आप ऐसा लोकपाल लाना चाहते हैं? सदन का कोई नेता इस बात को नहीं मानेगा। शायद यह तो ठीक है कि हमें थोड़ा-बहुत तो कानून आता है, लेकिन हम यह नहीं कहते कि हमसे गलती नहीं हो सकती, लेकिन बड़े गौर से, हमने बड़े सोच-विचार से, संविधान को सामने रखते हुए आपको यह ढांचा दिया है और वह ढांचे की इस बात को सामने रखते हुए कहा है कि ऐसी शक्ति हम किसी और को न दे दें, जो इस ढांचे को ही खत्म कर दे। इसलिए अगर हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, लोक सभा की अध्यक्ष, लीडर ऑफ दि अपोजीशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसका नोमिनी और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट्स तय करेंगे तो हमें विश्वास है कि वे सही तय करेंगे, गलत तय नहीं करेंगे।

फिर आप कहते हैं कि लोकपाल के जो सैक्रेटरी की नियुक्ति है, उसमें तो अजूबा तरीका आपने अपनाया। आपने कहा कि एक पैनल ऑफ नेम जायेगा, भइया, कहां से पैनल ऑफ नेम लेकर आयें, बताइये।

(f2/1325/cp/vp)

Comment: cd by f2

Comment: श्री कपिल सिबल जारी



अगर सरकार की ओर से नहीं जाएगा, तो कहां से जाएगा? क्या सुषमा जी देंगी पैनल, आरएसएस देगा पैनल,...(व्यवधान) सरकार की ओर से ही तो जाएगा, क्योंकि जो सरकारी लोग हैं, वे सरकार के लिए काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती हैं कि कौन आउट स्टैंडिंग है, कौन आउट स्टैंडिंग नहीं है, कौन वेरी गुड है, वह हमें मालूम है। अच्छे-अच्छे लोग हम आपको देंगे और आप तय कीजिए कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। इसमें क्या दिक्कत है? लोकपाल तय करेगा, पैनल हम देंगे। ...(व्यवधान) आपने सीवीसी में किया न, आपने तय किया न...(व्यवधान) अब आप कहते हैं कि साहब देखो ...(व्यवधान) आपने एक और आरोप लगाया कि अगर सरकार नियुक्ति करेगी तो सब लोग सरकार के अधीन होंगे, तो क्या सीएजी सरकार के अधीन है? आप देख रहे हैं, क्या सीएजी सरकार के अधीन है, नियुक्ति तो हमने की थी, लेकिन क्या वह हमारे अधीन है? हम जजेज की नियुक्ति करते हैं, क्या वे हमारे अधीन हैं? क्या इलेक्शन कमीशन हमारे अधीन है? यह बताइए। ...(व्यवधान) आपके वक्त ऐसा हो सकता है, हमारे वक्त ऐसा नहीं है। ...(व्यवधान) यह अपने आप में जो आपने बहस छोड़ी, यह भी गलत बहस है। सरकार ही ऐसे काम कर सकती है। गैर-सरकारी नियुक्ति होगी तो गैर-सरकारी काम भी होंगे। अगर गैर-सरकारी काम होने लगे, तो भ्रष्टाचार पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। ...(व्यवधान)

आपने एक और बड़ी विचित्र बात कही। आपने धारा 24 की बात कही। आपने कहा कि देखिए हम लोक सभा की अध्यक्ष को किसी के अधीन कर रहे हैं। शायद आपने पढ़ा नहीं और पढ़ा तो गौर से नहीं पढ़ा। उसमें यह लिखा है कि जब लोकपाल यह तय कर ले कि किसी भी मंबर के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो रही है, मतलब कि उसको प्रोसीक्यूट किया जा रहा है, लोकपाल के द्वारा प्रोसीक्यूट किया जा रहा है, तो वह जो रिपोर्ट है, वह अध्यक्ष को देनी चाहिए। फिर अध्यक्ष बताएंगी कि उसके ऊपर यहां क्या कार्रवाई होगी? ...(व्यवधान) क्योंकि अगर कोई मंबर भ्रष्टाचार में फंसता है और उसके खिलाफ एवीडेंस होता है, तो यह हमारे संसद का कर्तव्य है कि उसके खिलाफ क्या किया जाए। ...(व्यवधान) यह उसका कर्तव्य है।

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Why will she report? Why will the Presiding Officer report it? ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बाद में बोलिएगा।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : दूसरी बात, यह एक कानून है, जैसे कि टेंथ शेड्यूल में कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट था, आप लोगों को मालूम है कि टेंथ कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वह तो कांस्टीट्यूशन का एक हिस्सा है,

उसमें जो लोकसभा के निर्णय हैं, They are subject to the court; it is not subject to anybody. यह तो केवल आपको कहना है कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? यह तो पारदर्शिता की बात है, आपको तो इसे अपनाना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ... (व्यवधान)

आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आपने प्राइम मिनिस्टर के आफिस को ऐसे सुरक्षित रखा हुआ है कि उनके खिलाफ कभी कार्रवाई हो ही नहीं सकती और साथ-साथ आपने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का ऐसा आफिस होता है ... (व्यवधान) एक बिंदु और आपने रखा, आपने यह कहा कि प्रधानमंत्री को आपने इतना सुरक्षित रखा हुआ है कि उनके खिलाफ कभी कार्रवाई हो ही नहीं सकती, तीन-चौथाई मेजोरिटी चाहिए, ऐसे-ऐसे प्रावधान आपने रखे हैं और प्रोसीडिंग्स इन कैमरा होंगी। |

Comment: cont by g2.h

Comment: Cd Shri K. Sibbal

(g2/1330/raj/rk)|

मैं समझता हूँ कि कई लोगों की राय है कि प्रधानमंत्री को इससे बाहर होना चाहिए था लेकिन हमने सहमती दिखाई। विपक्ष की जो भावनाएं हैं उनको हमने अपनाया क्योंकि हम चाहते हैं कि एक सशक्त लोकपाल बिल पास हो और कहा कि प्रधानमंत्री कंडिशन के साथ दायरे में आएँ। हमने यही कहा इसमें हमने क्या गलत किया? ऑल पार्टी मीटिंग में आपने कहा कि कंडिशन के साथ प्रधानमंत्री को दायरे में लाइए।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): दो राइडर्स दिए थे। यह नहीं कहा था कि बुलेटप्रूफ जैकेट... (व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं बुलेटप्रूफ की बात करता हूँ। बुलेट प्रूफ लिए कि आप बिना सोचे-समझे बात करते हैं तो हमें बुलेट प्रूफ बनाना ही है। आप बिना सोचे-समझे फायर करेंगे तो हमें सुरक्षित रहना पड़ेगा। पिछले एक-डेढ़ साल से हम यही देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई न कोई कार्रवाई शुरू हो। आप रोज आरोप लगाती हैं और आज कह रही हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई क्यों आरोप लगाएगा? मुश्किल तो यह है कि जो आप करते हैं if you look at this side of the House, you get what you say. If you look at the other side of the House, you do not get what you say. You never get what you say because if you have said something in this House you do just the opposite outside. And, this is not the first time. I urge you to make a statement in this House. Forget this and make a statement that a strong Lokpal Bill here and Lokayuktas Bill in the States where you are in Government, will be passed by you in the next two months. Make such a statement.... (Interruptions)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (VIDISHA): I am making that statement. Please sit down.... (*Interruptions*) We will pass a strong Lokpal Bill in this House and strong Lokayuktas Bill in the States.

SHRI KAPIL SIBAL: When?

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (VIDISHA): We have already passed a strong Lokayukta Bill in Uttarakhand.... (*Interruptions*) Madam, I am making a statement.... (*Interruptions*) He has asked me to make a statement and I am making a statement.... (*Interruptions*) माइक बंद है।

MADAM SPEAKER: Yes, the mike is now working.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I am ready to allow you to speak if he is yielding.

SHRI KAPIL SIBAL: Let her make a statement whenever she wants. I want the BJP... (*Interruptions*)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (VIDISHA): I am ready to make the statement.... (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): He has challenged her to make a statement. Let her make the statement.... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: When the hon. Minister has finished, I will call the Leader of the Opposition.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : इस पर आप बोल लिजिएगा। इनको समाप्त कर लेने दीजिए उसके बाद आप को बुला लेंगे।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Are you yielding?

SHRI KAPIL SIBAL: I am yielding, Madam.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (VIDISHA): The Minister has urged me to make a statement that we will pass a strong Lokpal Bill in this House and we will also make strong Lokayuktas in the States. I am making the statement right now.

On behalf of my whole Party, I would like to say that we will pass a strong Lokpal Bill in this House and we will pass strong Lokayuktas Bill in the States. (h2/1335/nrj-nsh)

Comment: cd. by 'h2'

Comment: Smt. Sushma Swaraj cd.

We have already paved the way for Uttarakhand. It is a model Bill... (Interruptions) You should bring that Bill on the lines of Uttarakhand... (Interruptions) This is my Statement. ... (Interruptions) SHRI KAPIL SIBAL: It is out of the fact. ... (Interruptions) Look at the Statement. You have said that we will pass a strong Lokpal in this House and a strong Lokayukta Bill in the States. ... (Interruptions)

I asked her to tell me whether she will pass a strong Lokpal within two months. ... (Interruptions) Give an assurance to the nation. But you will never give it. It is because that is not your intention.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): एक-एक शब्द जो आपने बोले, मैंने... (व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : मेरे शब्द कुछ और थे, समझे नहीं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let us proceed with this. Please continue.

... (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: Madam Speaker, there is one last point that I wish to make. It is about CBI. ... (*Interruptions*)

As far as the CBI is concerned, we have ensured that the CBI has a functional autonomy in this country. It is on the basis of that functional autonomy that the CBI is prosecuting matters.

In this amendment, we are proposing a process of appointment, which will ensure the independence of the appointment of the Director. आपने कहा कि सीबीआई के जो बाकी अधिकारी हैं, उनकी भी नियुक्ति कोई और संस्था करे। यह हो नहीं सकता। यह अपने आपमें कोई संस्था नहीं मानेगी क्योंकि वे सभी लोग अल्टीमेटली सरकारी नौकर हैं और सरकार ही उनकी ऐप्वाइंटमेंट कर सकती है। लेकिन सीबीआई के डायरेक्टर की इतनी तो इंडीपेंडेंस है कि वह किसी को किसी काम पर लगा सकता है। जो भी अधिकारी है, उसे किसी भी काम पर लगा सकता है।... (व्यवधान) यह ऑटोनॉमी और इंडीपेंडेंस बरकरार रहेगी, हमेशा रही थी, आज है और आगे भी रहेगी। यह बात केवल मैंने ही नहीं कही, यह देश के पूर्व प्रधान मंत्री ने कही। जब जूदेव के केस में यह आलोचना उठी थी, तो उन्होंने उठकर इस सदन में बयान दिया था कि आप सीबीआई के ऊपर कोई ऐसी आलोचना नहीं करें। हम चाहते हैं कि सीबीआई हर केस में एक ऑटोनोमस इंडीपेंडेंट जांच करे। यह अक्सर रहता है कि जब आप वहां बैठते हैं तो सीबीआई की आलोचना करते हैं और यहां बैठते हैं तो हमेशा उसे डिफेंड करते हैं कि आपने कभी दखलअंजादी नहीं की। यह एक राजनीतिक बात है, इसको इस बहस में न लाएं, क्योंकि आज यह देश देखना चाहता है कि सदन जल्द से जल्द इस विधेयक को पारित करे। देश यह चाहता है।... (व्यवधान)

आपको मालूम है कि सीवीसी एक्ट के अंडर भी जो ऐप्वाइंटमेंट हैं, वह सीवीसी करता है एबव सुपरिटेण्डेंट। उसमें हमारी कोई दखलअंदाजी नहीं होती।

मैं आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है, इसे हम केवल एक विधेयक से नहीं लड़ पाएंगे। यह विधेयक तो एक साधन है। मैं युनाइटेड नेशन्स मैनुअल आन एंटी करप्शन पॉलिसी के बारे में आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। This is what they said at page 101:

“The belief that corruption can be eradicated quickly and permanently inevitably leads to false expectations that result in disappointment and distrust. It must be understood that curbing corruption requires political will, public confidence, adequate time, resources, dedication and integrity. Moreover, efforts can not stop once corruption has been identified and controlled. Localities will

have to continue to build integrity and to maintain vigilance. Thus, fighting corruption will become a permanent item of public expenditure.

Strategies to fight corruption do not reside solely with criminal justice but rather should also be co-ordinated with economic and social policies and the development of civic political culture.’

Comment: Cd by j2

(j2/1340/snb-rjs)

Comment: Sibal contd.

This is what our UPA Government is trying to do. I congratulate the Chairperson of the UPA; I congratulate the hon. Prime Minister for the landmark and unprecedented legislation that they have brought about in the last few years... (*Interruptions*) Let the nation know what this Government has done. This Government has brought about the Right to Information Act. We brought it. We are the ones who introduced the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. These are the social and economic measures that we are taking. We had introduced the Right to Education Act and passed it. We have introduced the Food Security Bill, the Land Acquisition Rehabilitation Bill. On the Administrative side, a Group of Ministers is being set up to do away with the digression of Ministries. The Citizens Charter in the Grievance Redressal mechanism is being considered. It is this Government, in the history of this country, which has brought about unprecedented legislation for the future of this country.

The sad part, Sushmaji, is that you are a marvelous orator; there is no doubt about it, but your ideology is to destroy and not to construct. In the course of your entire speech you have not given one constructive suggestion. In the course of the entire one and a half years that we had been having a dialogue, not only with political parties but also with civil society, the BJP's refrain had always been that let the Bill come to Parliament and then we will respond. That is all what you have said. You have never, in the last one and a half years, given a single constructive suggestion that you have to fight corruption. The intentions are quite clear – you

do not want to fight it, in fact, you want to embrace it when you are in power. This fight for corruption is only meant those who are outside so that you can take political advantage. Sushmaji, please do not do this. The BJP should not let the country down, support the Lokpal Bill and have a Lokayukta in your State.

Thank you very much.

(ends)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned for lunch to meet again at 2.15 pm.

1343 hours

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteen minutes past Fourteen of the Clock.

(k2/1415/rps-rbn)

1418 बजे

लोक सभा चौदह बजकर अट्ठारह मिनट पुनः समवेत् हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

**LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL;
CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND SIXTEENTH
AMENDMENT) BILL
(Insertion of new Part XIVB);**

AND

**PUBLIC INTEREST DISCLOSURE AND PROTECTION TO PERSONS
MAKING THE DISCLOSURES BILL -- contd.**

1418 बजे

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि जब मैं बोलता हूँ तो आप ही चेयर पर होते हैं।

महोदय, आज यह बहस हो रही है, महत्वपूर्ण बहस है और इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। पूरा देश यह सोच रहा है कि आखिर इस भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति मिले। अब उम्मीद तो सभी करते हैं कि शायद इस बिल से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि खत्म हो जाएगा इससे। इस बिल में भी कमी है और यदि कमी है, तो उसका एक ही उपाय है कि जो संशोधन आए हैं, उनको स्वीकार कर लिया जाए, तो एक लोकपाल का यह एक शक्तिशाली विधेयक हो जाएगा। लोकपाल के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि लोकसभा देश की जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिबिम्ब है। इसलिए जो लोकतंत्र अपनाया गया है, लोकतंत्र बड़ा है लोकपाल से। यह ध्यान रखना होगा कि लोकपाल से लोकतंत्र बड़ा है। लोकतंत्र में हम लोग बातें रखते हैं, इसलिए मैं नेता, सदन से कहूंगा कि विपक्ष जो बोलता है, आप सुनते हैं, तो आपकी मर्जी है, जो उचित है, उसे मान लेना चाहिए और जिसे अनुचित समझते हैं, उसे नहीं मानना चाहिए।

(12/1420/jr-tkd)

आलोचना से आपको ही लाभ होता है। आपमें क्या कमजोरी है, अगर वह आप समझ लेते हैं तो हो सकता है कि आप सुधार लें। इस तरह देखा जाए तो सही मायनो में विपक्ष आपको ताकतवर ही बनाता है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि विपक्ष से कोई बोलता है तो सरकार को गुस्सा आ जाता है। सरकार को गुस्सा क्यों

Comment: cd. by I2

Comment: Sh. Mulayam singh yadav
cd.



आता है, जबकि आप इतने शक्तिशाली हैं। हम जानते हैं कि सरकार के पास कई मजबूत हथियार हैं। हम अगर नाराज़ हो जाएंगे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप नाराज़ हो गए तो हमारा जरूर कुछ न कुछ बिगड़ सकता है। ऐसा कई बार देखने में भी आया है।

उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार से अपील करता हूँ कि लोक सभा देश की जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए इस सदन से लोगों को उम्मीद है कि उनके हितों के लिए कानून बनेगा। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस लोकपाल एवम् लोकायुक्त विधेयक ने लोगों को पूरी तरह से निराश किया है। आप इस बात को महसूस करें या न करें, वह अलग बात है, क्योंकि सरकार के हजारों हाथ हैं। सरकार लोकपाल पर काफी परेशान रही है, यह भी देखने में आया है। हम देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार द्वारा और कई राज्य सरकारों द्वारा भी, चाहे वहां किसी भी दल की सरकार हो, अन्याय हो रहा है। जब ऐसा होगा तो फिर भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा।

हम सांसद जो यहां बैठते हैं, हम पर भी अंगुली उठती है। हम लोग जनता से डरते हैं, क्योंकि हमें दोबारा जनता के बीच जाना होता है। इसलिए सारे सांसद और विधायक भी जनता से डरते हैं। यही कारण है कि सांसद भ्रष्टाचार नहीं करते, भ्रष्टाचार है नौकरशाही के बीच, जहां मंत्री हैं, सरकारें चलती हैं, उनके बीच होता है। चाहे केन्द्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें हों, वहां भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। हम लोग जो यहां बैठे हैं, सबके चेहरे साफ हों, इन पर कोई अंगुली नहीं उठा सके, तब भ्रष्टाचार रुकेगा। अगर हम लोगों पर अंगुली उठेगी तो भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा इसलिए यह भी ध्यान में रखना चाहिए। आज इतनी बहस हो रही है, बड़ी तैयारी के साथ बहस हो रही है। हम लोग तो ज्यादा तैयार होकर नहीं आ पाए। लेकिन जब कपिल सिब्बल जी बोल रहे थे, तो उन्होंने कई कानूनी बातें बताईं। वह कानून को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि देश के अच्छे वकीलों में उनका नाम आता है। उन्होंने इस लोकपाल बिल को जरूर देखा होगा। हम जानते हैं कि चिदम्बरम साहब ने भी देखा होगा। कानून मंत्री जी ने तो देखा ही होगा। वह भी बहुत नामी वकील हैं।

मेरा कहने का मतलब यह है कि लोकपाल बिल को यहां लाने की जो मंशा थी, वह पूरी नहीं हो पा रही है। वह इसलिए कि यह मजबूत बिल नहीं है। यह कैसे माना जाएगा कि प्रतिशोध या बदले की भावना से काम नहीं किया जाएगा या नहीं किया गया है। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन दर्जनों ऐसे केसेज़ हैं, जहां लोगों ने सरकार में रहकर कानून का दुरुपयोग किया है। ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार है, नीचे से ऊपर नहीं है।

Comment: cd.by m2

(m2/1425/har/brv)

Comment: Cd by Mulayam singh

अगर यहां जो अच्छे चेहरे बैठे हैं, उन पर उंगली नहीं उठेगी, तभी हम जनता का विश्वास जीत सकते हैं, वरना जनता का विश्वास हम पर से उठ गया है। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, लोक सभा के मैम्बर हैं, उन पर से जनता का विश्वास उठता जा रहा है।

लोकपाल का गठन और उसके काम करने का तरीका, सब कुछ सत्ताधारी पार्टी के मन-माफिक हुआ है। सुषमा जी ने कुछ साफ कहा या नहीं कहा लेकिन उन्होंने इशारा तो जरूर किया ही है कि आपने सब कुछ अपने मन के मुताबिक, मन-माफिक किया है। कपिल साहब हों, या सलमान साहब हों या चिदम्बरम साहब हों, इन्होंने सा [REDACTED] अपने मन-माफिक लोकपाल विधेयक बनाया है, आप पढ़कर देख लीजिए। आपको अपने इंट्रस्ट में जो बातें अच्छी लगें, उन्हें किया है, अपने हित में किया है, सरकार के हित में किया है, जनता के हित में नहीं किया है। इस बिल ऐसे ही आयेगा तो जनता के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है और न ही इससे भ्रष्टाचार रुक सकता है। अगर कोई रास्ता जनता के हित में इससे निकलेगा, तो भ्रष्टाचार रुक सकता है। हम कहना चाहते हैं कि इसमें जो संशोधन हैं, उन्हें मान लीजिए, अगर संशोधन नहीं माने गये तो जो सीबीआई पर आरोप लगते हैं वही आरोप लोकपाल पर भी लगेंगे। माननीय कपिल सिब्बल जी, मैं असली बात कह रहा हूँ आप सुन लीजिए कि जो आरोप सीबीआई पर लगते हैं वही आरोप लोकपाल पर भी लगेंगे। आप पूछिये क्यों? आप कह रहे हैं कि पक्षपात नहीं है, मन-माफिक नहीं है तो जो लोग लोकपाल में होंगे, वे पांच होंगे, पांच कहां हैं? आप अभी पढ़कर देख लीजिए कि कौन-कौन हैं? तीन तो सरकार के हाथ में हैं और रिपोर्ट उनकी कहां जाएगी? सवाल यह है कि जांच कहां जाए? जांच सीधी अदालत में जानी चाहिए। लोकपाल के पास नहीं, लोकपाल जांच कराए और जांच करने वाला जो रिपोर्ट लाए, वह सीधी अदालत में जानी चाहिए। अदालत में जांच जाएगी तो आप पर लोगों को विश्वास हो जाएगा। यह हमारा संशोधन है और अगर आप हमारा संशोधन नहीं मानते हैं तो जो हम बोल रहे हैं इसे ही आप संशोधन मान लीजिए। इसलिए मैं कपिल सिब्बल साहब से कहूंगा कि आप हमारी इस बात को मान लीजिए कि जांच सीधी अदालत में जाएगी, लोकपाल पर नहीं जाएगी।



लोकपाल का जो गठन है उसमें प्रधान मंत्री जी, स्पीकर साहब, लोक सभा का नेता, नेता विपक्ष लोक सभा, नेता विपक्ष राज्य सभा एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। गठन के वर्तमान प्रारूप में सत्ताधारी पक्ष का पलड़ा भारी है जो अनुचित एवं अवांछनीय है। यह होना चाहिए और यह हमारी मांग भी है। सरकार को हम बताना चाहते हैं कि लोक पाल के गठन में प्रधान मंत्री जी, स्पीकर, लोक सभा का नेता, नेता विपक्ष लोक सभा, नेता विपक्ष राज्य सभा एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को गठन के वर्तमान प्रारूप में होना चाहिए। गठन के वर्तमान प्रारूप में सत्ताधारी दल का पलड़ा भारी है जो अनुचित और अवांछनीय है।

इसमें सरकार की सख्ती ज्यादा है। जो हम चाहते हैं उससे सरकार पर आरोप नहीं लगेगा। हम तो चाहते हैं कि सरकार की तारीफ हो, हम चाहते हैं कि आप चुनाव में जीतकर आ जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग जो बैठे हैं उनके समक्ष ऐसा कानून तो बने, मजबूत लोक पाल तो बनें, लेकिन यह लोकपाल बिल मजबूत नहीं है, नहीं है, यह मैं बताना चाहता हूं। इससे कोई भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है।

इसी तरह से डायरेक्टर सीबीआई और सीवीसी की नियुक्ति को लोकपाल की प्रस्तावित नियुक्ति की तर्ज पर ही किया जाना चाहिए। सीवीसी भी इसी तरह से नियुक्त होना चाहिए। लोकपाल, सीवीसी और सीबीआई को अपना प्रशासनिक बजट एवं ट्रांसफर और पोस्टिंग में पूरी तरह से स्वायत्तता मिलनी चाहिए और उसे स्वशासी होना चाहिए। ऐसा न होने की स्थिति में ये संस्थाएं दंत-विहीन हो जाएंगी और उन्हें हर समय सरकार की तरफ देखना पड़ेगा।

(n2/1430/bks-spr)

मैं समझता हूं कि आप इस पर गंभीरता से विचार कीजिए। मैं इसे पढ़ देता हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसे लिखा हुआ इसलिए पढ़ रहे हैं, ताकि हम आपकी जानकारी के लिए पूरी बात कह सकें।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि लोकपाल बिल पर विपक्ष के जो अच्छे सुझाव और संशोधन आये हैं, उन्हें सरकार को मान लेना चाहिए। आपको पूरे देश में राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार दूर करना होगा, यह पूरे देश की जनता की आवाज है, नौजवानों की आवाज है, छात्रों की आवाज है, वकीलों की आवाज है तथा हर वर्ग के लोगों की आवाज है। आप जो लोकपाल बिल लाये हैं, उस पर सब लोगों की इच्छा है और पूरे देश की जनता उम्मीद करती है कि अब  रुक जायेगा। लेकिन वर्तमान लोकपाल बिल से भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। हम खुद  देख रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, आपने इसे कितना मजबूत बनाया है, पोस्टिंग से लेकर और अन्य जितने अधिकार हैं, यदि उन्हें नहीं मिलेंगे, जो इसमें नहीं है कि यह पोस्टिंग और ट्रांसफर आदि करेंगे, ये सब लोकपाल बिल में नहीं है। इस बिल से पूरे देश के लोग तथा आप भी चाहते हैं, हम ऐसा नहीं समझते का आप ऐसा नहीं चाहते हैं। आप जो बिल लाये हैं, वह एक कमजोर बिल है, लेकिन जब यह बिल लोक सभा में आ गया है तो आप इसे मजबूत बना दीजिए। यदि आप इसे मजबूत करेंगे तो आपको इससे ज्यादा सम्मान मिलेगा, आप पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा और आप उससे खुद भी मजबूत होंगे, सरकार मजबूत होगी। इससे हम मजबूत नहीं होंगे, बल्कि आप मजबूत होंगे। लेकिन आप आलोचना करने से नाराज हो जाते हो, जबकि आपका नाराज होना ठीक नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि आपकी नाराजगी से हमारा नुकसान हो जायेगा और हुआ भी है। जबकि हमारी नाराजगी से आपका क्या बिगड़ता है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। यदि इसमें इतना अंतर है तो आपको इस पर सोच-समझकर काम करना चाहिए, आपको हमारी बात पर गौर करना चाहिए और संशोधनों को मान लेना चाहिए। आज

Comment: Cd by N2

Comment: (Sh.Mulayam Singh Yadav cd.)

राजनीतिक दलों, संसद और व्यवस्था के प्रति लोगों में असंतोष है। आज हालत यह है कि हम जितने जनप्रतिनिधि या नौकशाह हैं, उनके प्रति जनता में और विशेषकर नौजवानों में बहुत असंतोष है। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार आदि इसके कई कारण हैं और इन कारणों से जनता में बहुत भारी असंतोष है। यहां हमारा आपको सहयोग है। यह तीन दिन की बहस है, जो मामूली नहीं है। यह एक ऐतिहासिक बहस है। लोकपाल बिल पर आपने तीन दिन की चर्चा स्वीकार की है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि अभी तक खुद नेता ही बोलते थे और कोई नेताओं से भी अच्छा सुझाव दे सकता है, चूंकि इस पर नेताओं के अलावा कई सांसदों को भी बोलने का मौका मिलेगा।

दूसरी बात हम कहना चाहते हैं जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि लोकपाल से लोकतंत्र बड़ा है। लेकिन हम सचाई बोलेंगे, हालांकि आप बुरा मानेंगे, यह सरकारी बिल है, यह लोकपाल बिल नहीं है। यह पूरी तरह से सरकारी बिल है। इसमें कहीं भी कोई अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं, जैसे अधिकारों में इंडिपेंडेंट स्वायत्तता हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसलिए संक्षेप में बोलकर ही हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, क्योंकि इधर से और आपकी तरफ से इस पर बहुत बोला जा चुका है। लेकिन हमने टू दि प्वाइंट आपके सामने अपनी बात रख दी है। यदि आप इसे मान लेंगे तो हम आपको धन्यवाद देंगे, हम जनता के बीच सरकार को धन्यवाद देंगे। लेकिन सदन के समक्ष जो वर्तमान स्वरूप में लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया है, उसमें विपक्ष के संशोधनों को आप मान लीजिए तो उससे आपको ही लाभ होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

Comment: (fd. by o2)



(o2/1435/cs-ksp)

1435 बजे

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, आज इस संसद की कार्यवाही को पूरे देश के लोग देख रहे हैं, दूसरे देशों के लोग भी देखते होंगे, शुरू से ही आज इस संसद में मजबूत लोकपाल के लिए चर्चा हो रही है। यह लोकपाल बिल कोई पहली बार संसद में नहीं आया है, यह 11वीं बार हाउस में प्रस्तुत हुआ, जिस पर आज चर्चा हो रही है।

महोदय, हमारी पार्टी, हमारे नेता का शुरू से बयान है कि इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक मजबूत लोकपाल की जरूरत है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब तक सरकार मजबूत लोकपाल नहीं लाएगी, मैं समझता हूँ कि देश के लोग इसे माफ नहीं कर सकते हैं। यह जो मजबूत लोकपाल है, मैं भारतीय संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का आदर करता हूँ, जिन्होंने संविधान का जो दस्तावेज हमें सौंपा, उसमें इस देश से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए सारे विधान उन्होंने बनाये, लेकिन सरकार के लोग या जो भी लोग हों, अगर चुनावी चश्मे से हम इस लोकपाल बिल को देखेंगे, तो कतई हम मजबूत लोकपाल नहीं ला पाएंगे और ना ही मजबूत लोकपाल बना पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह जो चुनावी चश्मा है, इसे उतारकर हमें लोकपाल पर गंभीरता से चर्चा करनी होगी, तब जाकर हम मजबूत लोकपाल बना सकते हैं।

महोदय, सदन में तमाम संवैधानिक पद और संवैधानिक संस्था की चर्चा हो रही थी कि बड़े-बड़े राष्ट्रपति, जज यहां नियुक्त हुए। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि केवल संवैधानिक पद के नाम पर किसी व्यक्ति को बैठाकर इस देश में 63 साल तक जो गरीब, लाचार, बेबस और मजलूम है, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाये, उनको लाचार बनाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं सुन रहा था कि ये राष्ट्रपति हो गये, जज हो गये, नेता प्रतिपक्ष बोल रही थीं।...(व्यवधान) आप हमारी बात सुनिये।

महोदय, जब कुछ सांसद लोग आरक्षण के सवाल पर अपनी बात को कहना चाह रहे थे कि 50 फीसदी जो आरक्षण है, इसमें संविधान संशोधन के लिए, तब यह सवाल उठ रहा था। जब माइनोरिटी के सवाल पर आरक्षण की बात हो रही थी तो एक तरफ से आवाज आ रही थी कि यह मुसलमान, हमारे बहुत सारे साथियों ने वह आवाज सुनी होगी। मैं समझता हूँ कि आवाज दबा दी गयी, यह मुसलमान, तुम बाहर जाओ, पाकिस्तान जाओ। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस देश का मुसलमान...

एक माननीय सदस्य : ऐसा किसी ने नहीं बोला।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): नहीं, बोला गया है, आप क्या बात करते हैं।... (व्यवधान) महोदय, जिस देश के मुसलमानों ने... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये। इन्हें बोलने दीजिये।

... (व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, जिस देश के मुसलमानों ने...

श्री गणेश सिंह (सतना): दारा सिंह जी, आप रिकॉर्ड में देख लीजिये, रिकॉर्ड में भी नहीं है।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): नहीं, आवाज आयी थी।... (व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना): ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला है।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): ठीक है, महोदय, इसे देखेंगे।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी की भी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी, सिर्फ दारा सिंह जी की बात रिकॉर्ड में जायेगी।

(Interruptions) ... (Not recorded)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): बोले थे, अब रिकॉर्ड में न हो तो बात अलग है।... (व्यवधान) चलिये कोई बात नहीं।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दारा सिंह जी, आप उधर मत देखिये। आप आसन की तरफ देखिये।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के मुसलमानों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये। आप उन्हें बोलने दीजिये।

... (व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): मैं उन्हीं से सम्बन्धित बात बोल रहा हूँ। इस देश के मुसलमानों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। अशफाक उल्ला खां से लेकर वीर अब्दुल हमीद अपने सीने पर बम रखकर इस देश की आन, बान और सम्मान के लिए कुर्बान हो गये। आज भी इस देश में हम उन्हें शंका की निगाह से देख रहे हैं।

Comment: Contd. By p2

(p2/1440/hcb/rs)

Comment: Shri Dara Singh Chauhan
cd

बहुजन समाज पार्टी इससे कतई सहमत नहीं है, बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध करती है। सभापति जी, जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शांत रहिये।

... (व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, चूँकि आरक्षण का सवाल उठ गया था, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि चुनावी चश्मे को उतारकर हमें लोकपाल की गंभीरता पर विचार करना होगा, तब इस देश में मज़बूत लोकपाल बन सकता है। जहाँ तक सुना गया कि अध्यादेश के माध्यम से 4.5 प्रतिशत आरक्षण मुसलमानों को दिया गया है, मैं कहना चाहता हूँ कि जो 27 फीसदी पिछड़े समाज के लोग हैं, उसमें मुसलमानों की कम से कम 30-35 जातियाँ आती हैं जो अपने आप 3.5 प्रतिशत के करीब बनती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, हमारे नेता ने ईमानदारी से 3.5 प्रतिशत नहीं, बल्कि उससे ज्यादा फायदा उनको दिया है, सभी सैक्टर्स में दिया है। ... (व्यवधान) आप लोग सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय : शांति बनाए रखें।

... (व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): कृपया सुनिये तो सही। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आसन की तरफ देखकर बोलिये, उधर मत देखिये।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): जब 3.5 प्रतिशत मुसलमान पिछड़ी जाति के लोगों में आ जाते हैं, तो यह चुनावी चश्मा चढ़ाकर लोकपाल पर बहस कराने का कौन सा फायदा है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने संविधान सौंपते समय कहा था कि नीति चाहे जैसी भी हो, अगर आपकी नीयत साफ नहीं है ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी विषय पर बोलिये। उन पर दबाव मत दीजिए। आप सीधे बोलिये।

... (व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं चैलेन्ज के साथ कह रहा हूँ कि इनकी भी सरकार रही है और हमारी भी सरकार रही है। पुलिस की भर्ती में क्या हुआ। होम मिनिस्टर यहाँ के गवाह हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई, ऐसी पाक-साफ तरीके से पूरे देश में कहीं भर्ती नहीं हुई। मैं

इस बात को गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि इसकी जाँच कराइए। मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मज़बूत लोकपाल रखने की बात है, पिछले 63 सालों में अगर हमारी नीयत साफ होती, तो आज भ्रष्टाचार का जो आलम देश में है, यह नहीं रहता, यह खत्म हो जाता। आज जहाँ सीबीआई का सवाल है, आज छोटे-छोटे ग्रुप सी और डी कर्मचारियों का सवाल है, मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि सीबीआई के लिए आप एक संशोधन लाए हैं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1946 में, जिसमें आपने प्रावधान किया है कि अलग से डायरेक्टर बनाएँगे, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले लोग किसके इशारे पर काम करेंगे? वे लोकपाल के इशारे पर काम करेंगे या सरकार के इशारे पर काम करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है। इसी से शंका पैदा होती है कि हम मज़बूत लोकपाल के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि बराबर जिस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है, ऐसा नहीं है कि इधर के लोगों ने ही किया है, आपकी तरफ से भी दुरुपयोग हुआ है और सबकी तरफ से दुरुपयोग हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि सीबीआई का हमेशा दुरुपयोग हुआ है और इसकी शिकार उत्तर प्रदेश की हमारी मुख्य मंत्री रही हैं। उनके साथ साजिश हुई है सीबीआई में, तथा और भी बहुत से नेता हैं जिनके राजनीतिक फायदे के लिए हमेशा सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि सीबीआई लोकपाल के अंदर होना चाहिए, तब जाकर मज़बूत लोकपाल हो सकता है, अन्यथा मज़बूत लोकपाल नहीं हो सकता है।

जहाँ तक ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों की बात है, आप छोटे कर्मचारियों की जाँच करेंगे, लोकपाल केवल देखकर बता देगा कि इनकी जाँच होनी चाहिए और सारी जाँच सीवीसी करेगा। सारी रिपोर्ट वह देगा, उनको पनिशमेंट देना है, क्या करना है, सीवीसी करेगा और फिर आखिर में लास्ट रिपोर्ट उनको सौंपने का अधिकार है, बाकी कुछ भी अधिकार लोकपाल में नहीं दिया गया है। जहाँ तक छोटे-छोटे कर्मचारियों का सवाल है, सवाल उठा रहा है कि नीचे से भी भ्रष्टाचार पनप रहा है।

(q2/1445/mm/rcp)

उत्तर प्रदेश में जो सिटीजन चार्टर लागू है। उसमें टाइम बाउण्ड कार्यक्रम है। अगर कर्मचारी तय समय से काम नहीं कर पाता है तो उनको पनिशमेंट देने का प्रावधान है।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इनको बोलने दीजिए। कृपया शांत रहिए।

... (व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि संघीय ढांचे की बात बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय की थी। उन्होंने अपेक्षा की थी कि संविधान का पालन करते हुए संघीय ढांचे पर चोट नहीं करनी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मरकजी हुकूमत, जो भी सरकार में रहे हैं,

Comment: Cd by q2

Comment: Cd Dara Singh



सभी मिलकर के संघीय ढांचे को कमजोर कर रहे हैं। कई प्रदेशों में लोकायुक्त होंगे, लेकिन सबसे सार्थक पहल और मजबूती से उत्तर प्रदेश की सरकार लोकायुक्त मामले में काम कर रही है।...(व्यवधान) मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि किस-किस प्रदेश के लोकायुक्त ने क्या-क्या रिपोर्ट दी है? लेकिन दूसरे प्रदेश के लोकायुक्तों की रिपोर्ट पर कुछ नहीं किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने एक क्षण की देर किए बिना लोकायुक्त के आदेश का पालन किया है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत हो जाइए, इन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी मजबूत लोकपाल की सिफारिश इसलिए करती है, क्योंकि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि संघीय ढांचे की बात होती है, लेकिन पूरे प्रदेश का अधिकार इनके हाथ में होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह बाबा साहब के संविधान का अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा था कि संघीय ढांचे पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन आज संघीय ढांचे पर चोट पहुंच रही है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ क्योंकि आप जब चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं हमने पैसा दिया, लेकिन खर्च नहीं हो रहा है। वह पैसा कहां से आया है? माननीय कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे तो मैं सुन रहा था कि दिल्ली के पास क्या है? सब तो प्रदेश में होता है। कर्मचारी, अधिकारी सब प्रदेश में होता है। जब आपके पास नहीं है तो आप किस हैसियत से कहते हैं कि प्रदेश को पैसा हमने दिया है। आप किस अधिकार से कहते हैं कि प्रदेश को पैसा हमने दिया है? यह पैसा कहां से आ रहा है?...(व्यवधान) यह प्रदेश की जनता है, जिनकी गाढ़ी कमाई टैक्स के रूप में आती है, वह पैसा सैंटर में आता है, वह हमारी हिस्सेदारी, वह हमारा पैसा है और कहते हैं कि हमने पैसा दिया है।...(व्यवधान) आप कहां से पैसा लाए हैं? माननीय प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं, हो सकता है जवाब में बताएं। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या यह देश का पैसा, प्रदेश का पैसा नहीं है? क्या आप कहीं बाहर से लाए हैं, कहीं विदेश से पैसा लाए हैं, जो कहते हैं कि हमारा पैसा है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पर बोलिए।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अभी तो विदेश का पैसा आया ही नहीं। यह हमारा ही पैसा देकर कहते हैं कि हमारा पैसा है।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके द्वारा अपील है कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत लोकपाल इस देश में चाहती है और चाहती है कि जिस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रदेश की सरकार पर लोकायुक्त को छोड़ देना चाहिए। यदि राज्य सरकार के

अधिकारों का अतिक्रमण किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आपके मन में शंका है इस संघीय ढांचे को कमजोर करने की। इसलिए यह जो लोकपाल विधेयक सरकार की तरफ से लाया गया है, यह कतई मजबूत लोकपाल बिल नहीं है। जहां तक विवेकाधिकार की बात है, मंत्री जी कह रहे थे कि विवेकाधिकाधीन हमने खत्म कर दिया है। कहां आपने विवेकाधीन खत्म किया है? यदि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप न करता तो शायद वह विवेकाधीन खत्म न होता। आप कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी बिल हम ला रहे हैं। आप 63 साल तक सत्ता में रहे हैं और आज आप गरीबों को भूख का भय दिखाकर फूड सिक्योरिटी बिल की बात कर रहे हैं।

Comment: Cd by r2

(r2/1450/rv-rp)

उपाध्यक्ष महोदय : आपस में टोका-टोकी नहीं करें।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय जी, अगर मजबूत लोकपाल लाना है तो हम उसके पक्ष में हैं। उसको समर्थन देंगे और जिस तरीके से आपने सी.बी.आई. का दुरुपयोग करने का मन बनाया है, इसी कारण हमें लगता है कि आपके मन में शंका है। हमें भी शंका है कि आपके रहते इस देश में मजबूत लोकपाल नहीं आ सकता है। आप अगर मजबूत लोकपाल लाएंगे, छोटे कर्मचारी को उसमें शामिल करेंगे, सी.बी.आई. को इसमें शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी इसका समर्थन करेगी वरना इस बिल का विरोध करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका समर्थन करता हूँ।

(इति)

1452 बजे

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, आज की जो बहस है, वह इस देश में एक बड़ी बीमारी है भ्रष्टाचार, उसके बाबत चल रही है। आप एक लोकपाल नाम का कानून बनाना चाहते हैं। यहां विस्तार से और देश के बाहरी इलाके में भी बहुत बहस हुई है कि यह कानून 41 वर्षों से नहीं आया है। लोकपाल 41 वर्षों से नहीं आया है। आज मैं अंधेरे पक्ष को नहीं दिखाऊंगा, मैं आज इस देश के उजले पक्ष के हक में खड़ा हूं। यह बिल जवाहरलाल जी ने नहीं लाया, इन्दिरा जी ने नहीं लाया, वी. पी. सिंह नहीं लाए, अटल जी नहीं लाए, हम लोग लाए हैं। जब हम यह लोकपाल लाए हैं तो हमने आंदोलन करने वाले लोगों से बात की। हमने, आपने, सभी पार्टियों के साथ उनसे बात की। हमने पहले बात नहीं की, बाद में की, ठीक किया। आपका पूरा अमला लगा। इस देश का दुर्भाग्य यह है कि यह देश 60-62 वर्षों से एक बड़ी बीमारी में फंसा हुआ है और वह बीमारी भाषा की बीमारी है। आज तो कपिल साहब हिन्दी में बोल रहे थे। लेकिन यह जो सारी उलझन है, उसमें एक कारण भाषा भी है। जब देश कई वर्षों तक गुलाम रहा तो फारसी और उर्दू राजभाषा थी। उसके बाद सामंतों का राज रहा तो संस्कृत राजभाषा थी। आजादी आई है तबसे हमारे यहां यह भाषा है। सुषमा जी और कपिल सिब्बल साहब ने उसमें कानून का और अन्य चीजों का बड़े विस्तार से अपनी-अपनी बात रखी। कपिल साहब तो कानून के बारे में इतना जानते हैं। यहां वे इतने उलझे नहीं, इतना दांव-पेंच करके इतने तरीके से यानि संविधान के पूरी तरह से धंस के लिए आप अनुच्छेद 253 में ला रहे हैं और आप सोचते हैं कि सदन में लोग और देश की जनता आपके दांव-पेंच को नहीं समझेगी।

Comment: Cd. by s2

Comment: Sharadcd

(s2/1455/sb-lh)

आप दिल में क्या चाहते हैं, वह मैं अच्छी तरह जानता हूं। यह बिल क्यों आ रहा है, यह भी मैं जानता हूं। आपने लगभग दो या तीन लाख गुप ए और बी के लोग रखे हैं, उनसे कोई चर्चा की। इस देश में भारत सरकार के 53 लाख कर्मचारी हैं। आपने सबसे चर्चा की है, लेकिन इस देश में 63 वर्ष में जो उजला पक्ष है, यहां जो काम हुआ है, आगे बढ़ा है, उसे राजनैतिक लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स और कर्मचारियों ने ही आगे बढ़ाया है। किसी ने इतने बड़े हिस्से को, यानी जिसके मन में आया, वह उसको कह दिया कि उसमें सब बेईमान।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चार-पांच बार मंत्री रहा हूं। मैं आज भ्रष्टाचार के कई मामलों में बचा हुआ हूं तो इस देश के ब्यूरोक्रेट्स की ईमानदारी के कारण बचा हुआ हूं। क्या वे सब बेईमान थे? अभी मुलायम सिंह जी बोल रहे थे कि हमारे खिलाफ बहुत गुस्सा है। गुस्सा बेकारी, गरीबी, महंगाई और भ्रष्टाचार का भी है, आप सही कह रहे थे। भ्रष्टाचार में निश्चित तौर पर राजनैतिक लोग और ब्यूरोक्रेसी का हाथ है और जो अच्छा हुआ, उसमें भी हाथ है। इस देश में जिस तरह से सब चीजों में, मैं मानता हूं कि कुछ शहरों तक,



पूरे गांव तक नहीं पहुंचा, लेकिन विकास जो है, वह कहीं नहीं पहुंचा। मान लो दो-पांच फीसदी पहुंचा तो उसे किस ने पहुंचाया? इन्हीं बेईमान लोगों ने पहुंचाया, क्या ये सब बेईमान हैं? ये 15वीं लोक सभा है, क्या ये पूरे राजनैतिक लोग बेईमान हैं? जिसमें डॉ. लोहिया जी रहे, मधुलिमये जी, आचार्य कृपलानी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मैं आपको कितने लोगों का नाम गिनाऊं। मैं इस सदन में कितने लोगों का नाम बता सकता हूँ, जिन्होंने जीवन में किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं की है। कबीर जी ने जो कहा है कि - “झीनी-झीनी बीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस की तस धर दीनी चदरिया।” ऐसे बहुत से जिन्दा लोग हैं। इस देश की बदकिस्मती भी यह है कि हमेशा यह मरे लोगों को याद करता है। मरे लोग अच्छे हैं, इतिहास में उनको याद करना जरूरी है, लेकिन किसी जिन्दा आदमी को उसकी जिन्दगी में रहते हुए उसे जो पुरस्कार, यश एवं सम्मान मिलना चाहिए, वह उसे कभी नहीं मिलता है। अजीब हालत है। आंदोलन में कौन हैं, कोई आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग का कोई आदमी या किसान है, कोई अकलियत का आदमी है। ये कौन लोग हैं? किन से डरे हुए हो, किन से डरते हो? इस देश का कौन नाश कर रहा है? ऐसा बिल लाए हो कि माथा पीटने का मन होता है। सुषमा स्वराज जी, जब संशोधन के लिए कहती हैं तो आप कानून के दांव-पेच बताते हो। फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में आप हमें आज समझाएंगे। ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय ऑब्लिगेशन है, इसे आप समझाएंगे।

(t2/1500/mkg/kkd)

Comment: shri sharad yadav cd.

आप नीचे धारा डालकर बचाव का रास्ता निकालोगे, यह ठीक है? यह मॅडेटरी है, यह सूबों के अधिकार पर डकैती है, इसको हम नहीं मानते। हम इस बात को नहीं मानते, आपने डकैती की है। लोकपाल क्या इस देश में बना नहीं, आप कह रहे थे कि राज्य सरकारें कार्रवाई नहीं करतीं। कौन-कौन राज्य सरकारें रही हैं, मैं खुद बहुत मुख्यमंत्रियों के गुस्से से जेल में बन्द रहा हूँ, लेकिन उनके ईमान के ऊपर आज भी मैं कोई बात कह नहीं सकता। मेरे यहां डी.पी. मिश्रा थे, वे मकान छोड़कर भी नहीं गये और मुझे उन्होंने जेल में भी बन्द किया। आप कहते हो कि राज्य में कोई कार्रवाई नहीं होती। छत्तीसगढ़ में हर बार हजारों आदिवासी इकट्ठे होते थे और बीसों प्यूपलिस्ट वाले लोग मारे जाते थे, लेकिन स्वर्गीय डी.पी. मिश्रा ने बैठ कर उस समस्या का समाधान किया। यहां श्रीमती इन्दिरा गांधी हमारे बीच से उठ गईं, लेकिन उन्होंने देश को बचाने के लिए जोखिम लिया। पंजाब और तबाह था, उन्होंने उसे बचाने का काम किया, क्या जोखिम नहीं उठाया? क्या सारी 15वीं लोक सभा, 15 लोक सभा में निरन्तर जो लोग आ रहे हैं, वे सब बेईमान हैं, जितने कर्मचारी आ रहे हैं, जितने ऑफिसर आ रहे हैं, वे सब बेईमान हैं? अगर बेईमानी है तो उस बीमारी का इलाज करिये। अरे भई, देश में 63 वर्ष का लोकतंत्र है, इसमें बीमारियां आपके सामने आ रही हैं तो

उनसे क्यों घबरा रहे हो और घबरा कर कुछ भी कर रहे हो, अचकचा कर कुछ भी करने को तैयार हो और केवल आप नहीं, हमको छोड़ कर बहुत से नेता यहां बैठे हैं, हमने कभी नहीं कहा, एक बात नहीं कही कि लोकपाल बिल पास करो...(व्यवधान) फिर हम बात भूल जाते हैं, हमारी बात डिरेल हो जाती है। आपने एक खाने में रख दिया, जो लोग कह रहे हैं, अरे इस देश को, दुनिया को बदलने वाले जितने लोग रहे हैं, वे जिदगी भर गाली खाते रहे, गोली खाते रहे, लेकिन वे अड़े रहे, इसीलिए दुनिया है और यह पार्लियामेंट अड़ेगी नहीं, कुछ भी करेगी? यह एमेंडमेंट जो दिये हुए हैं, ये कोई बदनीयती से दिये हैं? मैंने नहीं दिये, मैं मानता हूँ कि आप कोई एमेंडमेंट मानने वाले नहीं, लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मानते तो हैं नहीं। ये तो बगैर एमेंडमेंट दिये हुए बैठ ही नहीं सकते। बसुदेव आचार्य, ये मानेंगे नहीं। जितने एमेंडमेंट देते हैं, एक को आप मानने वाले नहीं, आपने तय कर लिया है और मैं यह मानता हूँ कि आपकी पूरी गलती नहीं, आप तो किसी तरह जान छुड़ाने में लग गये हैं।

जब प्रणब बाबू बोल रहे थे तो मैं उनकी वेदना को उस दिन समझा, जब सुषमा जी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इसको 252 में लाओ, 253 में क्यों ला रहे हो तो बोले कि हमारा काम यहां कानून बनाना, संविधान बनाना है, जो अदालत का काम है, वह देखेगी। अरे भई, सुषमा जी कह रही थीं कि इसमें अभी से सुधार कर लो, सुप्रीम कोर्ट के पास गये तो क्यों हमारे इतने लोगों के द्वारा पास हुआ कोई लेजिस्लेशन वह खारिज करे। जब वे बोल रहे थे, उसी दिन लग रहा था कि यह बला टालने के लिए है। बेचारा बूढ़ा आदमी परेशान, तंग आ गया है या ओवरलोड है और तो कांग्रेस पार्टी में यहां कोई है नहीं, एक आदमी है, जैसे ... (Not recorded) पर एक बोरा, दो बोरे, तीन बोरे, 50 बोरे डालोगे तो पसर जायेगा कि नहीं पसर जायेगा? यह बेचारा पसर गया और हमने भी और सब लोगों ने उसको परेशान कर दिया। यह सरकार जो है, यह बुरी हालत में है।

(u2/1505/cp/mmn)

लुंज-पुंज हो गयी है। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई शब्द असंसदीय है, तो उसे हटा देंगे।

... (व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): कपिल साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि इस सूबे में कई जगह पहले भी बहुत अच्छे काम हुए और अभी भी अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन आप याद करने को तैयार नहीं हैं। याद करने को तैयार नहीं हैं, अभी भी हो रहे हैं, मैं दूसरी पार्टी की बात नहीं कह रहा हूँ, चूंकि मेरी पार्टी की सरकार है। वहां कितने अफसर बंद हुए, कितने भ्रष्टाचारी बंद हुए, एक माफिया नहीं बचा, सब जेल में बंद हैं,

Comment: cd by u2

Comment: श्री शरद यादव जारी



सारे माफिया बंद हैं। आपका राज रहा, सबका राज रहा, इनका राज रहा, उनका राज रहा, माफिया छुट्टे घूम रहे थे। आज किसी एक माफिया का नाम आप बता सकते हैं। आप अभी लोकपाल लाए हैं, वहां लोगों की संपत्ति जब्त हो चुकी है। वहां स्कूल चल रहे हैं और आपको पता नहीं है। क्या आपको मालूम नहीं है? आपको मालूम है। लेकिन हम दिल इतने सिकुड़े कर लिए हैं कि हम एक-दूसरे की अच्छाई को नजरंदाज करते हैं। याद रखना, वह मुल्क बन नहीं सकता, जो अच्छाई को इग्नोर करे। बुराई को भी न करे, बुराई से भी कदम-कदम पर लड़े और अच्छाई हो तो उसके साथ आगे बढ़ने का काम करे और सहयोग करे।

आप यह बिल लेकर आए हैं। पूरे देश भर में चला हुआ है, सोमपाल, ओमपाल, दिल्ली के आसपास समरपाल, पाल ही पाल है, मुझे समझ में नहीं आया कि कहां से यह पाल आया है? लोकपाल, लोकपाल, लोकपाल, किसलिए यह आया है? यह भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आया है। मैं मानता हूँ कि मैंने कई बार कई लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले यहां उठाये हैं। जितने मामले मैंने उठाये हैं, शायद ही सदन में कोई और हो, जिसने उतने मामले उठाए हों। टूजी में तो आज लोग जेल में बंद हैं, दो साल पहले से हम लोग इस मामले को उठा रहे हैं। कितने ही ऐसे मामले हैं, चाहे अनाज का हो, एक्सपोर्ट का हो, चीनी का हो, चारे की बात नहीं, चारा है ही नहीं यहां, खनिज हो, आप तो जानते हैं कि उसे उठाकर आया हूँ, गोवा वाला मामला उठाया, आपका वह वाला मामला उठाया, जो जेल में बंद है, तो सीधी सी बात है कितने ही मामले उठाए। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई नहीं हुयी? जिस दिन आंदोलन के अगुआ नेता पांच अप्रैल को जंतर-मंतर पर बैठे थे, उस दिन इस पार्लियामेंट के पुरुषार्थ से, इन पार्टियों के मेलजोल से ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अगर, समय दे देंगे तो मैं उस पर भी आ जाऊंगा। जिस दिन वह बैठे थे, मैं सभा में भी गया था और वहां जो सच था, वही बोलकर आया और यहां भी मैं वही सच बोल रहा हूँ, जो मेरे दिल में है, मैं गले से नहीं बोलता हूँ। पांच अप्रैल को, उस समय 27 आदमी हम सब लोगों के पुरुषार्थ के चलते जेल में बंद थे। जब से यह आंदोलन चला है, आंदोलन सब अच्छे होते हैं, आंदोलन से हमेशा ठीक रास्ता निकलता है। लेकिन जब से यह आंदोलन हुआ है, लालू जी, टूजी स्कैम में सीएजी की रिपोर्ट आयी थी, यह सदन जो है, वह हलचल में आकर, तब सारी पार्टियां जनता के बीच गयी थीं, आप भी गए

थे, ये भी गए थे, आडवाणी जी भी गए थे, हम सब लोग गए थे। उसके बाद कितनी सीएजी की रिपोर्ट आ गयीं। हमने जेपीसी के लिए एक बार पूरा सदन बंद रखा, जेपीसी गठ गयी, क्या उसकी कोई चर्चा है?

Comment: cont by w2.h

(w2/1510/rjaj/vr)

Comment: Cd by Shri Sharad Yadav

आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ पुरुषार्थ कर जो चीजें हासिल की क्या उसका कहीं कोई चर्चा है? आपके जहाज एयर इंडिया के बारे में सीएजी की रिपोर्ट आ गई। कॉमनवेल्थ गेम्स जिसमें अकेल श्री सुरेश कल्माडी बंद हैं, वह हाथी की पूंछ बंद है और हाथी बाहर घूम रहा है। हम लोग उसको ... (व्यवधान) हाथी बाहर घूम रहा है और बाहर घूम कर मुस्कुरा रहा है। वह मजे मार रहा है। ... (व्यवधान) भ्रष्टाचार पर एक बना... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शरद यादव (म): उपाध्यक्ष जी, मैं व्याख्या कर रहा हूँ जो सच व्याख्या है जिसके चलते सारे मामले पीछे चले गए। हम अच्छे काम में लगे थे। हम और बाहर के लोग ऐसे काम में लग गए लेकिन लाए क्या हैं? खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। इस लोकपाल से क्या होगा। यहां सीबीआई की बहुत चर्चा हुई कि वह बहुत बुरा है। मैंने भी कई बार कहा है। सीबीआई ने राजनैतिक मामलों में पक्षपात किया है यह अकेले उनका दोष नहीं है उसमें राजनैतिक लोगों का भी दोष है। आपने सीबीआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है लेकिन उसने सब खराब काम किया है यह मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। सीबीआई ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। आपके एंटीकरप्शन के सारे अधिकार उसके पास हैं। चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने का उसे पूरा अधिकार है। हम आपसे कहते हैं कि इस देश को भ्रष्टाचार से निपटना है तो लोकपाल को बाद में देखना। पहले आप सीबीआई को मजबूत, निष्पक्ष और स्वायत्त करो फिर देखिए देश कैसे नहीं बनता है? आपने सीबीआई को भ्रष्टाचार के मामले दिए। जहां राजनैतिक आदमी नहीं थे वहां उसने ठीक काम किए। जहां राजनैतिक लोगों ने रुचि दिखाई वहां वह क्या करे? सारी सीबीआई को आप कितने हिस्सों में बांट रहे हैं? उसके कितने मालिक होंगे? उसका मालिक लोकपाल होगा? केन्द्रीय सतर्कता आयोग उसका मालिक है। गृहमंत्री भी उसे देखते हैं और गृहमंत्रालय देखता है। उसे चिदम्बरम साहब देखते हैं। इन्होंने इस दौर में जो-जो देखा है उसका नतीजा पूरा देश भोग रहा है। आपकी अनुभवहीनता के चलते पूरा देश भुगत रहा है। ... (व्यवधान)

1512 बजे

(श्री फ्रांसिस्को कोज़्मी सारदीना पीठासीन हुए)

आपने आंदोलन के साथ कैसे डील किया? मैं आप से कहना चाहता हूँ कि आपने स्वामी रामदेव से लेकर श्री अन्ना हजारे के साथ बेकार में ऐसी छेड़खानी की। आज पूरा सदन, पूरा देश सोच रहा है कि लोकपाल

आया और सारा भ्रष्टाचार जैसे खुल जा सिम-सिम, खुल जा सिम-सिम, खुल जा लोकपाल खत्म हो जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? इस देश में 63 वर्ष में सारी बीमारी सामने आ गई है। पूरा जाति व्यवस्था सबसे बड़ा कचरा-कूड़ा है। इस जाति के कुड़े पर, गारबेज पर हर तरह का कीड़ा पलता है। सुषमा जी आप कह रही थीं कि इसमें मुसलमान को रखा गया है। आप लोकपाल बना रहे हैं तो क्या इस देश की हकीकत को इनकारपोरेट नहीं करोगे? आपने 60 वर्ष में नहीं किया। क्या सुप्रीम कोर्ट एक दलित जज है, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस है? यहां कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी है?

MR. CHAIRMAN (SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA): Please address to the chair.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): लोकपाल बना रहे हैं। चार ज्यूडिशियल सदस्य रखेंगे। (x2/1515/nsh-san)

Comment: Cd by x2

Comment: Sharad Yadav cd

क्या यह आसान है? सुषमा जी, आप कह रही हैं कि यह सरकार ने नहीं तय किया है, ऑल पार्टी मीटिंग में तय हुआ था कि वीकर सैक्शन के लोगों को इसमें भागीदारी मिलेगी। यह रिजर्वेशन नहीं है, भागीदारी है। यदि सुप्रीम कोर्ट भागीदारी को गिराता है तो हमारे हाथ में संविधान संशोधन, संविधान को फिर से बदलने का हक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट सब अच्छा काम करती है, क्यों मुझसे कहलवाते हैं। जब इमरजेंसी में बंद थे तो क्या हुआ था, हमें मालूम है। हम सब अच्छे काम करते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन 63 वर्ष हमने जो अच्छे काम किए हैं, देश की आजादी के चलते सारी बीमारी सामने आ गई है। सबसे बड़ी बीमारी तो यह है कि जाति व्यवस्था के चलते खंड-खंड में देश फंसा हुआ है और इसी से पाखंड है। लोकपाल भी जाति काम करेगी। आप रोक नहीं सकते। जाति काम करेगी तो उसे रोकने के लिए लोग कहेंगे कि जमीन की हकीकत को इसमें इनकारपोरेट करो। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि 253 वाला मामला संविधान की पूरी तरह अवहेलना है। सुषमा जी ने संशोधन दिया है। वह मान लो, बाकी संशोधन मान लो, इसे प्रैस्टिज मत बनाइए। आपसे नहीं बना है, बनाते समय आपने माथा पकड़ा है। आपने संविधान के साथ छेड़खानी की है। आपने ठीक लोकपाल नहीं बनाया। अकेले आपका दोष नहीं है, ऐसी हड़बड़ी मची है। जो मीडिया के मालिक हैं, मैं उनकी नहीं कहता। जो बेचारे बीच में बैठे हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। 24 घंटे, सुबह-शाम यानी इस देश में और कोई चर्चा ही नहीं है। कोई उठ गया, कोई सो गया, कोई मोटा हो गया, कोई तगड़ा हो गया, किसी को सर्दी हो गई, किसी को जुकाम हो गया। अरे, वाह रे देश। हम पार्लियामेंट में बैठकर यह क्या लाए हैं। ...(व्यवधान) मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं है। सुषमा जी कह रही हैं कि यह ठीक नहीं है। दारा सिंह जी तो कहते हैं कि और मजबूत लोकपाल बिल ले आइए।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है।... (व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक लोगों के मामले में दुरुपयोग हुआ है। उसने काफी अपराधियों को बंद किया है। इतने लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। हर सूबे में कोई गड़बड़ हो जाती है तो आम जनता कहती है कि सीबीआई से जांच करवाइए। उसने जो खराब काम किया है, उसके बारे में हम बहुत दिनों से भिड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉंग लोकपाल बिल ले आइए। सीबीआई को लोकपाल में डाल दें। क्यों?... (व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सीबीआई को स्वतंत्र होना चाहिए।... (व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई को स्वतंत्र करो, स्वायत्त करो। किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसे मजबूत कीजिए, उसमें और कर्मचारी रखिए। कोर्ट में जो केस चल रहे हैं, आप जिस तरह का लोकपाल बना रहे हैं, उसमें कितने केस हो जाएंगे, क्या आपने उसकी कल्पनी की है? उनका निपटान कहां करेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 48 लाख केस पड़े हुए हैं। लोकपाल के गंजन से जितने केस आएंगे, क्या वे निपट जाएंगे? सीबीआई के पास 10 हजार केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। जब लोकपाल लाएंगे और उसमें केस चलेंगे, तो क्या वे केस निपटा देंगे। कौन सी अदालत खोलेंगे, कहां से पैसा लाएंगे? क्या पैसा पूरी तरह इसी बात में लगाएंगे? भ्रष्टाचार समस्या है लेकिन विकास भी समस्या है। कितने कानून लाना चाहते हैं? हाथ को, पैर को, हर चीज को बांधकर इस देश को उलझाकर क्या आप विकास कर पाएंगे। अभी तो विकास हो नहीं रहा है। यदि और कानून आ गए तो मनमोहन सिंह जी, विकास पूरी तरह ठप्प हो जाएगा। आप बाहर के जितने उपाय कर रहे हैं, यूरोप, अमरीका की नकल, वह भी बंद हो जाएगी। कोई काम नहीं करेगा। फिर एमपी और अफसर कोई क्यों बने।... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN (SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA): Please wind up. You have made your point.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You please sit down.

... (Interruptions)

Comment: Fld by Y2

(y2/1520/rjs-ak)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): एमपी और अफसर कोई क्यों बनेगा? कौन चुने हुए आदमी का काम करेगा, इस बारे में आप बताइए। अफसर कहेगा — लोकपाल, लोकायुक्त। आप राइट टू इन्फोर्मेशन बिल लाये हैं। इस बारे में आप बड़ी गौरवगाथा गा रहे हैं, जैसे आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है।... (व्यवधान) अरे, यहां की पूरी सरकार माथा पकड़कर बैठी हुई है। जो अफसर है, वह अपना आधा समय इसमें दे रहा है और दस



साल पुरानी फाइल में माथा मार रहा है। कुछ भी सीख कर आते हो यूरोप से और कहीं से भी सुन कर आते हो। जो देश का रूटिंग क्लास बना हुआ है, वह देश का ही नहीं है, उसे जमीन पर कुछ नहीं मालूम है। क्या करेगा चुनाव हुआ आदमी?

सभापति महोदय, आप क्या करेंगे? आपका कोई फोन उठायेगा? क्या कोई फंसेगा? क्या अफसर कोई काम करेगा? ...(व्यवधान) बड़ी अजीब बात है। आप कह रहे हो कि सड़क में पैसा खाया जाता है इसलिए परमानेंट सड़क बनाना बंद कर दो। आप कहते हो कि बिजली बनाने में चोरी होती है, इसलिए उसे बनाना बंद करो। ठेके में गड़बड़ी होती है, बनाना बंद करो। आप कहां ले जा रहे हो? ...(व्यवधान) कौन, कहां किस रास्ते पर जा रहा है? हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? मैं विनती करना चाहता हूँ कि इस पर और बहस की जरूरत है। इस पर हमारे जैसे आदमी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम बहुत कानून पढ़े लिखे नहीं हैं। हम इंजीनियर थे लेकिन दूसरे काम में आ गये। इस देश में जो बहुत पुराना और सबसे सच्चा आदमी पैदा हुआ, उसका नाम महात्मा कबीर है। उसने कहा है कि –

‘तेरा मेरा मनवा कैसे एक होय रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होय रे,
तू कहता है, कागज देखी, मैं कहता हूँ आंखन देखी,
मैं कहता हूँ सुलझनहारी, तू कहता है उलझनहारी,
मैं कहता हूँ सुलझनहारी और आप कहते हो उलझनहारी।’

हम सब लोग भी उलझनहारी में फंस गये हैं। कपिल सिब्बल जी, आप मेरी बात को दिल से समझ रहे हैं, लेकिन मजबूर आदमी कभी भी मजबूत काम नहीं कर सकता। यह सदन मजबूर हो गया है। यह मजबूरी तोड़ने की जरूरत है। कोई कहता है कि हम चुनाव हार जायेंगे, जीत जायेंगे। हम ग्यारह बार चुनाव लड़े हैं और उसमें कई बार हारे हैं और कई बार जीते हैं। मान लो कि देश के लिए तबाही और बर्बादी का कानून बन रहा हो, तो क्या हम उसे बनने देंगे? क्या देश को बर्बाद होने देंगे? कोई कहे कि हमें हरा देगा, तो हरा दे, मिटा दे, लेकिन देश बनेगा, समाज बनेगा। इतिहास याद रखेगा कि हमने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उलझाने का काम नहीं किया। आप सीबीआई को क्यों नहीं मजबूत करते? हम तो इतने दिनों से मांग कर रहे हैं कि इसे स्वायत्त बनाओ। उसका सलैक्शन ऐसा करो कि वह निष्पक्ष हो जाये। आपके हाथ न रहे और कल हम आये तो हमारे हाथ भी न रहे। उसके पास सारे कर्मचारी हैं, सारी संस्थाएं हैं। आप उसका कैसा कचूमर निकाल रहे हो। अभी तक आप इतने मालिक बना कर रखे हो। एक आदमी घोड़ा चलायेगा या पांच लोग उसकी लगाम लेकर चलायेंगे। क्या वह घोड़ा चलेगा?...(व्यवधान) लोकपाल का यही हुआ। आप जो लोकपाल बिल लाये हैं, उसमें यही है। लोकपाल में आप, यानी आप एक ऐसा

लोकपाल लाये हैं, जिस घोड़े को चलाने के लिए आपने उस पर पांच लोग सवार कर दिये, वह घोड़ा कैसे चलेगा? (व्यवधान)

अंत में, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यह बिल सोच समझकर कर नहीं लाये। सुषमा जी तो सीधा नहीं कह पायीं। वे उसी तरह से दुखी हैं जैसे मैं हूँ। लेकिन उनका थोड़ा सा आंदोलन से, ... (व्यवधान)
आंदोलन से मेरा भी बहुत प्रेम है।

(z2/1525/rps-sh)

मैं पहले दिन भी गया था और अभी भी गया था। कुछ साथियों ने कहा कि वहां क्यों गए थे, अरे, मैं वहां गया था तो मैं जैसा यहां बोलता हूँ, वैसा ही वहां उनको बोलकर आया हूँ कि अन्ना साहब, जब आप भूख हड़ताल पर पहले दिन बैठे थे, उस दिन 27 लोग बंद थे, इसको मत भूल जाना। 150 आदमी यहां अपराधी हैं, दागी हैं, यह किसी ने आपको गलत बताया है। हमको भी यह चोरी के केस में, लालू जी की सरकार थी, घड़ी छीनने का हम पर एक केस चला हुआ है, अभी भी चल रहा है। जो लोग बाहर से कह रहे हैं कि हम सब लोग खराब हैं, हम लोग लाखों लोगों द्वारा चुनकर आते हैं, हम खराब होते, तो जनता हमें यहां नहीं भेजती। पिछले 37 वर्ष से मैं इस सदन में हूँ। हम लोगों में से बहुत से लोग ईमान के लिए भी हैं, उन सब लोगों को आप मिटाने का काम मत करो। सिब्ल जी, यह जो कानून लेकर आए हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप इसे माथा पकड़कर लाए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, क्यों ऐसा कर रहे हो। हो सकता है कि आपको और हमको नुकसान हो जाए, लेकिन आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के सामने क्या कोई लक्ष्य था कि हमको लाभ होगा। देश बनाने के लिए कई बार अड़ना पड़ता है। सोनिया जी जो है, इंदिरा जी जो है, अड़ी। देश बचाया, लेकिन ऐसा नहीं किया कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ गयी हों। उस पार्टी में बहुत से बड़े-बड़े लोग पैदा हुए हैं, उन्होंने जोखिम का जो रास्ता बताया है, कभी-कभी जोखिम उठाना पड़ता है। आज जो लोकपाल आया है, वह ठीक नहीं है। इसे कोई नहीं मान रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं, वे भी नहीं मान रहे हैं और इस सदन में सुषमा जी से लेकर सभी लोगों ने कहा कि यह सही नहीं है, दारा सिंह जी कह रहे हैं कि पूरा, टोटल लाओ, वह भी इसके हक में नहीं हैं।... (व्यवधान)
मजबूत का मतलब मजबूरी नहीं होती है। अभी मुलायम सिंह जी ने कहा, लालू जी ने कहा, इसलिए इस बिल पर और विचार होना चाहिए।

Comment: C d by z2

Comment: Sh. Sharad Yadav cd.

MR. CHAIRMAN (SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA): Please wind up now.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): आप क्यों सारे कर्मचारियों को चोर मान रहे हैं, क्यों सारे अफसरों को चोर मान रहे हो, आप उनसे भी बात करो कि कल वे कैसे काम कर पाएंगे। हमसे भी बात करो, हम एमपी हैं, कल

क्या कोई हमारा एक काम सुन लेगा, क्या कोई हमारा एक काम कर देगा? आप इसे ला रहे हो, तो क्या ये सब चीजें बंद कर दोगे? क्या इस पंद्रहवीं लोकसभा को आज के दिन के बाद क्लोज करना है? नहीं-नहीं, ऐसा मत करो। जागो, पुरुषार्थ जगाओ, हिम्मत से खड़े हो, यह ठीक लोकपाल नहीं है, अच्छा लोकपाल बनाकर लाओ और अच्छा लोकपाल बनाने के पहले सीबीआई को किसी के पास मत दो, स्वायत्त करो और देखो कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ वह लड़ती है या नहीं। लड़ेगी, जरूर लड़ेगी।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please wind up. You have made your point.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): इसलिए सरकार में बैठे भाइयो और बहनो, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि यह लोकपाल ठीक नहीं है, यह देश को पूरी तरह से ठप्प कर देगा। इसे अभी यहीं रोकें। बना लेना आप, लेकिन जरा बात करके बनाओ। आप कह रहे हो कि आपने सबसे संपर्क कर लिया, नहीं किया। आपने लाखों कर्मचारी इसमें रख दिए, लेकिन उनसे पूछा नहीं, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार देते हैं, उनसे पूछा नहीं, आपने किसी से नहीं पूछा है। बहुत लोगों को छोड़ दिया है। सबसे बात करके लाएं। आप एक अच्छा लोकपाल लाने का काम करें। धन्यवाद।

(इति)

1529 hours

SHRI T.K.S. ELANGO VAN (CHENNAI NORTH): Thank you, hon. Chairman, Sir. I rise to support the Lokpal Bill. On the other day also, I had made the views of my Party in this regard about the Lokayuktas.

Sir, the Constitution (One Hundred and Sixteenth Amendment) Bill is also presented in this House for insertion of new Part XIVB. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain silence.

SHRI T.K.S. ELANGO VAN (CHENNAI NORTH): Sir, Clause 323D (1) is sufficient and it will mandate the States to have their own Act for the establishment of the Lokayuktas. [.....
(a3/1530/sr-jr)] [.....]

Comment: Cd by a3

Comment: elengovan cd.

If we pass an Act for Lokayukta, then we are trespassing into the powers of the State. As a Member of the DMK, we are opposed to any trespassing into the powers of the State. I want to make this point to the Government. This Article 323 (b) itself is enough for the States to make law for the Lokpal.

There is a saying that if anybody has committed a sin, if he takes a dip in the Ganga, he will lose his sin. But last week, this House witnessed a debate on the pollution in Ganga itself. So, people say that we have no faith in this Government; we want an Ombudsman; we have no faith in the politicians; we have no faith in the CBI; and we have no faith in the established organisations which take care of such things. But a day will come, like as we were discussing about the pollution in Ganga, when we will have to rethink about the Lokpal. So, this is a continuous thing. People accuse everybody if that does not suit them. If it suits them, they will start supporting. But we have come to the stage when the Bill is introduced.

I have only two reservations to make. One is regarding Section 53 of the Bill. Section 53 says:

“The Lokpal shall not inquire or investigate into any complaint, if the complaint is made after the expiry of a period of seven years from the date on which the offence mentioned in such complaint is alleged to have been committed.”

This gives a retrospective effect to the Lokpal. What were the other agencies doing for seven years? The Prevention of Corruption Act is there in force. But it only says that for the past seven years, no action was taken on crimes committed during this period, which is not good. My request is that it should not as if that the Government has not acted for the past seven years. This retrospective effect should be removed. This Act should be a prospective Act and not a retrospective Act.

Secondly, while I object to law-making in regard to Lokayuktas, I want to make a comment in regard to one particular Section, that is, Section 95. The section says:

“The Lokayukta shall function as the final appellate authority in respect of appeals arising out of any other law.”

They cannot be a final appellate authority when there is the Supreme Court. How can it be a final appellate authority? It means, the accused, the aggrieved has no other way to prove his innocence. So, there should be an avenue for him to go on appeal against the Lokpal or Lokayukta or whatever it is. That provision should be made. This curtails the opportunity for any accused to go before a higher appellate authority to seek relief. With these two points, I once again request that you leave the law-making for Lokayuktas to the States and preserve the rights of the States.

(ends)

1534 बजे

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सभापति जी, आज देश भर की जनता इंतजार कर रही है और सुन रही संसद को, लोक सभा को, कि जो सबसे बड़ी मौजूदा समस्या इस देश में है भ्रष्टाचार की, उससे कैसे हम निपट सकेंगे, कैसे इसे जड़ से उखाड़ सकेंगे।

Comment: cd. by b3

(b3/1535/har/kmr)

Comment: Basudeb Acharya cd

यह एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या आज हमारे देश में है। हम बहुत दिनों से इंतजार और मांग कर रहे थे कि एक सशक्त और कारगर लोकपाल का गठन करो। यह हम एक साल से नहीं कर रहे थे बल्कि मुझे याद है कि वर्ष 1985 में जब माननीय राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और हमने सुझाव दिया था कि इस लोकपाल में क्या करना चाहिए, क्या-क्या रहना चाहिए और कैसा लोकपाल होना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि बिल पेश करने के दो साल के भीतर ही उसे वापस लिया गया और यह जो बिल 22 तारीख को पेश हुआ, इससे पहले बिल संसद में पेश हो चुके हैं। आठ बिल पेश हुए, एक बिल वापस हुआ और इन पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं।

पहली बार हम लोग बिल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने इस बिल के ऊपर चर्चा नहीं की थी क्योंकि बाहर आंदोलन, प्रदर्शन हो रहा था। हम लोगों ने जिस विषय पर चर्चा की और उन लोगों की अन्ना जी की जो तीन मांगे थी कि सदन में उस पर चर्चा हो, सदन की राय ली जाए और फिर स्थाई समिति को उसे भेजा जाए। इन तीन मुद्दों में एक मुद्दा था लोअर ब्यूरोक्रेसी के बारे में कि अप्रोप्रीएट मैकेनिज्म करके ही लोअर ब्यूरोक्रेसी को लाया जाए, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की कैसे जांच होगी, उनकी मांग थी कि तमाम ब्यूरोक्रेसी लोकपाल के तहत आयेगी। यह एक मुद्दा था।

दूसरा मुद्दा लोकायुक्त का था कि उसका कानून भी यहां बनेगा। लेकिन हम लोगों की जो समझ थी कि लोकायुक्त राज्यों में बनेगा। बहुत से राज्यों में लोकायुक्त है। कर्नाटक में जो लोकायुक्त है वह सबसे ताकतवर लोकायुक्त है, उसे हमने देखा है। जो ताकतवर लोकायुक्त वहां था उसकी अपनी इंवेस्टिगेशन एजेंसी थी लेकिन केन्द्र में तो कोई लोकपाल ही नहीं है। **There is no Lokpal in the Centre. There are Lokayuktas in seven States.** कपिल सिब्बल जी ने पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा का उदाहरण दिया कि वहां पर जो कानून बना, उसमें तमाम ब्यूरोक्रेसी का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कानून तो है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह का कानून होगा और ये जो सवाल आज यहां उठा है कि हमारा जो संघीय ढांचा है, स्ट्रक्चर है इसके ऊपर इसका क्या असर होगा? इस संघीय

ढांचे को हम दुर्बल करेंगे और हमने भी 22 तारीख को इस सवाल को उठाया था। आप under article 253 लोकायुक्त बनाना चाहते हैं। उन्होंने यूएन कंवेन्शन का जिक्र किया। (c3/1540/bks-vp)

Comment: Cd by C3

Comment: (Sh.Basudeb Acharia cd.)

I quote:

“Each State party shall take the necessary measures including legislative and administrative measures in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to ensure the implementation of its obligation under the Convention.”

जो हमारा संविधान है, उस संविधान के मुताबिक कानून बनेगा। राज्य का क्या कानून होगा, हमने एक संशोधन दिया है कि इसमें इनेबलिंग क्लाज लाओ और आर्टिकल 252 के तहत आप लोकायुक्त बनाओ। परंतु आज हमारे देश में जो स्थिति है, जिस तरह से देश की जनता के बीच आक्रोश है, मैं समझता हूँ कि आज ऐसा कोई राज्य नहीं होगा, जो राज्य एक ताकतवर, एक मजबूत लोकायुक्त नहीं बनायेगा। इसीलिए हमने जो सुझाव दिया है, जो संशोधन पेश किया है, उसे स्वीकार कर लीजिए। इनेबलिंग प्रोविजन्स रखिये और हर राज्य सरकार लोकायुक्त बनायेगी।

महोदय, आज हम जिस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। We demanded a strong, effective and a credible Lokpal. In order to create a strong, credible and effective Lokpal, we should enact legislation accordingly. लेकिन क्या हम बना सकेंगे? हमारे सामने आज जो विधेयक पेश किया गया है, अगर इसके मुताबिक कानून बनेगा तो क्या हम एक ताकतवर, एक इफैक्टिव लोकपाल का गठन कर सकेंगे? हमारा सुझाव था, तीन बार आल पार्टी मीटिंग्स हुईं, We had three meetings; we attended three meetings and we gave a number of suggestions. हमने एक नहीं, अनेक सुझाव दिये थे। उसमें यह सुझाव भी था कि अगर लोकपाल की अपनी इनवेस्टिगेटिंग एजेन्सी नहीं रहेगी तो लोकपाल क्या काम कर सकेगा, Lokpal will be converted into a dysfunctional institution. क्या हम इस तरह का लोकपाल चाहते हैं? क्या हम दिखाने के लिए लोकपाल बिल सदन में लाये हैं कि लोकपाल की मांग हुई और हमने लोकपाल बना दिया। जो लोकपाल कारगर नहीं होगा, जो लोकपाल मजबूत नहीं होगा, जो लोकपाल काम नहीं कर सकेगा, हमारे देश में फैले हुए भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जिस तरह के लोकपाल की जरूरत है, इस बिल में जो प्रोविजन्स हैं, क्या हम इससे उपरोक्त कार्य कर सकेंगे?

इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार क्लोज माइंड से नहीं, The Government should have an open mind. इसलिए सदन में हम जो राय रख रहे हैं और सरकार का जो उद्देश्य है, यदि सरकार चाहती है कि एक मजबूत लोकपाल बने तो हम चाहेंगे कि हम लोगों ने जो सुझाव और अमेंडमेंट्स दिये हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है कि यहां एक अच्छा और मजबूत लोकपाल बने। उसकी अपनी इनवेस्टिगेशन एजेन्सी रहे। सरकार ने यह मान लिया है, उन्होंने शुरू में बोला था कि खुद प्रधान मंत्री लोकपाल के दायरे में आना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ये बयान दिये थे, The Prime Minister himself wanted to come under the ambit of Lokpal. लेकिन उसमें हम लोगों ने भी बोला था, |

Comment: (cd. by d3)

(d3/1545/gg-rk) |

Comment: Ctd. By B. Acharia

It should be with some safeguards like internal security, national security and public order. बाकी तीन भी रख दिए। ऑल पार्टी मीटिंग में भी यह सुझाव रखा था। लेकिन हमारा सुझाव है कि इसमें यह भी जोड़ना चाहिए If there is an agreement with the Head of the State of a country इस विषय को लेकर अगर किसी दूसरे देश के साथ करार हुआ तो यह भी लोकपाल के तहत आना चाहिए। हमारा उद्देश्य तभी पूरा होगा। शुरू से यही विरोध था। सन् 1985 से यही विरोध था कि प्रधानमंत्री लोकपाल के अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे। जब हमने सरकार को बाहर से समर्थन दिया था, तब लोकपाल बिल बना और सदन में पेश भी हुआ था, लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। हर समय प्रधानमंत्री को इस दायरे में रखा गया था। इसीलिए हम चाहेंगे कि सरकार इसको मान ले। हमने यह सुझाव दिया था कि what is the genesis of corruption in our country? भ्रष्टाचार कहां से शुरू होता है? सन् 1991 से हमने अपनी नीति को परिवर्तित कर के आर्थिक सुधार की नीति को अपनाया। If we compare post-reform and pre-reform period, we find that in pre-reform period there were incidents of corruption. We have seen Bofors scam to the extent of Rs.67 crore. 67 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हमने देखा। Entire country was rocked. आज तक हम उसके नतीजे तक नहीं पहुंच सके। हमने टेलिकॉम स्कैम देखा लेकिन after 1991, the dimension of corruption has already been changed. One after another we have seen share scams. The word scam was discovered during 1993-94. We witnessed scam of the order of Rs.7,000-8,000 crore. Perhaps for the first time, the JPC was constituted to inquire into such a mega scam in our country. Then we

witnessed 2G Spectrum scam. The then Communications Minister, the day he took over उन्होंने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जबकि 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। सन् 2008 से हम लोग प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते आ रहे थे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। But the reason for increase in the incidents of corruption is the indifferent attitude and inaction on the part of the Government. सरकार ने तब तक ऐसा कोई कारगर कदम नहीं उठाया जब तक हमने इस मुद्दे को सदन में नहीं उठाया। पिछले साल पूरा एक सत्र, शीतकालीन सत्र नहीं चला। हमारी एक ही मांग थी कि जेपीसी का गठन कर के इसकी जांच हो जाए। सरकार बजट सत्र में मानी, लेकिन शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद एक भी कामकाज नहीं हुआ। सीउब्ल्यूजी के बारे में सरकार को सब पता था लेकिन फिर भी चलता रहा। साढ़े 1200 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बढ़ते-बढ़ते 60-70 हजार करोड़ रुपये का हो गया। यह किसका पैसा है? यह जनता का पैसा है।

Comment: Ctd. By e3

Comment: Sh. Basudeb Acharia cd.

(e3/1550/nrj-cs)

There are nexuses among corporate houses, bureaucracy and corrupt persons. यहां पर कारपोरेट हाउस का कोई जिक्र ही नहीं है। हमने बार-बार मांग की थी कि लोकपाल के साथ इस कारपोरेट हाउस को भी लाना चाहिए। जिस तरह से लाइसेंस, कान्ट्रैक्ट, दूसरे अन्य कामों में जो फायदा दिया जाता है, which causes loss to the revenue,, पब्लिक एक्सचेकर का लॉस होता है।

The corruption is also there to a great extent in giving contracts and licenses. We have seen in KG D-6 Basin that how Rs.30,000 or Rs.35,000 crore were doled out to a corporate house. We have seen how our mineral wealth has been plundered like iron ore and other resources.

This is because of the Neo-Liberal Policy, which is being pursued by this Government for the last two decades. Plunder and loot of public assets are taking place. All these things are happening in our country due to Neo-Liberal Policy. I would like to know whether Lokpal will also enquire into that aspect of the corruption which is happening in our country.

Sir, we have seen how CBI was used or misused politically. राजनीतिक तौर पर सीबीआई को सरकार ने कैसे इस्तेमाल किया है, वह हमने देखा है। वर्ष 2008 में जब न्यूक्लियर डील को लेकर हमने फैसला ले लिया। You were extending external support to this Government

with the help of 61 Members of Parliament of Left parties. We decided to withdraw the support when the Government went ahead with the nuclear deal. We have seen how CBI was used against Mulayam Singhji to get his support in confidence vote. So, there are a numbers of incidents. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि सीबीआई को कैसे सरकार ने राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया है; how the CBI was used and misused.


MR. CHAIRMAN: Please one minute. Please wind up.

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): इसे भी देखना चाहिए। एप्वाइमेंट के प्रोसिजर में कुछ परिवर्तन लाये हैं, वह ठीक है, लेकिन केवल एप्वाइमेंट के प्रोसिजर में, सिलेक्शन कमेटी जो बनी है, केवल उसे करने से ही नहीं होगा। I am not in favour of giving complete autonomy to CBI. It is because CBI should be accountable to somebody. हम ऐसी संस्था बनायेंगे, जिसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए इस सवाल को भी हम लोगों ने ही उठाया था, हमारी पार्टी ने इसे ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया था कि जो लोकपाल बनेगा, वे भी उत्तरदायी होंगे। They should be accountable to the Parliament and the Supreme Court. The Lokpal should be accountable. अगर कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तो उस संस्था का क्या होगा, हम यह भी चाहते हैं।

Comment: Contd. By f3

(f3/1555/hcb/snb)

Comment: Shri Basudev Acharia cd

इसीलिए हमारा यही लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि कानून बने, लेकिन ऐसा कानून बने जो हमारे देश में इस तरह के एक मज़बूत लोकपाल का गठन करे। इस समय जो बिल पेश किया गया है, इसमें कोई खास बातें नहीं हैं। अगस्त में जो बिल पेश किया था, उसमें प्रधान मंत्री नहीं था। थोड़ा बहुत संशोधन किया लेकिन यह काफी नहीं है। अगस्त में जो बिल आया और स्टैंडिंग कमेटी में स्कूटिनी के बाद यह बिल जो पेश हुआ, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। प्रधान मंत्री को इसके दायरे में लाए हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो सुझाव थे आल पार्टी मीटिंग में, वह सरकार ने नहीं माने। अगर वह मानते और बिल में लाते तो देश की जनता की माँग पूरी होती कि एक ताकतवर, मज़बूत और क्रेडिबल लोकपाल बने। लेकिन खाली एक लोकपाल बनने से काम नहीं होगा, न unless all measures against corruption is taken. हमारे यहाँ इलैक्टोरल रिफॉर्म की भी  रत है। Look at the way black money is used in elections. Crores and crores of rupees are being spent in elections. कहाँ से पैसा आता है? अगर एक असैम्बली इलैक्शन में 15-20 करोड़ रुपये का खर्च होता है तो क्या होगा? What will happen to our



parliamentary democracy? Parliamentary democracy will be contracted. क्या हम ऐसा चाहेंगे? इसीलिए लोकपाल के साथ इलैक्टोरल रिफार्म्स के लिए दो कमेटी बनी थीं। One Committee was set up under late Dinesh Goswami and another Committee was set up during the regime of the NDA Government under the Chairmanship of the late Indrajit Gupta. Both the Committees recommended State funding of elections. What has happened to that? If State funding of elections is introduced, then to some extent corruption and use of black money in elections can be reduced. So, a strong Lokpal Bill alone is not sufficient. A lot of improvements are required and the Government should agree to accept some of the amendments Tabled by the Members from the Opposition with an open mind if the Government's objective is to have a strong, effective and a credible Lokpal Bill. यह हमारा निवेदन है कि सरकार कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को स्वीकार करे और जो संघीय ढाँचे पर हमला हो रहा है, इसको दुर्बल करना चाहते हैं, इसको डिसटर्ब करना चाहते हैं, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर जिसका असर होगा, यह उचित नहीं होगा। इसलिए एक मॉडल एक्ट बनाइए, राज्य सरकारों को कहिए कि इसके मुताबिक वे अपने यहाँ लोकायुक्त का गठन करें, तभी हम अपने संविधान के संघीय ढाँचे को बचा सकते हैं। 64 सालों में हमने देखा कि किस तरह से राज्यों के विषय एनक्रोच हुए हैं। One can see how the domain of the State Governments has been encroached upon in the past. इसीलिए लोकायुक्त राज्य सरकारें बनाएँगी, केन्द्रीय सरकार संसद में एक मॉडल एक्ट बनाए और उसी के मुताबिक राज्य सरकारें बनाएँ जिससे राज्य में सशक्त और मज़बूत लोकायुक्त बनेगा और केन्द्र में भी बनाना पड़ेगा।

(g3/1600/ru-mm)

Comment: Cd by g3

With this Bill, we do not expect an effective, credible and strong Lokpal in our country. With these words, I conclude. Thank you very much

(ends)



1600 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman Sir, I stand here today to participate on Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011. The introduction of the Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011 is in itself not an earthshaking event. This is actually the ninth Lokpal Bill to be introduced in a series that started as early as in 1958. None of the earlier ones had reached the stage of debate on the floors of either House of Parliament. Seven of them lapsed with the dissolution of the Lok Sabha concerned on completion of its tenure and one was withdrawn. The difference this time is that the introduction is the climax of the powerful India Against Corruption Movement and extensive nation-wide discussion on this subject. It is the searing heat of public opinion that has taken this ninth version of the Bill through various stages leading to this discussion in this House of People and has enhanced the prospects of its becoming a law. But the question is how strong is the Lokpal in this Bill. All of us want a strong Lokpal to curb the menace of corruption. The old man sitting in the MMRDA in Mumbai on fast also wants a strong Lokpal but neither he nor we on this side of the House are of the opinion that this Bill is making a strong Lokpal.

The Bill is a far cry on a number of counts from the expectations of not only Anna and his team but from different sections of our society who are equally committed to the eradication of corruption.

1602 hours

(Dr. Girija Vyas *in the Chair*)

The Bill has four major lacunae which must be removed to carry credibility and serve the purpose for which it is being legislated. Firstly, the Bill strikes at the functional autonomy of State guaranteed by the Constitution. It is not for the Union Government to impose the structure and functions of Lokayukta on State Governments but it is for the respective State Governments to decide what they want bearing in mind their specific requirements. The Union Government can, at best, recommend a model law which will outline the minimum requirement for an effective Lokayukta.

Part III of the Bill needlessly clutters up the Bill and blurs its focus. Lokayukta cannot be a subject matter of legislation by Parliament as, Madam, item 41 of the State List mentions about the State Public Services and the Lokayukta's jurisdiction basically is to go into acts of corruption by State Public Services from top to bottom.

The argument to bring in item 1, 2 and 11A of the Concurrent List to enable Parliament to legislate is highly erroneous. The Minister for Human Resources Development had referred to the United Nations Conventions. In the Statement of Objects and Reasons of the Bill, it is also mentioned that because we have made a commitment, we have ratified the Resolution which was passed by the United Nations earlier in the last decade. Therefore, we have to include Lokayuktas in this Bill. But we differ on that.

Comment: cd. by h3

(h3/1605/rbn/rv)

Comment: Shri mahtab contd.

Therefore, we have to include Lokayuktas in this Bill. But we differ on that. The Biju Janata Dal, on 27th August and on 22nd December – and again today, I am reiterating its view – had taken the stand that States have specific responsibility to eradicate corruption in administration and in public life. So, they can have their own Lokayuktas in the States. In Orissa we have a Lokpal law which is in force since the mid-nineties. Today, I want to assure this House and also the Government, on behalf of my Party, that within three months' time, when the next Budget Session is going to commence of our Odisha Legislative Assembly, we will bring in a very effective and very strong Lokayukta Bill in our State. Why can other State Governments not do that? Everybody likes to have a strong Lokayukta in his State. Leave that issue to the respective State Assembly to decide. They will formulate legislation which will be passed by the respective State Assemblies.

In the Constitution, it has been categorically mentioned about the federal structure. Therefore, I would urge upon the Government to consider article 252 where powers of Parliament to legislate for two or more States by consent and

adoption of such legislation by any other State, is mentioned. This method should have been adhered to instead of going in for article 253 and making it mandatory on the part of the State Governments to implement that.

I would only urge upon the Government to delete part 3 of the Bill and implement only part 1 and part 2. I have no amendments to part 1. I want to correct part 1 to the extent that the provision of this Act, referred to in page 2, line number 7 and 10, “the provisions of this Act relating to Lokpal shall come into force on such date as the Central Government may by notification in the Official Gazette appoint” and with 4 (a), that is the addition which I have made, “the provisions of this Act relating to Lokayukta shall come into force on such date as the respective State Governments may by notification in the Official Gazette appoint”. These are the two amendments which I have made. There are other amendments also which I have made.

Therefore, I would only say that the Constitution respects the federal character of the Union. That should be adhered to and the Government should always protect the federal structure of the nation. No attempt should be made to trample on the powers and authority of the State.

It makes no sense at all to keep the Central Bureau of Investigation out of the purview of Lok Pal. Nor does it have any sense to have a parallel investigation and prosecution system that will be controlled by the Lokpal. This will only result in duplication of work and could lead to contradictory action. I would reiterate that the Central Bureau of Investigation should not be under the Government control as it is being misused against political enemies as before. Nor should it be autonomous as historically it is known that an independent police organisation has led to a police State. The anti-corruption and prosecution wings of the CBI can be separated and placed under the Lokpal and the rest may continue with the Government. These are my suggestions relating to the Lokpal. (j3/1610/tkd-sb)

Comment: Contd. By J3

Comment: Shri B. Mahtab cd.



If the investigating wing of the CBI were to be placed under the Lokpal where the Government were to retain administrative control over the agency, it would invariably lead to officers taking their cue from the Government of the day instead of functioning independently. This should not be done. CBI should be allowed to function in such a way as I have mentioned earlier.

Thirdly, the move to impose quotas from the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, women and “minority” not only is the proposal abhorrent, it is hideous to seek to divide the institution of Lokpal along community, caste, gender and communal lines.

Corruption has no community, caste, gender or religious identity. The caste, creed, gender and faith of those who will hold office in the nine-member Lokpal are of no consequence and irrelevant. The proposal is very dangerous and need to be thwarted. It is very clear that the purpose is not to set up an effective Lokpal but to pander to the vote-banks. Should we allow quotas in the judiciary and other constitutional institutions of our Republic? The Lok Pal’s job is to curb corruption; it is not meant to be a political instrument for crass politics. There is a need to remove these obnoxious clauses.

I am reminded that the original intention behind the recommendation of the first Administrative Reforms Commission which mooted the idea was to tackle corruption in high offices or high places. But, now, the Bill extends the concept to the elimination of corruption at all levels of the Central Government and from public life in general by including all associations etc. ... (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN (DR. GIRIJA VYAS): Please wind up.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I would quote here: in Page 8, clause 14 sub clause (h):

“any person who is or has been a director, manager, secretary or other officer of every other society or association of persons or trust ...”

Association of persons involves everyone. Any law, for the time being, in force in receipt of any donation from the public covers everyone in this country. Any society, any association, any organization, any trust, and all these are covered now under Lokpal. This is a very herculean task which is being loaded on the Lokpal to work. ... (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Let me conclude. Madam, I need another two or three minutes.

MADAM CHAIRMAN: Please conclude within one minute.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The Bill extends the concept to the elimination of corruption at all levels of the Central Government and from public life in general by including all associations, trusts, etc. This combined with the elaborate procedures prescribed for preliminary inquiries and constant back-and-forth referrals to the Central Vigilance Commission (CVC) and CBI in processing complaints which may soon number tens of thousands makes all the timeliness mentioned in the Bill unrealistic and unattainable. The highly cumbersome procedural complexities will enmesh the Lokpal almost from the start.

Before I conclude, I should also mention a point relating to the inclusion of hon. Prime Minister under Lokpal's purview. The hon. Prime Minister should be included in the ambit of Lokpal with the exception of internal security, public order, atomic energy and space. No special procedures are needed for enquires, investigation against the hon. Prime Minister. We insist on a strong Lokpal and provisions which weaken the authority of Lokpal should not be supported. (k3/1615/brv-mkg)

Comment: cd. by k3

Comment: Mahtab cd

I would reiterate that to eradicate corruption, there is a need to have an effective Ombudsman Mechanism. Our Party would not be a party to this type of a half-baked Bill which wants to have a namesake Lokpal but gives little power and ties it up with so many infirmities. I would urge upon the Government to take back this Bill, re-draft it and come back to us. Otherwise, it can send the Bill to the



Standing Committee for further consideration. The commitment which I would also reiterate here on behalf of the hon. Chief Minister of Odisha Shri Naveen Patnaik is that a strong Lokayukta Act will be passed by the State Legislature within the next three months.

Thank you.

(ends)

1616 बजे

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति महोदया, लोकपाल और लोकायुक्त के निर्माण का यह विधेयक मंत्री श्री नारायण स्वामी जी ने सदन के सामने रखा है। इस विधेयक पर चर्चा शुरू करते समय उन्होंने इस लोकपाल विधेयक का इतिहास भी सदन के सामने रखा है।

पिछले 41 वर्षों में यह विधेयक अलग-अलग कारणों से सदन के सामने लम्बित पड़ा है। यह आठ बार सदन के सामने आया, उसमें से सात बार लैप्स हो गया और एक बार सरकार ने वापस लिया। मैं इस बात को इसलिए दोबारा सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि पिछले 31 सालों में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी से लेकर, इन्दिश जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वी.पी.सिंह जी, गुजराल जी, चन्द्रशेखर जी, देवेगौड़ा जी, सभी के ये सन्दर्भ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि देश के महान नेता हमारे प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने शायद यह उचित नहीं समझा कि हमने इस देश की राज व्यवस्था को जिस तरीके से स्वीकार किया है, इस व्यवस्था के ऊपर हुकूमत चलाने वाली कोई और व्यवस्था शायद उन्हें मंजूर न हो। यदि उनकी यही मानसिकता रही होगी तो इस मानसिकता से मैं और मेरी पार्टी सहमत हूँ।

मुझे आश्चर्य हुआ, जब सदन में यह बहस शुरू हुई, चर्चा शुरू हुई, सरकार यदि जिम्मेदार है तो सरकार चाहेगी कि जो विधेयक सरकार पेश करती है, वह पारित हो। सरकार अपनी ओर से कभी यह नहीं कह पाएगी कि आप इसे पारित मत करिये। सरकार तो निश्चित रूप से यह प्रयास करेगी कि जो विधेयक वह लाई है, वह पारित किया जाये, लेकिन विपक्ष की नेता से लेकर जितने सदस्य इस विधेयक पर अब तक बोले हैं, सभी ने इसका विरोध किया है और विरोध करते हुए यह कहा है कि हमें और मजबूत लोकपाल चाहिए, इतना मजबूत कि इतना मजबूत हमें मिले ही नहीं।

(13/1620/cp/spr)

आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा निर्णय हम करने जा रहे हैं, एक नयी संस्था का गठन करने जा रहे हैं, एक सुपर पॉवर सेंटर बनाने जा रहे हैं और इसके बारे में अपनी सही जिनकी राय है, वह हम हिम्मत से सदन के सामने रख न पाएँ, यह देश के लिए, हमारी संसद के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है।

सभापति महोदया, कुछ सदस्य मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी लोकपाल के दायरे में आने चाहिए। कुछ सदस्य ऐसे हैं, जिनका विरोध है। वैसे प्रधानमंत्री पद इस देश की गरिमा है। हम नहीं चाहते कि जो देश की गरिमा है, उसे कोई ठेस पहुंचे। उस गरिमा को कम आंका जाए या उसका अपमान किया जाए। यह हमारे लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए प्रधानमंत्री पद एक गरिमा है। इससे बड़ा दुख मुझे इस बात का हुआ है, जिस दिन इसका इंद्रोडक्शन हुआ, तब भी हमने इस बात को यहां पर कहा था कि

Comment: cd by 13

Comment: श्री अनंत गीते जारी

नया बिल सदन के सामने आज पेश हुआ है। बंसल जी ने कहा यह कोई नया बिल नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री उसी समय खड़े होकर बोले और आज जब नारायणसामी जी ने इस विधेयक को सदन के सामने रखा, तब उन्होंने कहा कि पुराना बिल हमने विद्वद्ध किया है और नया बिल हमने सदन के सामने रखा है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): दोनों बातों में कोई अंतर्विरोध नहीं है। दोनों में वही बात है। उन्होंने यह कहा था कि पहले में जो संशोधन सुझाए गए थे, वे बहुत ज्यादा थे। इस कारण उनको डालकर उसकी नंबरिंग ठीक की है, यह साफ-सुथरा बना है, बिल वही है।

सभापति महोदया (डॉ. गिरिजा व्यास): कृपया शांत रहें।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): There are a large number of amendments. Giving the amendments and then reading the Bill together will be difficult for the hon. Members. Therefore, as per the recommendations of the Standing Committee, the new Bill has been prepared carrying out all the amendments that have been agreed to by the Government. ... (*Interruptions*)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति महोदया, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है और कोई आर्ग्युमेंट नहीं करना है। जो मंत्री जी ने यहां अपना वक्तव्य दिया है, वह सदन के रिकार्ड में है। आप उसे कल पढ़िएगा, मुझे और कुछ नहीं कहना है। आपने यह कहा कि जो पुराना बिल है, उसे विद्वद्ध किए हैं और नया बिल हमने पेश किया है, आप उसे कल पढ़िएगा। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि जब प्रधानमंत्री पद की बात आती है, तब मुझे इस बात का दुख होता है कि 130 करोड़ की आबादी में प्रधानमंत्री पद के लिए एक नेक आदमी इस देश में नहीं है। एक विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि 130 करोड़ की आबादी में एक नेक आदमी इस देश में यदि नहीं मिलता है, तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। हम क्या करने जा रहे हैं, कौन सा निर्णय कर रहे हैं, किस संस्था का गठन कर रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री पद को हम नीचे गिरा रहे हैं? क्या इस देश के सारे नेक लोग खत्म हो चुके हैं, ईमानदारी इस देश की खत्म हो चुकी है, कोई ईमानदार बचा ही नहीं है, ... (*Not recorded*) जिस संस्था का गठन आप करने जा रहे हैं, उसमें कौन लोग आएंगे? हम-तुम जैसे ही आएंगे।

सभापति महोदया : जो अनपार्लियामेंट वर्ड है, उसे निकाल दीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): वह भले ही रिटायर्ड होंगे, न्यायपालिका से होंगे या और किसी क्षेत्र से होंगे, लेकिन इसी देश के नागरिक होंगे। इसी 130 करोड़ में से होंगे, उनकी ईमानदारी की गारंटी कौन देगा? |

Comment: cont by m3.h

(m3/1625/raj/ksp)|

Comment: Cd shri Anand

हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए, महान नेता हुए उन्होंने इसे लाना उचित नहीं समझा। क्योंकि वे जानते थे कि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाएंगे और आज भी यदि यह बिल यहां पर पारित होता है तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाएंगे। भ्रष्टाचार के विरोध में हम और हमारी पार्टी है। शिवसेना के प्रमुख बाला साहब हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहे हैं। वे केवल बोलते ही नहीं रहे हैं बल्कि करते भी रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। सभापति महोदया, आप को एक उदाहरण देना चाहूंगा। यहां पर श्री कपिल सिब्बल बोल रहे हैं वह भारत सरकार के मंत्री हैं। मंत्री होते हुए उन्होंने यहां पर वक्तव्य दिया है। यहां पर मैं जो कह रहा हूँ इसे आप कपिल पढ़िएगा। उन्होंने कहा है कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार राज्यों में है। ...(व्यवधान) मुझे आप पर कोई आरोप नहीं लगाना है। मुझे आप पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है लेकिन देश का एक मंत्री संदन के अंदर कहता है कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार राज्यों में है। जबकि देश के राज्यों में हर दल की सरकारें हैं। विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं जिनमें कांग्रेस की भी सरकारें हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया (डॉ. गिरिजा व्यास): आप का समय हो गया है। आप वाइंड अप कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): आप मुझे इतने बड़े विषय पर बोलने से नहीं रोकिए। मुझे जो कहना है वह कहने दीजिए। इसे स्वीकार करना या नहीं करना यह संसद तय करेगा लेकिन जब एक मंत्री संसद के अंदर यह कहता है कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार राज्यों में है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर एक राशन कार्ड भी बनाना है तो वह बिना घूस दिए नहीं बनता है। हमें किसी पुलिस स्टेशन में जा कर कोई शिकायत करनी है तो बिना घूस लिए वहां पर शिकायत नहीं दर्ज की जाती है। यह स्थिति है, यह वास्तविकता है तो भ्रष्टाचार कहां तक पहुंचा है? आप इस बात को कैसे मानते हैं? इसे कैसे स्वीकार करते हैं कि पूरे देश की जड़ तक पहुंचा हुआ भ्रष्टाचार केवल लोकपाल आने से खत्म हो जाएगा। आज राज्यों में भ्रष्टाचार है। कहीं ऐसा नहीं हो कि उसका हेड क्वार्टर दिल्ली हो। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : कृपया आप समाप्त करें। आपका समय हो गया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : संस्था समय से चलती है। कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जो वास्तविकता है, 130 करोड़ आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिस पर हमें गर्व है उस लोकतांत्रिक देश में हम इस प्रकार कि कोई अलोकतांत्रिक संस्था का गठन करना चाहें तो पूरे सदन को उसका डट कर विरोध करना चाहिए। जब कपिल सिब्बल जी बोल रहे थे और यहां से विपक्ष की नेता सुश्री सुषमा स्वराज जी ने कहा आप कमजोर लोकपाल बिल लाएं हैं। इस लोकपाल का कोई मतलब नहीं है तब आप ही ने कहा है कि कोई असंवैधानिक संस्था हम सरकार के सर पर नहीं बैठाना चाहते हैं। सरकार भी इस बात से अवगत है। सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं वह असंवैधानिक है।

सभापति महोदया : कृपया अब आप समाप्त कीजिए। Please wind up now.

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति महोदया, मैं विधेयक के बाहर कुछ नहीं कह रहा हूं। जिस लोकपाल विधेयक पर यहां चर्चा हो रही है मैं उसी के संबंध में यहां कह रहा हूं। हम किसी के आंदोलन के खिलाफ नहीं हैं। जनता का यह अधिकार है। जनता आंदोलन कर सकती है। यदि भ्रष्टाचार बढ़ा है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए।

(n3/1630/nsh-rs)

हमने भी कई आंदोलन किए हैं, कई बार सड़कों पर उतरे हैं। भ्रष्टाचार के आंदोलन के खिलाफ कई बार हमें जेल तक जाने की नौबत आई है। आंदोलन के खिलाफ शिव सेना नहीं है। लेकिन यदि हम आंदोलन के बहाने या भ्रष्टाचार के बहाने अपनी जड़ें खुद ही उखाड़ना चाहेंगे, लोकतंत्र को हम ही खत्म करना चाहेंगे, तो हम किसी भी हालत में लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे, यह शिव सेना की राय है। इसीलिए शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे खुलकर भूमिका लेकर जनता के सामने, देश के सामने आए हैं। हम उनके नुमाइंदे हैं। जो पार्टी की बात है, उसे हम सदन के समाने रख रहे हैं।

सभापति महोदया, मैं यहां एक दूसरा उदाहरण दूंगा कि यह कैसे असंवैधानिक है। हमारे लोकतंत्र के चार स्तम्भ हैं - विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। आज तक इन चारों स्तम्भों पर लोकतंत्र चला है। क्या आज ये स्तम्भ चरमरा गए हैं? क्या ये चारों स्तम्भ कमजोर हो गए हैं या ये चारों स्तम्भ प्रभावशाली नहीं रहे हैं? क्या हुआ है जो आज हमें किसी पांचवे स्तम्भ की आवश्यकता है? आज भी हमारे ये चार स्तम्भ सशक्त, मजबूत हैं। आज भी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका

Comment: Cd by n3

Comment: Geete cd

सशक्त है। एक बार यहां चर्चा करते समय हमने इसका उदाहरण दिया था। इसी सदन में शरद यादव जी ने इस बात को कहा था। इसी सदन में जब पूर्व स्पीकर श्री सोमनाथ चटर्जी थे, प्रश्न पूछने के लिए केवल 15-20 हजार रुपये के लिए ग्यारह सांसदों को हमेशा के लिए इस सदन से बाहर कर दिया गया, उन्हें सांसद पद से हटा दिया गया। इस सदन का यह अधिकार है। स्पीकर महोदय ने निर्णय लिया था। स्पीकर महोदय के निर्णय को कोई चैलेंज नहीं कर पाया और न ही कोई चैलेंज कर सकता है, न्यायपालिका भी चैलेंज नहीं कर सकती। आप कह रहे हैं कि सदन के किसी सांसद के बारे में यदि लोकपाल से कोई इन्क्वैरी, शिकायत आए तो हमारे स्पीकर को कार्यवाही करनी चाहिए और यदि नहीं की, तो क्यों नहीं की, इसका कारण लोकपाल को देना चाहिए।...(व्यवधान) क्या यह सदन के अधिकार पर आक्रमण नहीं है? क्या यह स्पीकर के अधिकार पर आक्रमण नहीं है? इस सदन का जो सर्वोच्च पद है, उस पर आक्रमण नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसे विदग्ध कर लीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए। किसी भी हड़बड़ी या गड़बड़ी में इस प्रकार के विधेयक मत लाइए। यदि आपके लिए दिक्कत है तो इसे स्टैंडिंग कमेटी को सीधे वापिस भेज दीजिए। इस पर चर्चा हो, समाज के हर वर्ग की बात सुनी जाए। आप जिनके खिलाफ कानून बनाने जा रहे हैं, उस समाज के हर वर्ग को सुना जाए।

सभापति महोदया, हमारे पास काफी सशक्त कानून हैं। यदि हम उन कानूनों को लागू करना चाहें, यदि सरकार की वह मानसिकता और मनोबल है, तो आज हमारे पास जो कानून हैं, उन्हीं के तहत हम देश के भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसे लागू करने की हिम्मत चाहिए।...(व्यवधान) वह विल पावर सरकार में चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदया (डॉ. गिरिजा व्यास): गीते जी, प्लीज़ अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): राजनीतिक लाभ हित, ...(व्यवधान) उसके बाद सोच-विचार करके हम अपने कानून इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए केवल विरोध के लिए विरोध नहीं है। लेकिन हम जो इतना बड़ा एतिहासिक निर्णय करने जा रहे हैं, एक नई संस्था का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें हजारों कर्मचारी लगेंगे। हम उसके लिए दो सौ करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। एक नई संस्था का गठन करने जा रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा सदन सर्वोच्च है, हमारा संविधान सर्वोच्च है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : प्लीज़, अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का...(व्यवधान) हमें हमेशा संविधान निर्माताओं का सम्मान करना चाहिए।...(व्यवधान) इसलिए कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगले सत्र में भी इस पर विचार कर सकते हैं, इसे वापिस ला सकते हैं। इसलिए इसे दुबारा स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

Comment: Fd by o3



(o3/1635/rcp/rjs)

1635 hours

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam Chairman, I think Geete *ji*, in his last words, talked about Dr. Baba Saheb Ambedkar. I think, we all respect him, the architect of our Constitution. I would like to quote his last speech, concluding speech on the 25th of November, 1947 in regard to what is happening in the Indian society today:

“When there was no way left for Constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where Constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy and the sooner they are abandoned, the better for us.”

I think, we are all very much proud of the democracy of our country which we have nurtured. We are proud to say that India is the largest democracy in the world and we have managed to sustain it and have showed great growth and development in our country. I understand what all the earlier Members have spoken. But I am totally disillusioned and I am totally disappointed with the kind of negativism that has come out. I think the commitment that the Government has shown is the point that everybody has really missed in this entire debate. The UPA Government is totally committed to cleaning up the country and making India totally corruption-free. But as everybody has said, it is something that has eroded our country for over sixty years. It is not a magic wand, but it is a small beginning.

Look at the various Bills that the Government has come up with, be it the Citizens' Charter, be it the Grievance Redressal, be it the Judicial Accountability, be it the Whistleblower, and now the Lokpal. I think we should be honoured and we should compliment the Prime Minister. I personally feel the same thing; my Party may not agree with what I say. But I think I am going to defend myself when I say I agree with the Shiv Sena openly that I would not like my Prime

Minister to be accountable to anybody because we are very proud of him and we do not want him to be under Lokpal. But, it is the leadership quality of this gentleman, who happens to be in politics, who himself insisted that he wants to be under the Lokpal when all of us emotionally do not feel that and it has to be beyond the barriers. But he insists on this and, I think, that is where this whole Bill is going. So the Lokpal may not be the solution to all our problems but, at least, it is a beginning to stopping, eradicating and looking at corruption as a serious cause and looking at how we can address it. So, I think the whole sense of the House is that we need a Lokpal. You want a stronger one. Yes, we are for a stronger one. But, it is a healthy baby right now. Do you want it to be an obese baby with so much work that it may not be able to implement all the commitments that we have made? The whole nation is looking at us. The youth is looking at us. They are all on the streets today. Where is it coming from? It is the anger towards all of us. I think unless the quality of this debate converts, people are going to be further angry. So, I think, as a first step towards the commitment that we have made to all our voters, let us try and get this Lokpal across and review it every six months or one year. May be, the Government definitely can get commitment into it and not get tied down by numbers.

I saw hon. Sushma *ji* and Kapil *ji* going over 252 and 253. I do not care whether the number is 252 or 253; I want a corrupt-free society. I do not care whether it works this way or the other way. So, I urge upon the Government to take a neutral stand, to take the whole sense of the Government. We are totally for the federal system. I do not want my State's rights to be taken away by the Central Government, certainly not. But, at the same time, together we can make a difference. We have all been in power; we have all been in this House. I remember, one of my colleagues, Shri Sanjay Nirupam said, nobody in this room sits in glass houses. I do not think he meant it in a bad sense, but it is fact.

About the reforms that we are talking, unless there are electoral reforms, the entire political corruption will not be eradicated. So, unless we make the

electoral reforms, all these exercises are going to be meaningless. To give you an example of the animosity we are talking in society, in Maharashtra we had Municipal elections recently. I am very proud to say that the NCP and the Congress, though we fought separately, did exceptionally well and we have topped it, even given the circumstances that the entire atmosphere in the country is against the *netas*.

The other day, I was on a channel. I think, Gurudas *ji* always talks very freely against the media and I do not think I have the guts that he has. But, the other day, one of the channels was saying that all the 800 MPs had disillusioned this country. I want to know, has the channel gone to my constituency or your constituency and asked each voter that, yes, have I disillusioned them in these 2 ½ years? So, I do not like these general comments. I think, we have come here with commitment and conviction and we want to make a difference in this country. The whole atmosphere is that *netas* do not do anything; they are only on foreign holidays. Only our families know what kind of toll it takes on our personal lives as well. As a mother, I know I am ignoring my children to be here; Priya is here. Thanks to our mothers and mothers-in-law in our houses that our children are being brought up. I do not want to be run like this. It gives me a lot of pain when every channel and every newspaper in this country today looks at me as if I am some sort of a culprit. I am not.

(p3/1640/rp-rps)

Sixteen lakh people have voted each one of us here. We are rightfully here. I think, the time has come for us to deliver and make a difference; prove it to the country, to the media and to all the NGOs. A lot of people think that I work with too much NGOs but today I want to defend my fraternity right here that in a democratic system we will not get bullied by anybody and we will prove it that this Lokpal will make a difference like over hundred times we have made amendments in the Constitution.

Comment: Contd. by p3

Comment: Smt. Supriya Sule cd...



I am sure, in this Lokpal Bill, if we pass it today, we can bring amendments at different stages of life. So, let us not look at it totally as it is going to be nothing for us. It is a small beginning. I think, it is the commitment of the hon. Prime Minister which is made to this country. We should join him, support him and show to the country that we want to make a difference and it is an honest democratic system.

Thank you.

(ends)

1641 hours

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Madam Chairperson, Sushmaji quoted in the morning one of my favorite couplets.

There are some very special moments in the life of a nation. This is one such moment. The nation awaits with bated breath how the collective wisdom of this august House will be reflected in the vote at the end of the debate on the Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011.

1642 hours (Madam Speaker *in the Chair*)

Madam, the broad provisions of this Bill have been vigorously debated both in the public domain and by political parties. It is my honest belief that the Bill that is now before this august House lives up to the promise that Members of this House collectively made to the people of this country by way of the sense of the House at the end of the debate on 27th August, 2011.

The task of legislation is very serious business and must eventually be performed by all of us who have been constitutionally assigned this duty. Others can persuade and have their voices heard. But the decision must rest with us. At the same time we must keep in mind the fact that corruption and its consequences eat into the body politic. We have seen how public anger has manifested itself in the last one year. Let us, therefore, endorse this Bill as proposed. In drafting this legislation, we have had a wide range of consultations. I compliment the hon. Members and the Chairman of the Standing Committee which looked into this Bill in great detail. We have been enriched by the wisdom of political parties and all shades of opinion that have been taken into account.

I wish to state that when our Government was elected to office in 2004, we wanted our policies to be people-centric. We believe in transparent, open governance and the well-being of the *aam aadmi* is central to all our policy prescriptions. Our ideological commitment to 'open governance' led us to bring the Right to Information Act in 2005. To further our people-centric policies, we enacted the National Rural Employment Guarantee Act, 2005. The Right of

Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, is evidence of our desire to empower the disadvantaged and marginalized. The National Rural Health Mission addresses the health concerns of the poor in the rural areas. We have attempted to rejuvenate our cities through the Jawaharlal Nehru National Urban Renewable Mission.

(q3/1645/lh-jr)

Comment: Cd by q3

Comment: PM – cd.

The Rajiv Awas Yojana aims to provide housing to the poor and homeless in cities. The introduction of the National Food Security Bill, 2011, is yet another step to secure the poor and the malnourished from the consequences of hunger and deprivation. The Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011 seeks equity for the farmer and those deprived of livelihoods. We have tried to create a more egalitarian and inclusive India delivering the fruits of growth to the less privileged. That is and will continue to be our Government's mission.

Madam, on the occasion, our Government, like none before, has taken decisive steps. In the last one year, we have been working on certain landmark legislations. The Right of Citizens for Time Bound Delivery of Goods and Services and Redressal of their Grievances Bill, 2011, is before Parliament. The Public Interest Disclosure and Protection to Persons Making the Disclosures Bill, 2011, and the Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011, await Parliament's approval. The Judicial Standards and Accountability Bill, 2010, has already been cleared by the Standing Committee and awaits Government's consideration. The Electronic Delivery of Services Bill, 2011, is being introduced which will ensure that essential public services are electronically delivered at the doorstep of the citizen. These are landmark and unprecedented pieces of legislation.

Madam, on the administrative side, our Government seeks to streamline decision making consistent with the principles of transparency and accountability. We are formulating public policy measures on procurement. A Group of Ministers has recommended elimination of discretion in administrative matters where possible. This work is in process. We began with the Right to Information

Act. We will not end the fight against corruption with the Lokpal and Lokayuktas Bill.

Madam, we must embrace a holistic approach in our fight against corruption. Our laws must be all pervasive if we are genuine in our endeavour. Legal sophistry cannot be used to argue that State Legislatures must not adopt the model law proposed or delay its enforcement. Corruption is corruption whether in the Union or in the States. It has no legislative colour. I urge leaders of all political parties to rise above partisan politics to demonstrate to the people of India that this House means business in its effort to combat corruption. All of us are party to the resolution reflecting the sense of the House in which we committed to establish Lokayuktas in the States along with the Lokpal. We would be in breach of the promise that this House made to the nation if we do not provide for the mechanism of the Lokayuktas by taking recourse to citing articles of the Constitution as impediments. Such a course of action should not derail the sense of the House. I urge all my colleagues in Parliament to rise to the occasion and look beyond politics to pass this law.

Madam, the Central Government is responsible for providing a limited number of public services directly to the citizen. The real problem lies in the domain of State Governments where the *aam aadmi* feels the pinch of petty corruption on a daily basis.

(r3/1650/kkd/har)

It is for this reason that Group C and Group D employees have been brought within the ambit of Lokayuktas in States. Local as well as State authorities are charged with providing essential services to the common man. It is here that the bane of corruption needs to be fought. Water, electricity, municipal services, land records, policing, transport, ration shops are but a few examples of essential services provided by State and local authorities that affect the life of the common person. Setting up of Lokayuktas in States will go a long way in addressing the sense of frustration that is reflected in the anger that we see now around us.

Comment: Cd. By r3

Comment: Dr. Manmohan Singh ctd



Madam, even the major flagship schemes of the Central Government are implemented by public functionaries working under the State Government. Everyday in this and the other House, Members express their disillusionment with the way our Central schemes are implemented by States. We need to remedy this. Unless Lokayuktas are put in place, the cancer of corruption will spread. Let us not delay the issue any further. Federalism cannot be an impediment in our war against corruption.

Madam, as regards the CBI, we believe that the CBI should function without interference through any Government diktat. But no institution and no individual, howsoever high he may be, should be free from accountability. All institutional structures must be consistent with our Constitution. Today, we are given to believe that a Government that is directly elected by the people and accountable to it cannot be trusted but a body that will not derive its legitimacy from the people directly or be accountable to it, could be trusted to wield its immense powers with honour and trust. No entity should be created inconsistent with our Constitutional framework and charged with onerous executive responsibilities without any proper accountability. In the ultimate analysis all institutions within the framework of this Constitution are accountable to Parliament and Parliament alone. In our enthusiasm to enact this law, we must not falter. I believe that the CBI should function independently of the Lokpal. I also believe that the CBI should function independently of the Government. But independence does not mean absence of accountability. We have, therefore, proposed a process of appointment of the CBI Director, which involves the Prime Minister, the Chief Justice of India or his nominee and the Leader of the Opposition in the Lok Sabha. None should have doubts about the integrity of this process. As far as the issue of CBI functioning under the Lokpal is concerned, our Government believes that this would create an executive structure outside Parliament, which is accountable to none. This is anathema to sound Constitutional principles. I believe that the Bill, which is now before this House,

contains a judicious blend of functional autonomy and accountability of the CBI. I am sure that the wisdom of this august House will rise to support our Government's proposals as reflected in this Bill.

Madam, in the course of this debate, bureaucracy has been at the receiving end. While I agree that public functionaries must be above board and that delinquents must be dealt with expeditiously and decisively, I must express my deep appreciation for many a public servant who have shown exemplary integrity in discharging their functions in an environment of distrust. [(s3/1655/mmn-bks)

Comment: Contd by s3.e

Comment: PM of India etd.

I do not think all public functionaries need to be painted with the same brush just as all politicians should not be presumed to be dishonest or corrupt. We must not throw the baby out with the bath water. Without a functional, efficient administrative system, no Government can deliver for its people. Let us not supplant the system with one in which the public servants will hesitate to fearlessly record what they think and in that process endanger the very soul of good governance. In judging the conduct of public servants, we must not lose sight of the need to distinguish genuine and honest mistakes in the discharge of their duties from patently illegal acts. Very often our public servants have to take decisions under conditions of great uncertainty. The future being inherently uncertain, it is possible that an action which *ex ante* appears to be rational may *ex post* turn out to be faulty. Our systems of reward and punishment must not lose sight of this fact.

Madam, all systems of governance must be based on trust. It is the people's trust that we in Government reflect and protect. Rampant distrust of all authority imperils the foundations of democracy. Our polity with its enormous size and diversity can only be held together when we put our faith and trust in institutions that we have carefully built over the last 63 years. The power of the electorate is the ultimate authority which brings accountability to our democratic institutions.

In endangering democracy, we will only be unleashing the forces of chaos and anarchy where reason will give way to emotion.

Madam, we are creating something for the future in response to the inadequacies of the present. We have to be mindful of the pitfalls when we look into the future. Let us not create something that will destroy all that we cherish—all in the name of combating corruption. Let us remember that the road to hell is paved sometimes with good intentions.

We, as the representatives of the people, must act now to start yet another journey to rebuild the trust that is essential for a strong and vibrant India. I thank you.

(ends)

1659 hours

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, thank you very much for giving me an opportunity to participate in the debate on Lokpal Bill.

Just now we have heard the Prime Minister's intervention in the debate. The crux of his whole speech is to see that we curb and eliminate corruption. The entire House is accepting this kind of attitude. The entire House and all the Members of this House are for eliminating corruption. We are for that. At the same time, we are opposing certain provisions which they have brought in the Lokpal Bill. No doubt, as our Prime Minister said, we want Lokpal. Recently, there is a Report, Global Financial Integrity Report. It says, "19 billion dollars of illicit money is taken out of the country every year. The global corruption barometer in 2010 shows that in India corruption is so deep-rooted that at least 50 per cent of the households pay bribe to get their basic service." What did the Prime Minister say? If an ordinary man in the country wants to get any service from the Government, he has to pay money by way of corruption. That is why, the Prime Minister said, we have to eliminate corruption and so we have already brought this Lokpal Bill for that.

(t3/1700/vr-gg)

Comment: Ctd. By t3

Comment: Thambidurai cd.

Madam, our party AIADMK is for the Lokpal. We have no objection. All the hon. Members are accepting this. But, we are not accepting certain things from the contents of the Lokpal. For example, all along we are insisting and we have said, not only here but even in the Prime Minister's meeting, that Prime Minister's office must not be included in the Lokpal. That is our stand. It is because even our allied party Members of UPA said that the Prime Minister's office is the highest office. He has to run the Government. He has to deliver the goods for this country. At this time, if we include his office in the Lokpal, he may not be in a position to function properly. That is why we are opposing that the office of Prime Minister must not be included in the Lokpal. In this regard, our hon. Chief Minister of

Tamil Nadu has also written letters many times to the hon. Finance Minister. I reiterated that the Prime Minister must not be included in that.

My second point is regarding the exclusion of the lower bureaucracy. The Prime Minister said that the C & D categories of employees have to be brought under Lokayukta. At the same time, he has not mentioned about their inclusion in the Lokpal. He said that CVC will take care of that. When you are advocating it as a model, this has to be included in Lokpal also. That is what we are insisting.

Next point is regarding the inclusion of the Lokayukta. As I said early, we are for Lokpal. But, when you include Lokayukta, we are opposing that. It is because you are infringing into the rights of the States. The Indian nationals have fought for the freedom of their country. We have formed the States on linguistic basis. Most of the States want to protect their rights. They are fighting for that. They want to preserve their culture. In spite of diversity, we are united. We are having certain cultures. Our different States have different cultures. For that, you have to give the autonomy. That kind of autonomy is required. But, what is happening? In the Indian history, for the last 60 years, you are slowly encroaching upon States' rights and taking away everything in the name of the Concurrent List.

When not only hon. Sushmaji but also all other hon. Members raised the issue regarding the federal set up, if you take the list, 99 per cent of the Members said that you have to preserve the federal set up. You must not create any danger for this set up. That is what everybody said. There are State Legislatures. In the legislature, they have every right to legislate this Lokayukta. Some States have already enacted that. Why do you want to insist upon it?

Shri Narayanasamy and Shri Kapil Sibal said that under Article 253, the provision for Lokayukta is there. I am not disputing that. At the same time, what about the Article 246, which you have forgotten. What does the Article 246 say? It says that in the Concurrent List, the State Governments also have the right to enact the laws. If you are encroaching upon in the name of 253, you are ignoring the Article 246. That is what we are fighting for.

You are a lawyer. Our Parliament has the power to enact laws in respect of Municipalities and Panchayats. I am not disputing that. If you want to bring everything here, it means that you are going to make a unitary State. Please answer for that. You are not giving the genuine answer for that question. That is why when we are having Article 246, we have to respect for that.

Madam, that is a very serious matter. If you see, most of the Members spoke that even our Ruling Party must give some importance to our arguments. I have already moved that amendment. Therefore, I hope that when the amendments come up for voting, most of the Members would support that.

The first point is, I have already brought the amendment not to include the Prime Minister. Some hon. Members may support it. Fifty per cent support is here. Another point is regarding the federal set up and Article 253 relating to Lokayukta. Here also, other Members are supporting it. Therefore, my two amendments are valuable amendments. The whole House may accept that. In that case, we are supporting the Lokpal. (u3/1705/san-cs)

Comment: Cd. by u3

Comment: Thambidurai contd.

There is no doubt about it. Secondly, they are bringing about a provision making accountable to the Lokpal the Speaker, Lok Sabha and the Chairman, Rajya Sabha. Why are they bringing these people under this Bill? They are supreme bodies. They cannot answer to Lokpal. These bodies have to enact law. In the proceedings, they have to proceed against the Members and also the Ministers. Then, in such a case, they have to report about that to the Lokpal. Is it the duty of the Speaker? Is it right? Is this democracy? This is how they are protecting the rights of our Parliament! That is why, I am humbly requesting you to exclude them. Let the Government bring amendment to exclude the Speaker, Lok Sabha and the Chairman, Rajya Sabha. This is a very serious matter. This is concerning our democracy. Even the Standing Committee has not recommended this. How has this Bill included the hon. Speaker, Lok Sabha and the hon. Chairman, Rajya Sabha to send a report to Lokpal?

Afterwards, they may try to include the President of India also. Somebody may say that all must come in. That means that you have to include, the President of India, the Vice-President and all others also. It would reach that stage. Madam, that is why, I am honestly requesting that let the Government consider not to include the Prime Minister within the purview of this Bill. This is my humble stand. This is my party's stand. My Chief Minister has told this so many times, even to the Finance Minister also.

I would submit that most of the Members are feeling this way regarding the federal set up. We are a democratic country. You have to respect the State Governments. Do not make them glorified municipalities because a municipality makes a municipality. That is why, we are serious about this concern. Let this House consider the amendment I have given about not including the Prime Minister. At the same time, federal set up must be protected. For that, Lokayukta must be excluded from the Bill. With this condition, I am for Lokpal and at the same time, I am not for Lokayuktas.

Thank you very much.

(ends)

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदया, हमारा नंबर किधर गया।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिये, सबका नंबर आयेगा। आप बैठिये और शांत रहिये। आप लोग आपस में बहुत बातचीत कर रहे हैं। आप लोग शांत होकर सुनिये।

1707 hours

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, we are against corruption. Corruption has to be eradicated. All steps have to be taken to eradicate corruption. This has to be done.

For the purpose of eradication of corruption, a Bill or statute is not sufficient; a mentality is required to enforce it. If you are in the Government, you have to enforce it. If you are in the Opposition, you must fight it out. It should be not for an academic discussion only.

I just heard the speech of the hon. Prime Minister. I would like to know whether the Part III of the Bill is required to be taken as a model or it has to be adopted. If it has to be adopted, then I think, it encroaches upon the federal set up of the Constitution.

Shri Kapil Sibal has delivered a speech on Articles 252 and 253. With great respect to him, I would like to submit that every student of law knows that Article 252 applies in cases where the two State Legislative Assemblies agree that there is a vacuum and Parliament may pass a Bill. In that case, Article 252 applies. There is no case for Article 252 here. Where has any of the State Legislature given it? So far as Article 253 is concerned, he has taken the plea that they have entered into an international agreement and that is why, Article 253 comes into picture. My humble question to Shri Kapil Sibal is this. Can you do a thing, which you cannot do in a direct manner, in an indirect manner? He was saying that they are not encroaching upon the field of the State Legislature. He may please reply whether Section 81(7)(b) of the Bill encroaches upon the domain of the State Legislative Assembly or not.

Entry 41 in List II of the Seventh Schedule speaks about the service conditions of the State Government employees. What will the Lokpal do? There are so many discussions about what the Lokpal would do. Madam, with great respect, this Lokpal is nothing but a super investigating agency. This Bill is creating a super investigating agency giving it a high status. What would he do?

Ultimately, after giving chances to all as an investigating agency, the Lokpal's Report will be given to a Special Court established under the Prevention of Corruption Act.

(w3/1710/ak-hcb)

Comment: Contd by W3

Comment: Sh. K. Banerjee cd..

Under what law is an investigating agency's report subject to the compulsory acceptance of a Special Court? Thereafter, the Special Court will go into the niceties of the investigation report. Therefore, merely an investigation report is submitted before a court of law, which is not accepted unless it is proved before the court itself. An investigating agency report has to be given to the Special Court, and the Special Court will decide the matter in accordance with the procedures of the Code of Criminal Procedure and nothing more than that. This super-investigating agency has been given a job that when the investigating agency submits a report under Section 81 sub-section 7 (b), then the State has to initiate disciplinary proceedings. Is it not coming within the State service condition? I just want to put this simple question to Mr. Sibal. Does this not mean interference in the affairs of the States? Are you not interfering with the Entry 41 of the Second List of the Seventh Schedule?

We all agree that corruption has to be eradicated. With great respect to the hon. Prime Minister, I would like to state this. It is not that this Bill has come for decades together and it means that all the previous Prime Ministers or the Ministers were in favour of corruption. If this type of Bill has not still come in the States, then this does not mean that the State Legislatures or the State Chief Ministers are in favour of corruption. Please do not think like this. If you have taken three decades to legislate this type of a law, then make Part III a model and request the States to accept it. It has not been done in your interest.

What has been done under Section 14 of the Administrative Tribunals Act? The Act has been engrafted by this House. What has been done under the Administrative Tribunals Act after this? Leave it to the States to adopt this type of State law, and today in our country almost all the States have adopted this law.

Therefore, do not undermine the State Legislatures; do not undermine the Ministers of the States; and do not enter into the field of State Legislatures as it would be a dangerous proposition.

Everybody is against corruption. It is not that only one person is fighting against corruption. If one has a scope to speak, then one can speak against corruption and if one does not have the scope to speak, then he is not in a position to convey his voice to the people of the country. Simply because one is going at 6 o'clock or 10 o'clock before the TV, he is the only person who speaks against corruption. It is not that the persons who are holding demonstrations and dharnas are the only persons who are fighting against corruption. We have also been elected by people because people know that we are honest. This is the reason that people have elected us and not because of anybody saying it. One would say from the dais that a law has to be brought.

Madam, with great respect, I say this to you. What is the power under Section 24 (3)? Kindly read it with me. It is for your consideration and please consider this part of this Bill. Section 24 (1) states that :

“Where, after the conclusion of the investigation, the findings of the Lokpal disclose the commission of an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 by a public servant referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-section (1) of section 14, the Lokpal may file a case in the Special Court and shall send a copy of the report together with its findings to the competent authority.”

Simply because the report has been sent, a person against whom a report has been brought does not become a convict. A full-fledged trial has to be given. Please also read Section 24 (3) along with this. Here, so far as the Lok Sabha is concerned, it is the hon. Speaker is the competent authority. It states that :

“The competent authority shall examine or cause to be examined the report forwarded to it under sub-section (1) and communicate or cause to be communicated to the Lokpal, within a period of ninety days from the date of receipt of the report, the action taken or proposed to be taken on the basis of the report ...”

Comment: cd.. by x3

(x3/1715/sh-mm)

Comment: Shri Kalyan Banerjee - Cd

Until the trial is completed, how can anyone say that I have committed a fault? Can the report of the investigating officer be simply the basis for it? On the basis of a report, a person cannot be a convict; he may be an accused. On the basis of a report, what will the hon. Speaker do? Will he remove me from the House? When the trial is not completed, will the hon. Speaker impose penalty on me?

Madam, who can be above the law in this country? How will a Lokpal be selected? With great respect I would like to say how the Lokpal will be selected, and I am not undermining anybody. Lokpal will be selected by the hon. Prime Minister, and the hon. Leader of Opposition. Both of them are under the Lokpal. Therefore, both of them will decide who would be the Judge who might be required to look into the matter in case they commit any fault in future! Thirdly, who else will be there in the Committee? The Chief Justice of India is one of them. Madam, it is with great respect that I would like to say that in our country if at all you have to point out the most non-transparent system, then it is the appointment of the Judges of the High Courts. In this non-transparent system in respect of the High Court Judges, a person who would become the Chief Justice of India only because of his seniority, he would decide whether I am corrupt or not. Is it not very funny? His appointment depends on the discretionary power of somebody else. If my face is good, then I will be appointed as a Judge; if my face is not good, and I do not run after the Judges, then I will not be appointed. This type of a person will be in the Committee to decide who would be the Lokpal.

What is the accountability? I will just tell you about that. It will be the retired persons who will be the Lokpal or the members of the Lokpal. After four or five years, what is his accountability to the nation? Even if he has committed any fault, on the basis of the reference of the Supreme Court, he may be removed; he will go. Who will touch him? His pension will not be touched; he will not be awarded with any imprisonment; he will be like a master for everyone for five

years, but no one can touch him. He will remain untouched. If he has committed any fault, he cannot be sent to prison and his pension cannot be touched.

Respected Madam, I will give you just one suggestion. Persons are talking hither and thither on corruption and Lokpal. Just as the New York Supreme Court or in various States in America, let the Lokpal be elected from the House itself. Let the Lokpal be elected after seeing who is honest or dishonest, just like some American Supreme Court Judges who remain Judges for 14 years on the basis of the Senate elections. They have to take the consent of the Senate. Who is interested for Lokpal, let us see. Let the people know who are all interested in being appointed as the Lokpal. Let us understand this. Is this not correct in a city like Delhi or in other States? So far as the last three or four CJIs are concerned, rumours are spreading that something is there. Is it not correct? We may ignore for the time being. We can keep our eyes closed, but it has happened.

Madam, I will tell you about one argument which I was making on behalf of one of the Judges in a compulsory retirement case. In the Division Bench, Judges said, “Yes, Mr. Bandyopadhyay, whatever you are arguing, you are correct. I would just request you to go to the court itself and hear the voice of the wall and then come back and tell me whether he will remain or not.” I went there. After that, when I came, I argued before the Court by saying, “I am stopping my argument. You pass your judgment.” Everything is not on record. There are rumours and there are persons. Therefore, who will be the Lokpal? Let the Lokpal be elected. I suggest that let the Lokpal be elected from the House itself because accountability has to be fixed. |

(y3/1720/sr-rv)|

If he commits any mistake, if he commits any fraud, if he commits any corruption, what would be the consequence? If he does not decide the matter in a fair manner, what would be the fate of this Lokpal? I would request that Municipalities, Panchayats and the Public Distribution System should be brought within the Lokpal itself. It should not hit the federal structure of our country. I would make a

Comment: Cd by y3

Comment: kalyan banerjee cd.



request to the hon. Prime Minister to delete Part-III and make a provision by requesting the State Government to adopt the guidelines which have been given in the Lokpal Bill itself. It should be given to that.

I come to another provision. Shri Singhvi is a very senior lawyer and I have a great respect for him. He is the Chairman of the Standing Committee. I just give you the sequence. The investigating agency will make a report. This report would be placed before the Special Court. The Special Court after adjudication gives a conviction in a case. Against that the gentleman would go to the Criminal Appeals Court. The Appeal Court would give its findings. Then as per this Bill, the final appellate authority is the Lokpal. It is a strange thing. Therefore, an investigating agency and a prosecuting agency will be the judge of their own Courts! I would say, with great respect to the Law Minister that I do not understand Sections 49 and 95. It really hits the basic structure itself. A person cannot be the judge of his own court. He will be the investigating agency; he will be the prosecuting agency and ultimately, he would be the appellate authority. It cannot be done. Therefore, with great respect I would say to kindly delete this Part III of this Bill itself.

One thing has also to be done which has not been done as yet. We must make an endeavour for character building programme. Only bringing a law would not do. People have to be educated on that; people have to be fed on that. The people of this country must be educated for this purpose. We have not done anything for the long 63 years. We are speaking against the corruption as if we have become Rama Krishna or Swami Vivekananda. It is not that. The Government is having a role; others are having a role. The goal has to be implemented from the threshold of this country. People have to be educated that corruption should be stopped. Corruption is a disease. Corruption does not come. There are a few persons who are having Rs. 100 crore or Rs.250 crore. Even then they are corrupt. They do not need money, but they are corrupt because it is a disease. It has to be prevented. There are persons with Rs.100 crore or Rs.150

crore. Even then they need more money. It is a disease itself. It is a cancer. It has to be eradicated.




At the end of the day and at the end of the speech, I would tell the Government that this law has to be forceful. We are having the Prevention of Corruption Act. It is not that we do not have the Act. We are having the Prevention of Corruption Act. We could have extended this Prevention of Corruption Act to every blocks of our country. We could have made it easily accessible. We could have said that anybody could go and complain under the Prevention of Corruption Act. Just imagine a situation. A Scheduled Caste or a Scheduled Tribe man of Purulia District in our State stays at the Ayodhya Pahar. He would come to meet Madam in Delhi for filing a complaint against an MP for corruption. Is it a reality? Is it accepted? Can anybody accept it? It is only for the people who are running after some persons. Why are we not bringing in corporates? It is very nice. In the evening one anchor would go and speak against all persons. Let this anchor be brought before the public at large. |_____

Comment: cd. by z3

(z3/1725/sb/kmr)|_____

Comment: Kalyan banerjee cd

Allow me to cross-examine the anchor. Let me understand his knowledge, his integrity and his stand. A gentleman goes on to a *manch* and gives a speech saying that we have to bring it very quickly! The dignity of this House has to be maintained. This House should not be put under pressure of anybody. Someone creating pressure by saying that he would go on a hunger strike if it is not passed by the 27th December, is not right. We have not given a very correct message to the nation.

All of us are interested in bringing a Bill like this. But  reality we are bringing this Bill under  pressure. This position should not have been allowed to come. This does not  give a very good image of the Members of Parliament. We are working under pressure. A wrong signal has gone.

Hon. Prime Minister, Prevention of Corruption Act is still there. Implement it in each and every block of the country. Implement it strongly. The statute merely remains there and it has not been implemented. Officers have ignored the statute. That would not help this country. Whatever is there, it has to be implemented.

Madam, at the end I would say, we fought against corruption. Our leader Mamata Banerjee fought against corruption for the last 35 years. She is not an academic leader. She is a leader from the field. We have come to power fighting against corruption. So, corruption has to be fought out. With these words, I conclude. I thank you for giving me a patient hearing.

(ends)

1727 hours

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Madam Speaker, from the very beginning our party, under the leadership of Shri Nara Chandrababu Naidu, wanted that a strong and effective Lokpal Bill be brought, and the time has now come today that we are discussing this Bill.

अध्यक्ष महोदया, आज के दिन जब यह बिल हाउस में इंट्रोड्यूस किया था, पहली दफा श्री नारायणसामी जी ने बात की। हाउस में जब एक मिनिस्टर बात करे तो एक तरीके से बात करनी चाहिए, फेक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए। अभी देश में करप्शन काफी बढ़ गया है। Recent surveys on international corruption show that corruption level in India is very high.

MADAM SPEAKER: Hon. Member, you have five minutes, and wind up in five minutes.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): On the scale of 0-10, corruption level in India is at 8.67. इतने हाई लेवल में करप्शन है। मगर आज सुबह नारायणसामी जी ने यह प्वाइंट बोला है कि अभी हम लोग बहुत अच्छा बिल ला रहे हैं। अभी तक इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, पहली दफा प्रोपर्टी को जब्त करने का प्रोविजन भी रखा है। मगर अभी बिहार में एक ऑफिसर की प्रोपर्टी को जब्त करके, वहां के पुअर लोगों के लिए एक स्कूल बना दिया है। मगर उसे बनाने का दिल होना चाहिए। जो लोग पावर में हैं, उनके पास विल एंड दिल दोनों होने चाहिए। ये जिस तरह से बोल रहे हैं कि आज के दिन हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब बोल रहे थे, वे मिनिस्टर हैं। वे हाउस में जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उनका जो सोचने का तरीका है। पहले कपिल सिब्बल साहब ने जस्टिस रामास्वामी जी के मामले में हाउस के बाहर बैठ कर बात की और अब हाउस के अंदर बात कर रहे हैं। उन्होंने बात करते समय एक बात बोली है, अपने घर में भ्रष्टाचार करो, दूसरे घर में आरोप करो। हमें समझ नहीं आया कि किस का घर है। हमें मालूम नहीं है कि 2जी स्पेक्ट्रम किस का घर है।

(a4/1730/mkg/vp)

कॉमनवैलथ गेम्स किसका घर है, उसी तरीके से आन्ध्र प्रदेश में ओ ब्लॉक में किसका घर है। वहां भी तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र में भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। एक मिनिस्टर को हाउस में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अभी ऑनरेबिल प्राइम मिनिस्टर ने दो चीजों को बहुत क्लियरली बोला है, एक अपनी गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, वह बता दिया और दूसरा यह एक्सैप्ट किया कि देश में करप्शन है। करप्शन को मिटाने के लिए हम सब को मिलकर एक अच्छे बिल को लाना चाहिए, मगर इसके पहले

Comment: shri nama nageswar rao cd.



मिनिस्टर को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक बात और बोली कि आप लोग, अपोजीशन लीडर्स कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं दे रहे। हम जो भी दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे रहे हैं, लेकिन आप तो गवर्नमेंट में रहकर हमारे सजेशन को नहीं ले रहे हैं, **That is the problem**, क्या इस तरीके से किसी ने सोचा है? कपिल सिब्बल साहब तो अभी यहां दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उन्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए।

वजह जो भी है, लेकिन हमारी कंट्री में स्कैम के ऊपर कंटीन्युअसली स्कैम्स आ रहे हैं, उसी की वजह से कंट्री का डेवलपमेंट भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। **Corruption level is going very high**, इसको कंट्रोल करने की हम सब की जिम्मेदारी है। उसी के लिए मोर्निंग से जिस तरीके से सजेशंस और एमेण्डमेंट्स आ गये तो कपिल सिब्बल जी जैसा बोले, कंस्ट्रक्टिव सजेशन अभी तो बहुत हम लोगों ने दिये हैं, **Let us include it; let us amend it**. उनको लेकर आओ, यह सब इन्क्लूड करके इस बिल को लेकर आओ, तब हम लोग सोचेंगे।

उसी के साथ सी.बी.आई. के बारे में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के लिए बोल रहे हैं, मगर आज सलैक्शन प्रोसेस में अगर देखें तो सलैक्शन प्रोसेस में अपोजीशन लीडर, राज्य सभा को भी होना चाहिए और सी.बी.आई. लोकपाल के अन्दर आनी चाहिए, नहीं तो इसको सैपरेट ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए, उसे किसी को टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ कंट्री में सी.बी.आई. के बारे में जिस तरीके से बात आ रही है कि गवर्नमेंट का प्रेशर है, जब भी चाहे गवर्नमेंट का प्रेशर है, यह सब नहीं होना चाहिए।

इसके साथ-साथ स्ट्रोंग एण्ड इफैक्टिव लोक पाल बिल आना चाहिए और उसकी एकाउण्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। **Its accountability is very important**. उसकी एकाउण्टेबिलिटी के साथ स्ट्रोंग एण्ड इफैक्टिव लोक पाल बिल आना चाहिए। इसके साथ इलैक्टोरल रिफार्म्स का बिल आना चाहिए, फाइनेंशियल रिफार्म्स का बिल आना चाहिए, क्योंकि कंट्री रिफार्म्स के बाद **our GDP growth is growing continuously high**. **Our country is developing; since our country is developing, we have to control corruption** और इन सब एमेण्डमेंट्स के साथ यह स्ट्रोंग और इफैक्टिव बिल इस हाउस में लाना चाहिए।

धन्यवाद।

(इति)

1733 बजे

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): महोदया, अभी प्रधानमंत्री जी ने इस बिल का पुरजोर समर्थन किया और सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। मैं उनकी भावना का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में सब की राय अलग-अलग हो सकती है। हो सकता है कि यह जो बिल आया है, उसमें कुछ लोगों के मन में शंका हो कि इसका स्वरूप क्या होगा, इसका असर क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। क्या यह एक असरदार संस्था खड़ी कर पाएगा, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई में आम आदमी के साथ खड़ा मिलेगा या वह एक सफेद हाथी को खड़ा करेगा, अलग-अलग शंकाएँ हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो सरकार का प्रस्ताव है, यह एक सकारात्मक दिशा में एक कदम है। यह पहला कानून नहीं है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बना रहे हैं, कानून कई हो सकते हैं। कानून आज भी लागू हैं और हमारे देश में ओवर लैजिस्लेट करने की एक टेडेंसी रही है। कानून तो अच्छे-अच्छे बनते हैं, लेकिन हम उतनी चिन्ता नहीं करते कि क्या उस कानून के क्रियान्वयन में कोई कमी है कि नहीं। मैंने कहीं पढ़ा है कि महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि “Corruption and hypocrisy ought not to be inevitable products of democracy, as they, undoubtedly, are today” यानि यह कोई नई समस्या नहीं है। उस समय भी समाज के लोग इस बारे में चिन्तित थे कि क्या भागीदारी उस गरीब आदमी की हम बना पाएंगे, क्या उसकी गिनती मुख्य धारा में होगी कि नहीं। आज भी हम उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

(b4/1735/cp/rk)

मेरा यह मानना है कि अगर हम भ्रष्टाचार को वृहद् दृष्टि से देखें, तो भ्रष्टाचार सिर्फ घूस लेना नहीं है। जो अपने अधिकार से इस देश के नागरिक को हम वंचित कर रहे हैं, वह भी भ्रष्टाचार है, अगर दलित और महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, वह भ्रष्टाचार है, अगर उत्पादक किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, वह भ्रष्टाचार है, अगर उसकी जमीन उससे जबरदस्ती अधिगृहीत की जाती है, तो वह भ्रष्टाचार है। कहीं न कहीं समाज के हर एक वर्ग को इन सब चीजों पर भी ध्यान देना होगा। भ्रष्टाचार सिर्फ घूस लेना नहीं है। सिर्फ कानून बनाने से, संस्था खड़ी करने से यह समस्या ऐसे ही गायब होने वाली नहीं है। यही देश के नागरिक हैं, यही लोग हैं जो देश को आगे बढ़ाते हैं, दिशा देते हैं। कहीं न कहीं, इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि इस समाज को हम कैसे एकत्रित करें, कैसे जागरूक करें? मैं आज के इस विषय पर और प्रकाश डालना चाहूँगा।

Comment: cd by b4

Comment: श्री जयंत चौधरी जारी



लोकपाल बिल के स्वरूप पर काफी राय आयी है, व्यापक रूप से चर्चा हुयी। स्थायी संसदीय समिति ने बहुत लोगों की राय ली होगी, काफी चर्चा की और एक रिपोर्ट भी देश के सामने रखी है। इसमें सीबीआई का सवाल उठा। मैं समझता हूँ कि शब्दों के चयन में कुछ कमी हुयी है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सीबीआई स्वतंत्र होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि सीबीआई की स्वतंत्रता का सवाल नहीं है। सवाल है सीबीआई के सशक्तीकरण का। जो सीबीआई का कन्विक्शन रेट है, वह कम है। हम सबको इसे मानना चाहिए। उससे दो सवाल खड़े होते हैं - सीबीआई के आफिसर्स की क्षमता और जूडीशियल एफीसिएंसी, दोनों ही चिंता का विषय हैं। इस बिल में सीबीआई को सशक्त करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। हमें यह भी सोचना होगा कि आज स्थिति यह है कि आप डेपुटेशन पर आफिसर्स को लेते हैं, आपके साथ वे दो-तीन साल हैं, उसके बाद वापस उनको वहीं जाना है। कहीं न कहीं उनके स्टेट का कैंडर होता है, उनकी एफीलिएंशंस होती हैं, उनका एक बॉयस होता है। हमें कभी न कभी सोचना होगा कि सीबीआई के लिए हम एक इंडिपेंडेंट कैंडर खड़ा करें, ताकि उसका एक इंडिपेंडेंट टैलेंट पूल हो, उनकी विशेष तरह की ट्रेनिंग हो, तभी आप उनकी क्षमता को बढ़ा पाएंगे।

मैं एक और टेक्निकल प्वाइंट कहना चाहता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। इसमें हमने जो सैक्शन 14 में जो डेफीनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट रखी है, उसमें विस्तार किया है। सैक्शन 14 के ए टू एच में कई लोगों की डेफीनेशन की हैं जो पब्लिक सर्वेंट की डेफीनेशन में आयेंगे। एक्सप्लेनेशन में लिखा है -

“For the purpose of clauses (f) and (g), it is hereby clarified that any entity or institution, by whatever name called, corporate, society, trust, association of persons, partnership, sole proprietorship, limited liability partnership shall be the entities covered in those clauses. ”

अब आरटीआई एक्ट में भी पब्लिक एथॉरिटी में क्या प्राइवेट एन्टिटीज पीपीपी के माध्यम में आती हैं या नहीं आती, यह बहुत चर्चा का विषय है। प्लानिंग कमीशन की अपनी राय है, पब्लिक फोरम्स में सरकारी मंत्रियों की अपनी राय व्यक्त हुई है और कोर्ट में भी ये मामले चल रहे हैं। बंगलौर एयरपोर्ट केस में हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है कि हां, वे पब्लिक एथॉरिटी हैं। लेकिन क्या यह सही होगा कि हम प्राइवेट ट्रस्ट में, प्राइवेट इन्डीविजुअल्स को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दें? अगर इनको इंकलूड करना था तो किसी अल्टरनेट मैकेनिज्म के माध्यम से उन्हें इस बिल के दायरे में हमें लाना चाहिए था। यह मेरा सन्निधान है।

हमारे सांसदों ने जो जवाबदेही का प्रश्न उठाया, उससे भी मैं काफी हद तक सहमत हूँ। जो सार्वजनिक जीवन में हमारी जवाबदेही होती है, सांसदों की, विधायकों की, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि किसी और क्षेत्र में किसी और व्यक्ति की नहीं होती है। लगातार हमसे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि पांच साल बाद हम चुनाव लड़ते हैं। निरंतर जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे जो मतदाता लोग हैं, वे आते हैं और शिकायत करते हैं। वे कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। वे अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं और खुशी जाहिर करते हैं। निरंतर हमें सुख और दुख में उनका साथ देना होता है। अगर हम संवेदनशील होते हैं, अगर हम उनकी शिकायतों पर ध्यान देते हैं, तो वे उसी आधार पर हमें वोट करते हैं। अगर हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो उसी आधार पर हमें वोट करते हैं। जितनी जवाबदेही हमारी होती है, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी और संस्था की उतनी जवाबदेही है।

मैं एक और उदाहरण दूंगा। जो हमारी सांसद निधि है, जब आपकी अगली किश्त आती है, तो आपको डबल एप्लीकेशन मिल जाती है, यानी लोगों की नजर है, आम आदमी को पता होता है कि हमारे सांसद की अगली किश्त आ गयी है। वह आपके पास अपनी दरखास्त लेकर आएंगे। सरकारी विभागों में करोड़ों-अरबों रूपए खर्च होते हैं, क्या लोगों को पता होता है कि कब पैसा आया और कब खर्च हो गया? उनको नहीं पता होता है। मैं समझता हूँ कि अगर हम एक लोकपाल संस्था को खड़ा करें, वह आज की आवश्यकता है, उससे कहीं न कहीं पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

Comment: cont by c4.h

Comment: Cd by Shri J. Chaudhary

(c4/1740/nrj/raj)

क्या ग्रूप-सी और डी के इम्प्लायई को इसके दायरे में लाएंगे? क्या इससे उन के कार्यशैली पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? आरटीआई के तहत वर्ष 2010-11 में साढ़े पांच लाख से ज्यादा दरखास्त आई थीं। अगर आज भी गांवों में जा कर पूछेंगे कि आरटीआई क्या है तो इसके बारे में लोगों मालूम नहीं है। आज लोकपाल की इतनी ज्यादा चर्चा हो चुकी है कि हरेक वर्ग जान चुका है। मैं समझता हूँ कि पहले साल ही आप लोकपाल संस्था को ओवर फ्लड कर देंगे। इसमें लाखों की संख्या में कम्प्लेन्स आएंगी और लाखों कर्मचारियों को उसके दायरे में रखेंगे तो उन पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। देश भर में 23 दिसम्बर को चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी यहां सेन्ट्रल हॉल में मौजूद थे। मैडम, आप भी वहां थीं और मैं भी वहां था। वहां बैकग्राउंड में चौधरी चरण सिंह जी के भा [REDACTED] को सुनाया जा रहा था। उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने व [REDACTED] कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे धीमे-धीमे बहता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप अपने समय से ज्यादा समय तक बोल चुके हैं।

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): Madam, I am concluding. उन्होंने यह कहा था कि सार्वजनिक उच्चतम पदों पर ईमानदार लोग आते हैं तो उसका प्रभाव नीचले स्तर तक पहुंचता है और आखिरकार जिम्मेदारी उनलोगों की है जो अपनों में से चुन कर नेता बनाते हैं। इसलिए बुनियादी सवाल फिर यह है कि समाज को हमें इकट्ठा करना होगा, जागरूक करना होगा। इस कानून का मैं स्वागत करता हूं। यह एक शुरुआत है। इसमें जो कमियां होंगी इस सदन के सभी सदस्य मिल कर उनका रास्ता भी निकाल सकते हैं, उनमें सक्षम रहेंगे। मैं फिर इस बिल का स्वागत करता हूं। धन्यवाद

(इति)

1743 hours

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): At long last, much has been said but everything has not been said.

I was very curiously listening to the hon. Prime Minister, while he intervened in the Debate – not at the end but in the middle. A normal practice is that the leader of the Government listens to all and then makes a speech. But there is a departure and it has been to a large extent.

While praying for consensus, hon. Prime Minister has provoked controversy. He asked for consensus but provoked controversy. He categorically said that Federalism should not stand in the way of struggle against corruption.

Hon. Prime Minister should have been little more careful that it does not mean Centralisation should impair upon the basic foundation of Indian democracy and Federalism. It is wrong to pit one against the other.

It is also unfortunate that hon. Prime Minister has used this rostrum to deliver the progress report of the work done by the Government, keeping in view what is going to happen in five States. It is unfortunate.

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please do not cross the speaker.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Hon. Prime Minister, while speaking of the paramount importance of fighting corruption, should have played the games according to the rules of the game.

The Parliament is not a rostrum for delivering a political speech, which in a way helps or becomes a part of a political campaign. Hon. Prime Minister should keep away himself. There are apprehensions and there are bound to be apprehensions.

At the beginning, I should say that I welcome a Lokpal Bill, but not the Lokpal Bill, which has been introduced.

Comment: Cd by d4



(d4/1745/snb-nsh)

Comment: Gurudas dasgupta contd.

The point is that if you say that something is better than nothing, then, of course, it is good. Something is better than nothing; it is definitely not everything that the country needs. The hon. Prime Minister was talking about agitation outside. Is it right? Does it not impair upon the sovereignty of Parliament? Are we under duress? Are we compelled? Are we being led by our nose? Are we being threatened to do something or not to do something? Does it not affect or impair upon the sovereignty of the Parliament?

The rulers or the leaders of the Government who had remained in power for long should always consider the wider ramifications of what they are saying. If you say that protests have been very loud during the last one year, then they forget that this country had fought against corruption from the inception of Independence. It is too much of an importance that is being attached to some individuals or a group of individuals and, in a sense, giving a message of panic to the common people in the country which, in my opinion, is not something which helps a democracy to function. The higher up you are in the hierarchy, more responsible you should be. I do not call the Government irresponsible, but I should say that the higher up you are in the hierarchy, more responsible you should be. It is a rhetoric. He has written to the Parliament a rhetoric. It is a debate that he has opened up. He speaks of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, it is good. But only 38 per cent of the money has been spent on this. He had spoken of just now about inclusive growth, but everybody in the country today is saying that growth has not been inclusive. He spoke about developing economy, but today we are facing an unprecedented economic crisis. Everybody knows. We could not discuss that in the Parliament. The hon. Speaker could not allot time for this. This is one of the gravest moments of Indian economy. In such a situation like this if the leader of the Government finds satisfaction in the working of the Government, then I am sorry to say that is not a sign of political sagacity.

Madam, if you say it is the beginning, I agree. It is a beginning, but it is a notional beginning, it is a token beginning. The beginning should have been effective. If you say that the Government has the distinction of introducing the Bill, I agree. You have introduced the Bill. You want it to be passed, I agree. You are doing it for the first time. If you say that the fight against corruption is a prolonged battle. I agree. But when corruption is all-pervasive, it is not in a vacuum that we are discussing. Why suddenly has the Government woke up to be so responsible? Not only one man, it is at this moment of time that corruption is all-pervasive in the country. Kindly do not forget that for the first time in the history of Independence, a Member of the Government is in Tihar jail, for the first time in history that one of the leading functionaries of the ruling party is in jail...
(Interruptions) कोई रास्ते में कोई है, वह जानकारी बाद में लेंगे।... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please address the Chair.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): One after another Report of the C&AG has indicted the Government... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: You may conclude now.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): If you say so, then I may sit down.

अध्यक्ष महोदया : आप जल्दी से बोलकर समाप्त कीजिए। बीच में और वार्तालाप मत कीजिए।

... (व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): But everybody in the House has gone beyond their time limit... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: I am asking you to address the Chair.

(e4/1750/ru-rjs)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): This is the background. The background is that not only one person is going on hunger strike but it is all about pervasive corruption. The background is one member of the Government is in jail. The background is, one after another CAG Report is indicting the Government....
(Interruptions) I am not yielding, Madam. ... (Interruptions)

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम): आप यह कह रहे हैं कि ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिये। आप क्यों खड़े हो गये?

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please address the Chair. What is all this? Nothing will go on record. Please understand the gravity of the situation.

(Interruptions) ... (Not recorded)

अध्यक्ष महोदया : यह क्या कर रहे हैं? आप ऐसा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह गंभीर विषय है। हमने खासतौर से यह सेशन बुलाया है, तीन दिन का एक्सटेंशन दिया है। आप इसे गंभीरता पूर्वक लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : दासगुप्ता जी, आप चेयर को एड्रेस करके बोलिये।

...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, I am saying that the Minister is impatient. I am reflecting on his behaviour of a Minister....

(Interruptions)

MADAM SPEAKER: You speak on the subject, Shri Dasgupta.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): I never go beyond it. ...

(Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अभी वह मिनिस्टर नहीं हैं। ...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): He is a member of the ruling party. If he is so impatient about the problem which the country is facing, then what is the consequence of the statement given by the Prime Minister that there should be a consensus? You want the consensus by becoming impatient! Is it right to do so? Is it right to think so?

Madam, it is not the State which is the centre of corruption. There may be a group of Reddys in one part of the country, but there are a large number of Reddys around the corridor of power in New Delhi. The political Capital of India

is the Capital of criminality perpetrating corruption in India, not today but from the beginning.

Madam, where did the spectrum episode take place? It was not in Bangalore. Where did the loot of the Commonwealth Games take place? It was not in Kolkata. Whose policy led to loss of revenue in Krishna-Godavari Basin? Whose policy was it?

Madam, please note one point. Please note that when every limb of the State apparatus was infected with dangerous disease of cancer, it was a radical surgery that was needed. This Bill is nothing but a cosmetic operation that is being done playing to the gallery. It is a cosmetic operation. It is not even palliative treatment. It is a cosmetic one. Palliative is sometimes better.

Where is the political will? The Government must show the political will.

पेलिटिकल विल दिखानी चाहिए। ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Why are you reacting to every interruption? You please address the Chair and please conclude.

... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, the point is ...

SEVERAL HON. MEMBERS: Not, Sir. It is Madam. ... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): She is as strong as a gentleman and as tender as a woman. Therefore, I can always reflect on her like this. ... (*Interruptions*)

If a Member of Parliament turning into a lawyer is a problem to Shri Kapil Sibal, then may I remind him that a criminal lawyer – does not mean a lawyer is a criminal but has the expertise in defending the criminality – leads the battle against corruption, then I must take it with some salt. I must take something with salt.... (*Interruptions*)

Madam, I must say that the Government lacks political will in launching a crusade against corruption. Corruption was there from the dawn of Indian history. My young friend should know it. It was there maybe before he was born. I think

he is 63 years old. We had the Jeep scandal. At that point of time, the country had just become independent. You may remember that Mundhra sent to jail.
(f4/1755/rbn/rps)

Comment: cd. by f4

Comment: Shri gurudas dasgupta contd.

Remember there was Bofors scandal; remember there was Harshad Mehta scandal; remember there has been 2G spectrum scandal. But the point is that the 2G spectrum scandal has hit the sky, it has crossed the limit. ... (*Interruptions*)
Madam, corruption is not a disease. It is a greed for money; it is a greed for profit. Our new and liberal economic policy is responsible for this. Liberalisation without adequate safeguards had opened the doors for massive corruption, that has overtaken the country. Let us discuss the Bill dispassionately, without being overcharged by what is happening in Mumbai or what has happened in Ramlila maidan. Let us protect the sovereignty of the Parliament; let us protect the independence of the House.

I now would like to raise several questions. Let the Government answer. Why have the corporates been left out? Why has the private sector been left out? Who are these corporates? They are those who bribe the politicians, who bribe the Ministers, who bribe the bureaucrats. They are the ones who fund the election campaign, who pay for the helicopters. It is the corporates who generate black money, it is the corporates who evade the tax; it is the corporates who arrange for paid news. Why have they been left out? It is a political decision. Leaving out the corporates is a political decision, lest you are affected in your poll campaign.

Therefore, I have proposed an amendment for inclusion of the private sector. Too much immunity has been given to the Office of Prime Minister. ... (*Interruptions*) Independence of the CBI has to be protected. Madam, if you are angry I can tell you how Governments of all hues have used the CBI as a political weapon.... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I am not angry.

... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): The Government of this side and the Government of that side has used the CBI as a political weapon to fight the opponents. ... (*Interruptions*) If you want I can give you examples. Everybody uses the CBI. ... (*Interruptions*) Should I tell the names? You will be embarrassed. I do not want to embarrass you. Mr. Young Minister, I wish you more promotions. ... (*Interruptions*) Independent investigation has also to be done.

There should be special courts to deliver judgements within a specific period of time. Once upon a time, Pandit Nehru said: "I will fire at the black marketeers and hang them near the lamp post". I do not go to that extent. Pandit Nehru was emotional. I do not want to be that emotional. But I must say that Congress must carry the tradition of Nehru in their blood. If you have forgotten Nehru, I must remind you. The Prime Minister was delivering his elaborate speech but had not the time to refer to this. It was the historic speech of Prime Minister Nehru against the black marketeers. You should have the courage and honesty to remember the first Prime Minister of India. Why should the federal system be encroached upon? Lastly let me come to this. What is the open agenda of the Government?

(g4/1800/tkd-jr)


What is the open agenda? Is it the open agenda of the Government to begin a struggle against corruption or there is a hidden agenda to tell the people that we are taking steps to fight corruption and nobody else is supporting us? Therefore, give us the support so that we can be elected again for the next time. So, is there a hidden agenda or is it an open agenda? I would like to know what is the agenda itself.

Thank you.

(ends)

Comment: Contd. By G4

Comment: Shri Dasgupta cd.

 **FOR REST OF THE PROCEEDINGS,
PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.**
